खण्ड-228, अंक-5
शुक्रवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1884
(30 मार्च, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 228 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. १९७-२०१
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	.. २०१-२०२
कानपुर में जे० के० रेयन फैक्टरी में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	.. २०२-२०७
रिपब्लिकन पार्टी को मान्यता न देने के संबंध में स्पष्टीकरण ..	.. २०७-२०९
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत)..	.. २०९-२६८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३० मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९१

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली , श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथ बहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केशरी प्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगन्नाथ, श्री (बलिया)
जगवीर सिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी

जसराम सिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुर सिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंग सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री

नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथशरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
वचनराम, श्री
वेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवान दास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री

मोहनलाल आचार्य,
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रती पाल, श्री
रनबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण, मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रताप सिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री

शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर श्री कुंवर,
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपाल सिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरि नाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं। उनमें से एक सूचना को, जो माननीय रामचन्द्र विकल ने दी है, मैंने स्वीकार कर लिया है और माननीय राजस्व मंत्री के पास उसकी प्रतिलिपि भेज दी है। वह इस प्रकार से है:

"जिला मेरठ व बुलन्दशहर में पिछले ४ दिन के अन्दर टिड्डी दल का भयानक आक्रमण हुआ है जिससे दोनों जिलों में किसानों की पकी हुई फसल को भारी क्षति हुई है और अभी अधिक क्षति होने की संभावना है। अतः मैं नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यह सूचना चाहूंगा कि इसकी रोकथाम के संबंध में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है।"

माल मंत्री श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, २, ३ दिन का मुझे वक्त दिया जाय तो मैं इत्तिला मंगा लूंगा। ४ अप्रैल कर दीजिये तो ठीक रहे।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, ४ अप्रैल को आप अपना वक्तव्य दीजियेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, हमारा भी निवेदन सुन लें। हमने भी नियम ५२ में एक नोटिस दिया था। अगर आज आप उसे नहीं ले सकते हैं तो गृह मंत्री के पास उसको भेज दें ताकि उस पर उचित कार्यवाही हो जाय। अक्सर यह होता रहा है।

श्री अध्यक्ष---अगर कोई नवनिर्वाचित सदस्य पहले हमारे यहां आया होता तो उसके लिये यह बात ठीक प्रतीत होती। लेकिन आप तो जानते हैं एक दिन में एक ही ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है।

श्री उग्रसेन---मेरी बात पर आपने गौर नहीं किया....

श्री अध्यक्ष---आप मेरी बात पहले सुन लीजिये। अन्य प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है। कोई अगर कारण न भी हो तो एक कारण यह पर्याप्त है कि आज एक नोटिस को स्वीकार कर लिया है।

एक मेरे पास नियम ५२ का श्री नरसिंह नारायण जी का भी नोटिस आया है। इसको यद्यपि मैं नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं कर रहा हूं तो भी, चूंकि माननीय राजस्व मंत्री ने उपलवृष्टि के संबंध में अपना वक्तव्य देना २ अप्रैल के लिये स्वीकार किया है, मैं चाहूंगा कि कानपुर में जो उपलवृष्टि के बारे में इस नोटिस में संकेत है उसका भी अपने वक्तव्य में समावेश कर लेंगे।

अन्य जो हैं उनको मैं स्वीकार नहीं कर पाया हूं, उनके अनेक कारण हैं, उन कारणों को इस समय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था.....

श्री उग्रसेन---मेरा भी निवेदन सुन लें। मैं यह नहीं कहता कि आज हमारा नियम ५२ का नोटिस क्यों नहीं लिया। कहना यह है कि वह मामला बहुत महत्वपूर्ण है उसको आप गृह मंत्री के पास भेज दें जिससे उस पर तुरन्त कार्यवाही हो जाय।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें।

(श्री टम्बेश्वरीप्रसाद के खड़े होने पर)

माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी आप बैठें। जिन्होंने मेरे पास सूचनायें भेजी हैं वे उनके संबंध में मुझसे आकर बातचीत कर लें और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी बात और कारणों को सुनकर उनको अवश्य इस बात के संबंध में संतोष हो जायगा कि क्यों नियम ५२ उपयुक्त नहीं है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप मुझसे बातचीत कर लें।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---अध्यक्ष महोदय, जब आपने उनकी उपलवृष्टि पर माननीय मंत्री को सूचना दे दी तो ४, ५ लाख की मेरी क्षति को भी कानपुर की मंगा देंगे।

श्री अध्यक्ष---कानपुर के बारे में जो नरसिंह नारायण जी का है वही आपका है।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---मुझे क्या मालूम था कि उनका और मेरा एक ही है।

श्री अध्यक्ष---अब मालूम हो गया। आप बैठें।

कानपुर में जे० के० रेयन फैक्टरी में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)---जे० के० रेयन मिल, कानपुर के श्रमिकों ने १६ जनवरी, १९६२ से हड़ताल आरम्भ की, जो अभी जारी है। यह

हड़ताल उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, १९४७ के उपबन्धों के अनुसार नोटिस देने के बाद आरम्भ नहीं की गयी है, अतः यह गैरकानूनी है ।

पिछले एक वर्ष में इस मिल में श्रमिकों और मजदूरों के पारस्परिक संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में वर्तमान हड़ताल को मिलाकर पांच हड़तालें हुई हैं । इस मिल में पहली हड़ताल ११ जनवरी, १९६१ को हुई थी । यह हड़ताल अन्य शिकायतों के अतिरिक्त दो श्रमिकों के अस्थाई नियोजन की अवधि के प्रश्न पर हुई थी , जिसका अन्त में एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार प्रबन्धकों ने दोनों श्रमिकों को फिर नौकरी में ले लिया और उसी दिन हड़ताल समाप्त हो गयी । दूसरी हड़ताल मिल के कताई विभाग में ५/६ मार्च, १९६१ को हुई । यह हड़ताल कताई विभाग की मशीनों की खराबी के कारण काम रुक जाने के बाद तागे जोड़ने के काम के लिये श्रमिकों के अतिरिक्त भत्ते की मांग के कारण हुई थी । प्रबन्धकों द्वारा उचित रूप से मांग पर विचार करने का वचन देने पर मिल में काम आरम्भ हुआ ।

इसी बीच मार्च, १९६१ में जे० के० रेयन वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड हुई । लगता है कि पिछली दो हड़तालों से श्रमिकों को यह मालूम हो गया था कि इस निरन्तर प्रक्रिया (Continious process) से कारखाने को बड़ी क्षति हो सकती है, तथा काम रुकने से मिल के मूल्यवान कच्चे माल की हानि हो सकती है और वे काम रोक कर सेवायोजकों पर अपनी मांगें पूरी करने के लिये जोर दे सकते हैं । यूनियन ने २० मांगों का एक मांगपत्र तैयार करके २४ मार्च, १९६१ को प्रबन्धकों के पास भेजा । ये मांगें वेतन दरों में संशोधन बोनस वितरण, त्योहार की छुट्टियां आदि के विषय में थीं । इन मांगों पर विचार-विमर्श हो रहा था । उसी बीच श्रमिकों ने ८ अप्रैल, १९६१ को पुनः हड़ताल कर दी । यह तीसरी हड़ताल थी । काफी विचार विमर्श के बाद प्रबन्धकों और यूनियन ने २४ अप्रैल, १९६१ को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें यूनियन ने गैर कानूनी हड़ताल करने और उसमें योग देने के लिये स्पष्ट रूप से खेद प्रकट किया और यह आश्वासन दिया कि भविष्य में जब तक पहले समस्त वैधानिक तरीके प्रयोग न कर लिये जायंगे और उचित नोटिस न दी जायगी तब तक कोई हड़ताल न की जायगी । इसके बाद मिल में काम आरम्भ हो गया ।

उक्त आश्वासन देने पर भी मिल के कताई विभाग के श्रमिकों ने १ अगस्त, १९६१ को बिना किसी प्रकट कारण अथवा बिना कोई मांग प्रस्तुत किए फिर हड़ताल कर दी । प्रबन्धकों ने ९१ श्रमिकों को आरोप-पत्र दिया और आवश्यक जांच करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया । बाद में नौकरी से निकाले गये श्रमिकों में से ८२ श्रमिकों को फिर रख लिया और उनकी सेवा अखंडित मान ली गयी । यह भी मान लिया गया कि शेष ९ श्रमिक यदि चाहें तो वे अपना मामला संराधन समिति में ले जा सकते हैं । इस बार भी यूनियन ने गैर कानूनी हड़ताल करने के लिये खेद प्रकट किया ।

११ दिसम्बर, १९६१ को जे० के० रेयन वर्कर्स यूनियन ने कुछ अनिर्णीत मामले तय करने के लिये फिर मिल के डायरेक्टर इंचार्ज को लिखा । इन मामलों में समस्त श्रमिकों को उत्पादन बोनस का भुगतान , भवन निर्माण, श्रमिकों को स्थाई करना, त्योहार की छुट्टियां, वर्कर्स को अतिरिक्त भत्ता, श्रमिक, श्री पतराखन सिंह पर हुए हमले की जांच, सेवाकाल खंडित हुए बिना अस्थाई श्रमिकों से फार्म भराना और अगस्त, १९६१ की हड़ताल के फलस्वरूप कताई विभाग से निकाले गये ९ श्रमिकों के मामले मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना सम्मिलित है । यूनियन ने यह स्पष्ट रूप से सूचित किया कि यदि ये मामले १७ दिसम्बर, १९६१ तक तय न किये जायंगे तो वे अन्य तरीके प्रयोग में लायेंगे जिसमें भूख हड़ताल भी सम्मिलित है । इन सब मामलों पर २२ और २३ दिसम्बर, १९६१ को प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त, कानपुर ने प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और साथ ही उन्होंने यूनियन को इन मांगों के सम्बन्ध में जल्दबाजी न करने की सम्मति दी । इस बातचीत के फलस्वरूप इनमें से कुछ मामलों में समझौते की सम्भावना भी पाई गई ।

[श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ]

परन्तु यूनियन ने अधीर होकर ५ जनवरी, १९६२ को इस आशय की एक नोटिस भेजी कि यदि अगले दिन तक समस्त मामले उनके पक्ष में तय न किये जायेंगे तो वे और आगे कदम उठायेंगे, जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल है। प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त, कानपुर ने यूनियन को राय दी कि जब तक विचार-विमर्श चल रहा है वे इन मामलों में कोई आगे कदम न बढ़ावें। इसके बावजूद भी श्री पतराखन सिंह नामक एक श्रमिक ने ७ जनवरी, १९६२ को प्रातः भूख हड़ताल आरम्भ कर दी। प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त ने यूनियन को फिर राय दी कि वह श्री पतराखन सिंह को भूख हड़ताल छोड़ने के लिये प्रेरित करे, क्योंकि भूख हड़ताल के दौरान में विचार-विमर्श जारी रखना सम्भव न हो सकेगा। यूनियन द्वारा की गई आचार संहिता की अवहेलना की ओर भी उसका ध्यान आकर्षित किया गया। आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी, जिससे यह यूनियन सम्बद्ध है, मामले की प्रगति बताई गई और उससे इस दिशा में उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। परन्तु इस राय की परवाह न करके भूख हड़ताल १५ जनवरी, १९६२ तक जारी रखी गई। अन्त में १६ जनवरी, १९६२ को प्रातः भूख हड़ताल समाप्त हो गई परन्तु उसी दिन ७ बजे प्रातः श्रमिकों ने सामान्य रूप से हड़ताल कर दी।

श्रम विभाग ने प्रबन्धकों और श्रमिकों के मध्य विवादग्रस्त मामले तय करने और मिल में प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच सौहार्द्र की भावना बनाये रखने का भरसक प्रयत्न किया है, किन्तु श्रमिक संघ का रुख सर्वथा असहयोगपूर्ण तथा अनुचित रहा है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि श्रमिकों द्वारा इस बात का आश्वासन देने के बाद भी कि वैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, उन्होंने कई बार गैरकानूनी हड़तालें कीं। अब यूनियन के प्रतिनिधियों ने श्रमायुक्त से इस समस्या को हल करने का अनुरोध किया है और श्रमायुक्त ने इस विषय में प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों से कुछ बातचीत भी की है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि श्रमिक संघ ने कई बार इस बात का आश्वासन देने पर भी कि वे फिर ऐसा काम नहीं करेंगे, इस मिल में अनेक बार गैर कानूनी हड़तालें की हैं। इस प्रकार समझौते की बातचीत की सफलता इस मामले में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के रुख पर ही निर्भर है।"

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि इस वक्त लगभग साढ़े चार सौ से अधिक मजदूर इस मिल की नौकरी से अलग कर दिये गये हैं और जो पहले मजदूर नौकरी से अलग किये गये थे, जिनके बारे में कहा था कि उनको फिर से मिल में वापस ले लिया गया उनकी कुछ मांगों को मान लिया जिससे उनको कुछ प्रोत्साहन मिला था....

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न कीजिये।

श्री चन्द्रजीत---मैं प्रश्न ही पूछता हूं। क्या यह सही है कि कानपुर की दूसरी मिलों में जो सुविधायें मिलती रही हैं वे सुविधायें भी इस मिल के मालिक नहीं दे पा रहे हैं इसलिये यह हड़ताल हुई?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---सवाल इतना लम्बा है जो मेरी समझ में नहीं आया।

श्री चन्द्रजीत---पहली बात तो आप यह बता दें कि यह सही है कि साढ़े चार सौ से अधिक मजदूर इस मिल की नौकरी से अलग कर दिये गये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---यह बात सही है।

श्री चन्द्रजीत---क्या यह भी सही है कि इस मिल में वह सुविधायें भी मजदूरों को नहीं प्राप्त हो रही हैं जो कानपुर की दूसरी मिलों में बोनस के सम्बन्ध में, त्योहार की छुट्टियों

के सम्बन्ध में, मजदूरों को दी जाती हैं ? यदि हां, तो उन सुविधाओं को प्राप्त कराने के लिये सरकार की तरफ से क्या प्रयास किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---छुट्टियों के बारे में मिलें अपनी राय अलग-अलग रखती हैं।

श्री अध्यक्ष---(श्री भगवानसहाय द्वारा सदन का शोर कम करने पर) माननीय भगवानसहाय जी, एक बात समझ लीजिये कि कल ही मैंने एक व्यवस्था दी थी कि सदन में इस प्रकार से आना-जाना उसकी प्रतिष्ठा और मर्यादा के विरुद्ध है। आप इस तरह से निकल जाते हैं यह गलत है। आप पीछे से आकर अपना आसन ग्रहण किया करें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---कानूनन तीन नेशनल हालिडेज लाजिमी हैं। इसके अलावा बाकी फैस्टिवल हालिडेज के बारे में अलग-अलग मिलें अलग-अलग राय रखती हैं। बोनस का मामला दोनों के बीच में डिस्कशन में है और मालिकों की तरफ से बोनस की एक स्कीम वर्कर्स के सामने रखी गई है जो वे लोग फौरन लागू करने के लिये तैयार हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह भी सही है कि इस रेयन मिल के बुनाई विभाग में जो ग्रेड श्रमिकों को दिया जाता है वह हिन्दुस्तान की अन्य रेयन मिलों से बहुत कम है और इसकी मांग मजदूरों ने की थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---अन्य मिलों की बात तो मैं नहीं बता सकती हूं लेकिन मेरे पास जो फीगर्स हैं उससे यह पता चलता है कि इस समय में उनको अच्छी wages मिलती हैं।

श्री उग्रसेन---श्रीमन, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि यहां का ग्रेड दूसरी मिलों की अपेक्षा बहुत कम है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---स्पिनिंग सेक्शन में दो किस्म के ग्रेड है। ए ग्रेड ९२ रुपये से शुरू करके ५ रु० इंक्रीमेंट देकर १४२ रु० तक है और बी ग्रेड ९८-६-१५८ तक है। यह मैं समझती हूं कि कोई खराब नहीं है।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)---माननीय मन्त्री जी ने जो अभी वक्तव्य दिया उसमें बताया गया है कि ४५० मजदर निकाल दिये गये हैं तो ऐसे समय में जब मजदूर काम से अलग किये गये तो कोई मामला कंसिलियेशन बोर्ड में पेंडिंग था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---उनका मामला कंसिलियेशन बोर्ड में नहीं था, बल्कि उन्होंने इल्लीगल स्ट्राइक किया था इसलिये अलग किये गये हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मजदूरों की मांग किस ग्रेड की है और किस आधार पर रख रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं प्रश्न के सम्बन्ध में कह रहा था यद्यपि मैंने उग्रसेन जी को स्वीकृति दे दी कि विषय यहां पर, जो हड़ताल हो रही है उसका तो सवाल यह पैदा होता है कि ग्रेड का कोई सम्बन्ध हड़ताल से था या नहीं ? अगर था, तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं था तो नहीं पूछ सकते हैं। एक ही सवाल हो सकता है कि ग्रेड के सम्बन्ध में कोई विवाद था जिससे हड़ताल हुई। यह पूछ लें तो दूसरे प्रश्न की इजाजत दूंगा वरना नहीं दूंगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस विवाद में ग्रेड के सम्बन्ध में मजदूरों की मांग थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---पहले भी वक्तव्य में बताया गया है कि रिवीजन आफ वेजेज की एक मांग है और उस पर बातचीत हो रही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच समझौता एक बार हो गया था जिसमें ८२ व्यक्ति लिये गये। लेकिन समझौता यह हुआ था कि ४५० मजदूर जो निकाले गये ह वे सब रखे जायेंगे? यदि हां, तो क्यों नहीं रखे गये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है कि ४५० मजदूरों को वापस लेने का वायदा किया गया था। यह मामला डिटेल में डिसकस हो रहा है। वे कुछ लोगों को वापस लेने को तैयार हैं, सबको नहीं।

श्री चन्द्रजीत---क्या मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करते हुए कि इस मिल के श्रमिकों का और मिल मालिकों का मसला काफी गम्भीर हो चुका है और ४५० से अधिक मजदूर निकाल दिये गये हैं, इस बात का प्रयास करेंगे कि मजदूरों के प्रतिनिधियों से और मिल मालिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करें और समझौता अपनी तरफ से करायें?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---हमारी तरफ से हमेशा यह प्रयास रहता है कि मजदूर और मिल मालिकों के अन्दर शान्तिमय सम्बन्ध रहें। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह जो झगड़ा चल रहा है, पांच स्ट्राइक हुए हैं, हर स्ट्राइक इल्लीगल स्ट्राइक हुआ है। जब अप्रैल, १९६१ में मजदूर और मालिकों का समझौता हुआ था, तय हुआ था कुछ डिमांड्स के ऊपर तो श्री एस० एम० बैनर्जी और श्री राम आसरे ने आश्वासन दिया था कि इल्लीगल स्ट्राइक नहीं होगी। उसके बावजद भी रिपीटेडली इल्लीगल स्ट्राइक हो रहा है, इसलिये यह मामला उलझाने की जिम्मेदारी यूनियन और यूनियन के लीडरों पर है। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि मामला सुलझ जाय। अगर वर्कर्स, वर्कर्स के लीडर्स और मालिक रीजेनेबिल ऐटीट्यूट लें तो मामला सुलझ सकता है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जो प्रश्न हो चुके हैं इस सम्बन्ध में वह पर्याप्त हैं। जो वक्तव्य इस वक्त आपके सामने दिया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि जो हड़ताल हुई वह अनियमित थी, अवैध थी। अगर अवैध थी, तो उस सम्बन्ध में जितने भी प्रश्न कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि असंगत हैं। केवल एक बात यह रह गई कि हड़ताल अवैध है, या नहीं, उस सम्बन्ध में आपने सवाल नहीं पूछा। अतः यह विवाद समाप्त हुआ।

श्री चन्द्रजीत---एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठा रहा हूं। नियम ५२ का जो नियम है उसके अन्तर्गत एक स्टेटमेंट मिनिस्टर की तरफ से होता है। उस पर माननीय सदस्य जो भी सवाल उचित समझते हैं और आप जिनको स्वीकार करते हैं, वह पूछते हैं। लेकिन आपकी यह व्यवस्था उस सम्बन्ध में, चूंकि वह हड़ताल इल्लीगल है इसलिये सवाल असंगत है, मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था आपको नहीं देनी चाहिये। आप यह कह सकते हैं कि अब और सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन आप एक मिनिस्टर के काम को कर रहे हैं उसको आपको नहीं करना चाहिये। अगर इस तरह की व्यवस्था चेयर से होगी तो किसी काम को करना मुश्किल हो जायगा। तो क्या इस तरह की व्यवस्था चेयर से दी जा सकती है कि असंगत है या संगत है?

श्री उग्रसेन---एक व्यवस्था का प्रश्न मेरा है।

श्री अध्यक्ष---एक व्यवस्था का प्रश्न हो चुका है, उसका मैं उत्तर दे दूं।

यह जो अभी वक्तव्य दिया गया तो उसके ऊपर जो प्रश्न मैं अपने विवेकानुसार उचित समझता था, उनको मैंने स्वीकृति बराबर दी। उनके विस्तृत उत्तर दिये गये। पूरा विवरण उनमें दिया गया। अन्त में जो प्रश्न हुआ उसके सम्बन्ध में यह कहा गया, माननीय

चन्द्रजीत यादव ने यह प्रश्न किया कि सरकार ने इस मामल को सुलझाने का कोई प्रयास किया है ? माननीय श्रम मन्त्री ने यह कहा कि हमारा प्रयास होता रहता है यद्यपि ये सारी हड़तालें इल्लीगल थीं। उसके अनन्तर मेरा ऐसा विचार हुआ कि और प्रश्न उठते नहीं।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम ५२ के खंड (४) के परन्तुक के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं—"परन्तु अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे"। तो यह मेरे विवेक पर निर्भर है। इसलिये मेरा इस वक्त विचार यह हुआ कि जो सवाल और जवाब हो चुके हैं वह इस विषय में पर्याप्त हैं। और अधिक प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है। यही मेरा निश्चय है।

श्री चन्द्रजीत—जो व्यवस्था आप इस वक्त दे रहे हैं वह ठीक है। लेकिन आपने जो यह व्यवस्था दी थी कि चूंकि हड़ताल इल्लीगल है इसलिये जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह असंगत हैं, उस पर मेरा कहना था। इस वक्त जो व्यवस्था दे रहे हैं, वह तो आपको अधिकार है कि स्थिति को स्पष्ट करने के लिये जितने प्रश्नों की आवश्यकता समझें, उनकी आज्ञा दें।

श्री उग्रसेन—तो पहली व्यवस्था को आपने काट दिया। एक बात और मैं निवेदन कर दूं। निवेदन यह है कि अभी बहुत सी पार्टियां हैं, जनसंघ है, स्वतन्त्र पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है जिनके सदस्यों को एक भी प्रश्न इस महत्वपूर्ण उत्तर पर करने को नहीं मिला है। तो यह भी होता रहा है कि जब नियम ५२ का प्रश्न आता है तो उसके सम्बन्ध में हर पार्टी को एक-एक दो-दो मौका मिलता है। अभी बहुत सी पार्टियां हैं जिनके सदस्यगण खड़े हुये लेकिन वह आपकी निगाह आकर्षित नहीं कर सके और, श्रीमन्, उनको एक भी मौका नहीं मिला। तो यह मजदूरों का प्रश्न है ९० लाख रुपया.....

श्री अध्यक्ष—लेक्चर की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ कहा मैंने सुन लिया। अब आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। मेरा निर्णय हो चुका है और वह विषय समाप्त हो गया है।

रिपब्लिकन पार्टी को मान्यता न देने के संबंध में स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—अब मैं आपके सामने एक निवेदन और करना चाहता था। वह दो पत्रों के सम्बन्ध में है जिनमें से एक निर्दलीय कुछ व्यक्तियों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी से प्राप्त हुआ है। जहां तक निर्दलीय समूह का प्रश्न है मुझे हर्ष है कि उन महानुभावों ने जिन्होंने पत्र भेजा उन्होंने इस बात की मांग नहीं की है कि उनको बतौर एक पार्टी के सदन में स्वीकार किया जाय। उन्होंने केवल इस सदन में बैठने का एलाटमेंट या आबंटन के सम्बन्ध में प्रार्थना की थी और उसके सम्बन्ध में मैंने जो निश्चय किया है वह कदाचित् यहां के स्वीकृत पार्टी नेताओं के पास पहुंच चुका होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो पहुंच जायगा।

दूसरा आवेदन पत्र रिपब्लिकन पार्टी से मुझे प्राप्त हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी के सम्बन्ध में अध्ययन करते समय मुझे गजट जो सितम्बर, सन् १९६१ में एलेक्शन कमीशन द्वारा प्रसारित हुआ था, उसको देखने का भी अवसर मिला है और मुझे सन्तोष इस बात का है कि जिन-जिन पार्टियों को उत्तर प्रदेश में रेकग्नीशन दिया गया है उन-उन पार्टियों को रेकग्नीशन मैंने भी दो एक दिन हुये दे दिया था। मेरे निर्णय में और एलेक्शन कमीशन के निर्णय में कोई भेद नहीं है, यह जानकर मुझे सन्तोष हुआ। जहां तक रिपब्लिकन पार्टी का प्रश्न है उसको पूर्ण मान्यता केवल दो ही प्रदेश में मिली है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है उसको एक झिझकते हुये या अर्द्धमान्यता कहा जाय वह प्राप्त हुई है। मैं यह सोच रहा था कि किन सिद्धान्तों के आधार पर मान्यता की व्यवस्था इस आदरणीय सदन में की

[श्री अध्यक्ष]

जाय ताकि भविष्य में यह स्पष्ट रहे और सब को ज्ञात हो जाय कि यह किन आधारों पर मान्यता दी जायगी। तो अधिक विवाद में न पड़कर मैंने जो मान्यतायें लोक सभा में प्रचलित हैं और स्वीकृत हैं उन्हीं मान्यताओं को स्वीकृत करके यह निर्णय किया है। हम भविष्य में उन्हीं पार्टियों को और उन्हीं ग्रुप्स को मान्यता देंगे जो सिद्धान्तों के अन्तर्गत आती हैं कि जिन सिद्धान्तों पर लोक सभा में पार्टियों और ग्रुप्स को मान्यता दी जाती है। उसमें दो शर्तें हैं। एक तो यह है कि जिस पार्टी के समान सिद्धान्त हों, कार्यक्रम हों, और उन्हीं सिद्धान्तों और कार्यक्रमों की घोषणा करके वह एलेक्शन लड़ती हों। एक तो उनकी यह शर्त है।

दूसरी शर्त यह है कि उनके कार्य क्रम सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी रहें। उसका एक संघटन रहे और वह सदन के अन्दर और सदन के बाहर अपने सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यरत रहे। मैंने रिपब्लिकन पार्टी का कांस्टीट्यूशन भी पढ़ा है और साथ ही साथ जो घोषणा-पत्र उन्होंने प्रसारित किया था उसको भी देखा। मेरी समझ में यह जो दो शर्तें हैं इसको वह पूरा करती हैं।

तीसरी शर्त जो लोक सभा ने अपनी मान्यताओं के सम्बन्ध में रखी है वह यह है कि सदन में ४९९ सदस्यों में से कम से कम ऐसे ग्रुप का नम्बर तीस हो यानी संख्या सदन में ४९९ में से ३० होनी चाहिये तभी ग्रुप को भी मान्यता दी जायगी। वहां पर चूंकि ४९९ सदस्य हैं और इस सदन के सदस्यों की संख्या ४३१ है, अतः उसी अनुपात के हिसाब से २५ से कम कुछ संख्या आती है। परन्तु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये और सब बातों का ध्यान रखते हुये मैंने जो स्वयं अपना सिद्धान्त ग्रहण किया है वह यह है कि ग्रुप को भी मान्यता उसी दशा में दी जायगी, यदि जो दो शर्तें मैंने आपके सामने रखी हैं, उनकी पूर्ति होती हो और संख्या में वह ग्रुप में कम से कम २५ सदस्य रखता हो। इस सिद्धान्त को अगर हम स्वीकार कर लें और इसका अनुसरण करें तो मेरा ऐसा विचार है कि भविष्य में हम अनेक उलझनों से बच जायंगे। ग्रुप के सम्बन्ध में एक विवाद हो और उस सम्बन्ध में निश्चय करने में कठिनाई उपस्थित हो इससे हम बच जायंगे। चूंकि यह तीसरी शर्त रिपब्लिकन पार्टी पूरी नहीं कर पा रही है, इस वजह से मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं उस पार्टी को मान्यता देने में असमर्थ रहा हूं। किन्तु इस आदरणीय सदन को इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे अत्यन्त हर्ष होगा अगर इंडिपेंडेंट दल और रिपब्लिकन पार्टी के माननीय सदस्य इस सदन में जो भाग लेंगे, इस सदन में जो उनके द्वारा हमें उपलिब्धयां और प्राप्तियां होंगी उनको दृष्टि में रखते हुये भविष्य में इस बात का प्रयत्न किया जाय कि उनके लिये हम कुछ सोच कर उनको मान्यतायें देने के लिये या उनके विशिष्ट सदस्यों को विशेष स्थान बैठने के लिये दें, इस पर खुशी से विचार करेंगे और वह मान्यता उनको देने का प्रयत्न करेंगे। सम्प्रति मेरा निर्णय यही है कि वह मान्यता जिस के लिये कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया था, वह मान्यता देने में मैं असमर्थ हूं। इस समय मेरा यह निर्णय है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा निवेदन यह है कि जहां तक रिपब्लिकन पार्टी का सम्बन्ध है यह वह पार्टी है कि जिस के नेता स्वर्गीय डाक्टर अम्बेदकर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना आसन गृहण करें। आप कृपा कर बैठें।

श्री उग्रसेन—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिपब्लिकन पार्टी को मान्यता दें।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर मेरी बात सुन लीजिये। जिसके सम्बन्ध में मैंने निर्णय दिया है.....

श्री उग्रसेन—रिपब्लिकन पार्टी एक विरोधी पार्टी है.....

श्री अध्यक्ष—उस पार्टी का कोई सदस्य अगर बोलता तो बात मेरी समझ में आती, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री उग्रसेन—सदन में अगर कोई बात कही जायगी तो उस पर हमें बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। माननीय राजस्व मन्त्री।

श्री रामकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने माननीय राजस्व मन्त्री को बुलाया है। आप कृपा कर बैठें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)*

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर आज तीन दिन से विवाद हो रहा है और उस पर उस तरफ के और इस तरफ के बहुत से माननीय मित्रों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की और बहुत से संशोधन भी प्रस्तुत किये गये। मैं श्री जगदीश शरण जी के प्रस्ताव की ताईद में और संशोधनों के विरोध में खड़ा हुआ हूं। कब्ल इसके कि मैं कुछ अर्ज करूं, जो नेता विरोधी दल के संशोधन की फेहरिस्त हैं मैंने उसको बड़े गौर से पढ़ा और गवर्नर महोदय के अभिभाषण को भी पढ़ा और मैं कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने अपने संशोधन में कई बातों की तरफ संकेत किया और कहा कि फलां-फलां बातों का जिक्र माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में नहीं किया। लेकिन जब मैंने उनकी वह फेहरिस्त पढ़ी तो मुझे यह मालूम हुआ कि नेता विरोधी दल ने भी एक बहुत जरूरी बात को छोड़ दिया और उस तरफ कोई संकेत नहीं किया और वह है भारतीय संस्कृति का संरक्षण और उसका संवर्धन, जिसका वह हमेशा नारा लगाते रहे हैं। मैं आशा करता था कि चूंकि गवर्नर महोदय के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं है, इसलिये नेता विरोधी दल जरूर इस बात की तरफ सदन की तवज्जेह दिलायेंगे, लेकिन उन्होंने उसके लिये खामोशी ही अख्तियार की और उसकी वजह से यह नतीजा बरामद होता है कि यह महज एलेक्शन स्टंट की बात थी। उसमें असलियत में उनका कोई यकीन नहीं है और न उनके दल को कोई यकीन है।

मैंने तमाम स्पीचेज सुनीं और मेरा इंप्रेशन यह हुआ कि उन्हीं चीजों को दोहराया गया है जो इस चुनाव में तमाम मौकों पर कही गयी हैं। कोई नई बात नहीं कही गयी और मैं यह भविष्यवाणी करता हूं कि बजट के मौके पर भी यही बातें दोहरायी जायंगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—भविष्यवाणी मत कीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक हमारे उग्रसेन जी का ताल्लुक है उनके पास तो एक चार्टर आफ डिमांड्स है मुस्तकिल तौर पर और उसे वे मौके-बे-मौके, हर जगह, हर समय पढ़ दिया करते हैं और वह मानने योग्य नहीं है। उनकी वह फेहरिस्त भी इस एजेन्डे में शामिल है। हमारे भाई रामसुन्दर जी ने भी उनकी नकल करना शुरू कर दिया है और उस चार्टर आफ डिमान्ड की कुछ बातों को लेकर उन्होंने भी एक फेहरिस्त दाखिल कर दी।

मैं क्या अर्ज करूं, एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गयी है। उसके बारे में कुछ कह कर ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज शहरों में बड़ी चर्चा है राज्य सभा के चुनाव की और मैं जानता नहीं लेकिन यह आम चर्चा शहरों में है और कल तक सारे सूबे में गूंज जायगी और वह चर्चा है वोटों की बिक्री की। उसमें खुदरा फरोशी भी हुई है और थोक भी हुई है। यह विरोधी भाई समाजवाद का नारा लगाते हैं और यह भी कहते हैं कि यह सरकार बिरला और पदमपत सिंघानिया की सरकार है, यह विरोधी दल किसके हैं? यह विरोधी दल क्या सीताराम जैपुरिया के हैं?

---

*२९ मार्च, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री उपसेन---श्री रामरतन गुप्त कहां से आये ?

श्री हुक्मसिंह विसेन---लेकिन वे जनता के सामने जाते हैं, बैंक ओर से नहीं मदद लेते। अगर बैंक डोर से बड़े-बड़े बिजनेसमैन थोक फरीशी करके जायेंगे तो वह जनहित में नहीं होगा। मालूम होता था अभी तक कि समाजवाद के ठेकेदार यही हैं, मगर आज ठेकेदारी का पता चल गया। हमसे कहा जाता है कि यह सरकार समाजवाद की ओर कदम नहीं उठाती, लेकिन असली बातों को आप नहीं देखते। हमने जमींदारी एबालिशन किया, क्या यह समाजवाद की तरफ कदम नहीं है? हमने बड़े-बड़े राजाओं को लाकर आपके बराबर बिठा दिया, यह समाजवाद की ओर कदम नहीं है? लैंड रिफार्म हमने हर जगह किया, क्या यह समाजवाद की ओर कदम नहीं है? हम सीलिंग बिल लाये, बड़ी-बड़ी जोतों को खत्म कर रहे हैं, यह समाजवाद की ओर ठोस कदम नहीं है? यह नहीं है तो क्या यह है कि सीताराम जयपुरिया को राज्य सभा का मेम्बर बना दें?

कोई कहता है कि मालगुजारी माफ कर दीजिये। अच्छी बात है, मगर विकास के काम आप बन्द कर दीजिये। क्या इसके लिये तैयार हैं? रामसुन्दर जी ने कहा कि फ्लड कन्ट्रोल कीजिये, सूबे की बड़ी-बड़ी नदियों को ट्रेन्ड कीजिये। वह क्या छू-मन्तर से हो जायेगा? उसमें लाखों करोड़ों रुपया लगेगा। आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का कम्पलीट सेपरेशन चाहते हैं, क्या वह मुफ्त हो जायगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने विकास के काम आपके चल रहे हैं और इतनी आपकी ट्यूबवेल की, कैनाल की, सड़कों और पुल-पुलियों की मांगें हैं, हर तरह के डेवलपमेंट की मांगें हैं, तो पैसा कहां से आयेगा? हम तो कहते हैं कि जरा हिम्मत के साथ अपने एलेक्टोरेट से बात करने की जुर्रत कीजिये। आप उनसे कड़वी बात कहने की जुर्रत नहीं रखते। गल्ला किस भाव में बिकता था जब पहले मालगुजारी तशखीस हुई थी और अब क्या भाव है, कितना अन्तर है? बढ़ाने का जस्टिफिकेशन हो सकता है, घटाने का नहीं हो सकता। और एलेक्टोरेट के इतमीनान के लिए अगर आप ऐसी डिमांड पेश करें तो यह आपके लिए उचित नहीं है। आप एक जमात के नुमाइंदे हैं, एक लाख वोटरों के प्रतिनिधि होकर आये हैं और आशा की जाती है कि जिम्मेदारी के साथ स्टेट के इंटरेस्ट में और जनहित के इंटरेस्ट में बोलेंगे, महज पापुलेरिटी हासिल करने के लिए नहीं कहेंगे कि मांगें पूरी कर दीजिये और टैक्सेशन खत्म कर दीजिये। फिर चलेगा कैसे?

बहुत से लोग कहते हैं कि पहले ७ करोड़ रुपया मालगुजारी थी और अब २२ करोड़ है तो १५ करोड़ काश्तकारों को बांट दीजिये। विकास का काम कैसे होगा? पहले विकास का कोई काम हमारे सामने नहीं था, उसके बाद हमने प्लानिंग रखा।

बहुत से लोग कहते हैं कि किसानों की गिरती हुई हालत को संभालने का कोई संकेत राज्यपाल महोदय ने नहीं किया। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि हालत गिरती जा रही है। जो लखनऊ में रहते हों, तारकोल की सड़कों पर चलते हों, सीमेंट की सड़कों पर सफर करते हों, वह भले ही किसानों की हालत को न जानें, लेकिन मैं जानता हूं। मैंने देहात से अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ा है। (व्यवधान) मैं इन बातों से घबराता नहीं हूं। पुराने लोग समझते हैं। ज्यादा टोकेंगे तो ऐसी चोट करूंगा जो याद रखेंगे। मुझे कह लेने दीजिये।

हमारे देहातों में तरक्की हो रही है। एक मित्र ने, स्वतंत्र पार्टी के डिप्टी लीडर ने कुछ आंकड़े पेश किये हैं और ठीक सिद्ध किया कि पैदावार कम हो रही है। जब उनके पूज्य पिता जी डायरेक्टर ऐग्रीकल्चर थे और हम कृषि मंत्री थे तो हमेशा आश्वासन दिया करते थे कि पैदावार बढ़ रही है, पैदावार बढ़ रही है। वह अपने पिता जी को गलत कहें, मैं तो नहीं कह सकता। तो मैं इन आंकड़ों पर जाता नहीं हूं और आंकड़े पेश नहीं करता।

मैं हमेशा पोलिटिकल बात जानता हूं और जो अपनी आंख से देखता हूं उस पर यकीन करता हूं। जब देहात में जाता हूं एलेक्शन के जमाने में, तो अबकी काफी मौका पड़ गया देहात में जाने का। क्या कोई ईमानदारी से कह सकता है कि देहात की हालत सुधरी नहीं है? आज

हमारा किसान आंख मिला कर बात करता है, अब वह भेड़ी नहीं करता, आंख मिलाता है। बहुत से लोग इसके शिकार हो गये —आंख मिलायी और न मिल सकी और उलट गये।

हमारा किसान बेहतर खाता है, बेहतर कपड़ा पहनता है। हंसने से काम नहीं चलेगा। हंसना कोई आगुमेंन्ट नहीं है। आपको खामोशी से सुनना होगा। वह बेहतर तरीके से रहता है और बेहतर तरीके से बात करता है। देखिये, आज गांवों में साइकिलों की तादाद कितनी बढ़ गयी हैं। हमेशा लग्जरी की चीजों के इस्तेमाल की तब जरूरत पड़ती है जब जीवन के लिये सभी जरूरी साधन मोहइय्या हो जाते हैं तब आदमी की नजर लग्जरीज की तरफ जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज कौन सा ऐसा घर है जिसमें साइकिल नहीं है। आज हर पंचायत राज सेक्रेटरी के पास साइकिल है। उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा उसमें लगा हुआ है। तो इससे क्या यह अन्दाजा होता है कि हालत गिर गई। आपको जेबा नहीं है कि झूठी बातें कहें, इससे जनता हतोत्साह होगी। हां, यह मैं मानता हूं कि जितनी अच्छी हालत होनी चाहिये उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उनकी माली हालत बढ़ी है। यह बात कहना गलत है कि माली हालत गिर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक जितने काम हुये हैं वह किसानों की उन्नति के लिये हुये हैं। कहा जाता है कि किसानों की तरक्की के लिये कुछ करते ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन किस की तरक्की के लिये हुआ? पहले किसान मुर्गा बनाये जाते थे, उनसे बेगार ली जाती थी और नजराना लिया जाता था . . .

कुछ सदस्य—आज भी ऐसा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आज ऐसा नहीं है। आज कोई राजा महाराजा भी मुर्गा बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता और न बेगार या नजराना ले सकता है। आज किसान को सीमा निर्धारण और दूसरे लैंड रिफार्म्स के कानूनों से लाभ पहुंचा है। आज वह मूंछें यूं करके और सीना तान कर चलता है और आपके दबाने से दब नहीं सकता। और मेरी ड्यूटी यह है कि देखूं कैसे किसी को कोई दबाता है . . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य शान्तिपूर्वक सुन नहीं सकते हैं। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। यों किसी को बीच में बोलने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

आप बाद में बोल सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को बोलने न दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे मित्रों की यह मांग है कि इम्पलायमेंट के प्रश्न को हल करना चाहिये। मैं कहता हूं कि हमारी सरकार ने इसके बारे में बड़े कदम उठाये हैं लाखों की तादाद में लोगों को इम्पलायमेंट दिया है और हमारी जो विकास योजनायें हैं उनके द्वारा लाखों आदमियों को इम्पलायमेंट मिलेगा। हमारा यह प्रयास एक कन्टीनुइंग प्रोसेस रहेगा। यह हो नहीं सकता कि सारा अनइम्पलायमेंट आज खत्म हो जाय। जब हम और आप इतनी तेजी के साथ आबादी बढ़ा रहे हैं और एजूकेशन का विकास कर रहे हैं तो फिर अनइम्पलायमेंट का कायम रहना जरूरी है। लिहाजा यह एक कन्टीनुइंग प्रोसेस होगा जिसके लिये सरकार प्रयास कर रही है। यह कहना कि सरकार कुछ कर नहीं रही है मैं बिलकुल सत्य से परे समझता हूं। यह केवल अपोजीशन फार अपोजीशन सेक है। अपोजीशन की तरफ से ऐसी बातें कही जानी चाहिये जिनसे हम कुछ फायदा उठा सकें। आम प्रोपेगेन्डा के लिये यह सदन मौजूं नहीं है, यहां तो ऐसे सुझाव दिये जाने चाहिये जिनसे हममें जो त्रुटियां हों उनको सुधार सकें और जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। जब आप रात को रात कहेंगे और दिन को दिन कहेंगे तभी यकीन आयेगा लेकिन अगर दिन को रात कहने लगेंगे तो उस पर न आम जनता को और न मुझे विश्वास होगा और न आपका कोई उद्देश्य ही पूरा होगा। कुछ मित्रों ने

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

फ्लड कंट्रोल के बारे में कई बातें कहीं। हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में फ्लड्स आते हैं। हमारे यहां बड़े-बड़े दरिया हैं और ऐसे दरिया हैं जो पहाड़ों से निकलते हैं, मैदानों में आते हैं तथा मैदान की जमीन को काटने में उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आज इस किनारे और कल उस किनारे इस प्रकार से कटाव होता है। ये सब दिक्कतें हैं। हम भी चाहते हैं कि उन पर किसी प्रकार का कन्ट्रोल हो लेकिन हमारी वित्तीय दिक्कतें हैं जिनके कारण सरे दस्त उन सबका मुकाबला करना असंभव है हालांकि हर साल परेशानियां होती हैं, नुकसान होता है, सरकार को बहुत सा पैसा उसके लिये खर्च करना पड़ता है। लेकिन हमारी दिक्कतें हैं। फिर भी हमने यू० पी० फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड कायम किया जिसने एक मास्टर प्लान तैयार किया। उसके लिये करोड़ों रुपये की आवश्यकता होगी। इन्हीं योजनाओं पर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तमाम बंधे वगैरह बनाये जा रहे हैं। सलेमपुरघाट बनाया जा रहा है बलिया में रेलवे स्टेशन को बचाने के लिये। (एक आवाज बरहज में) कट जाने दो। पाप कटे। कई स्थानों पर जैसे वाराणसी में घाट बनाये हैं। दूसरे स्थानों पर भी घाट बनाकर उनको बचाया है। अगर जरूरत होगी तो बरहज में भी करेंगे। कनखल में भी प्रबंध किया है। इस तरफ भी तमाम उद्योग हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सारे दरियाओं को हम मिसीसिपी बना दें तो यह हमारे काबू के बाहर की बात है क्योंकि हमारे पास इस समय इतना धन नहीं है।

किसी मित्र ने करप्शन की बात भी कही और कहा कि चकबंदी और सी० एल० आर० डी० स्कीम को खत्म कर दिया जाय। मैं समझता हूं हमारे मित्र ने उसके नतीजे को समझने की कोशिश नहीं की। यह प्लानिंग का आइटम है और इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसानों को इससे फायदा होगा। यह वह स्कीम है जिससे नाजायज तौर पर जो लोगों ने कब्जा कर रखा है उनको हटाया जायगा। मैं इससे कतई इत्तफाक नहीं करता कि करप्शन का कारण यह है। अगर स्पेसिफिक केसेज हमारे सामने लाये जांय और उसमें मुलाजिमान को सजा देने में मैं कोताही करूं तो मुजरिम करार दिया जाऊं। लेकिन उन लोगों के खिलाफ आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि आप लिख कर दे सकें। बगैर उसके हम कर ही क्या सकते हैं।

एक मित्र ने बिहार और यू० पी० की बाउन्ड्री के बारे में भी सवाल किया। शायद माननीय मैनेजर सिंह जी या गेंदासिंह जी ने यह सवाल उठाया। यह सवाल इस सदन में कई मर्तबा आ चुका है। हमारे और बिहार के दरमियान यह मामला तय नहीं हो सका। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब को आर्बीट्रेटर मुकर्रर किया है और आशा है कि इसका फैसला अब जल्द ही होने वाला है। इन शब्दों के साथ माननीय जगदीश शरण जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करता हूं और संशोधनों का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर साहब के बधाई के प्रस्ताव पर जो संशोधन हैं उनके सिलसिले में कुछ बहुत ठंडे दिल से विचार करने को सरकार से कहना चाहता था लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कोशिश की इन सारी बातों पर ठंडे दिल से विचार न हो सके, इसके लिये उन्होंने माननीय सदस्यों को विचलित करने की कोशिश की, कुछ ऐसी बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया है जिसमें आदमी सारी बातों को भूल कर उसी में अपने को नियन्त्रित करे। मैं समझता हूं कि उनका आदर न करना भी हमारे लिये मुनासिब न होगा। मैं उनकी बातों का भी थोड़ा सा उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यद्यपि वे यहां नहीं हैं, उनके और सहयोगी हैं और मेरी बात उनके पास तक पहुंच जायगी।

जयपुरिया जी कल राज्य सभा के लिये चुन लिये गये, इसके लिये उनको बड़ी चिन्ता है। श्रीमन्, अगर वे इतनी चिन्ता इस देश की इकोनोमी को दुरुस्त करने में किये होते तो आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जयपुरिया जैसे लोगों को इतनी शक्ति न मिलती। इस शक्ति को दिलाने की जिम्मेदारी और इस दश की डेमोक्रेसी को खतरे में डालने की जिम्मेदारी–जिससे इस देश के कुछ मुठ्ठी भर लोगों को गरीबों व कुछ थोड़े से मध्यम वर्ग के लोगों को, चुनाव में क्रय करने की ताकत मिलती है, इसकी जिम्मेदारी अपोजीशन को देना मैं समझता हूं न तो न्यायसंगत है और न बुद्धिसंगत है।

मैं चाहता हूं कि वे बहुत सी और बातों की तरफ ध्यान न ले जाकर कम से कम उन्हीं कागजात को दोहरायें, और मैं समझता हूं कि हर मिनिस्टर के कमरे में यह लिखा हुआ रहना चाहिये जो कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में सफलता हुई है। सरकार के कहने के अनुसार उनकी सफलता है, तो कम से कम उसको तो वे अपने सामने रखें कि उनकी सफलता क्या है। उनकी एक सफलता तो यही है कि सन् ५०–५१ में जो हमारे यहां प्रति व्यक्ति आमदनी २५७ रु० ६६ नये पैसे थी वह घट कर सन् ५९–६० में २४९ रु० ४७ नये पैसे हो गयी।

एक सदस्य––आबादी भी तो बढ़ी है।

श्री गेंदासिंह––इसमें कोई शक नहीं कि आबादी भी बहुत बढ़ी है। कहने के लिये भले ही कोई कह दे, लेकिन वास्तव में आप सब से पूछें कि किसने कितनी आबादी घटायी तो जो बूढ़े हैं वे भी उस काम में कमजोर नहीं हैं। इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं कि मानवता का अपमान करना है। आप संसार के किसी भी देश का नाम बतला दीजिये जहां आबादी बढ़ाने के काम को बन्द करके उस देश का विकास हुआ हो। बड़े बड़े विद्वान मौजूद हैं। मैंने यह सन्देह न मालूम कितनी बार उत्पन्न किया और मैं समझता हूं कि उसका जवाब भी उधर से आना चाहिये। संसार के जितने भी मुल्क आजाद हुए, जितने भी मुल्क अविकसित थे, उनकी आबादी बढ़ी और बढ़ेगी। किसी भी सिद्धान्त को मानने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि जो मुल्क दरिद्र होता है उसमें आबादी बढ़ती है और जिस मुल्क का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा होता है वहां की आबादी घटती है। मां-बाप अपने ऊपर बच्चे की कोई जिम्मदारी ही नहीं समझते हैं, वे तो उसे भगवान की देन समझते हैं। अगर वे समझते कि बच्चे की जिम्मेदारी हमारे सर पर आयेगी तो वे कम बच्चे ही पैदा करते। आप देहातों में गरीब खेतिहर मजदूर व हरिजनों की बस्ती में जाकर देखें कि वे चार चार-और पांच-पांच महीने तक कोदो के पुआल में एक साथ सट-सट कर रात में सोते हैं। अगर कोई आदमी इस तरह से चिपट कर चार पांच महीने तक सोयेगा तो फिर कौन है जिसमें यह माद्दा नहीं होगा जिससे बच्चा पैदा हो सके ?

मैं समझता हूं कि इतनी मोटी सी बात भी उधर बैठने वाले लोगों की समझ में नहीं आती है, तो फिर इस देश का दुर्भाग्य ही है कि इस देश का शासन उनके हाथ में है। वे चलते रहेंगे जब तक चलेंगे और भगवान की मदद से अबादी भी बढ़ती रहेगी। आबादी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि माननीय राजस्व मन्त्री या माननीय मुख्य मन्त्री एक, दो व्यक्ति न बढ़ायें तो उससे आबादी कम नहीं होगी, उससे कुछ नहीं होगा, यह एक, दो आदमियों से नियम नहीं बनता।

मैं यह बात कह रहा था कि स्टैंडर्ड आफ लिविंग कैसे बढ़ेगा। अब दो योजनाओं में जो अरबों रुपया हमें खर्च करना था वह तो कर लिया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह रुपया गबन हो गया या वह पानी में बह गया ? और अगर वह पानी में नहीं बहाया गया तो यह एक गम्भीर सवाल है इस को हंसी में उड़ाना बहुत ही अनुचित होगा। मेरा सौभाग्य है कि इस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में आ गये वह अपनी मिसाल से लोगों से अनुकरण करायें कि आबादी कम बढ़ायें। हम को उपदेश मिलता है इसलिये मैं ऐसा कहता हूं। तो मैं यह कह रहा था कि प्रति व्यक्ति आय जो ५०–५१ में २५७.६६ थी वह ५९–६० में २४९.४७ कैसे हो गई ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सारे भारत की आय ४२ प्रतिशत बढ़ी है और १६ प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय सारे भारत की बढ़ी है तो फिर यू० पी०

[श्री गेंदा सिंह---]

की क्यों घटी ? इसका कारण क्या है ? उत्तर प्रदेश की आय के घटने के माने हैं कि हमने जनता पर जितने भी टैक्स लगाये और जो कुछ भी हमने प्लानिंग के नाम पर व्यय किया, छोटे किसान से हमने मालगुजारी लेना इसलिये जरूरी समझा क्योंकि विकास के कार्यों के लिये पैसे की जरूरत है, टैक्स लगाना भी हमने इसलिये मंजूर किया क्योंकि विकास के कार्यों के लिये रुपया चाहिये। इस आवश्यकता को हम भी महसूस करते हैं कि आपने वह वसूल किया लेकिन यह अरबों रुपये का खर्च कहां हुआ।

जिस समय जयपुरिया खर्च करते हैं तो वह ऐसे रिटर्न्स लाते हैं कि जिस से वह तीस-मारखां बनते हैं और गुप्ता जी खर्च करते हैं तो दस साल बाद प्रति व्यक्ति आय गिर जाती है, किसान की चमड़ी उधेड़ कर अरबों रुपये वसूल कर लिया यह कहकर कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद तुम्हारी आय दुगुनी हो जायगी लेकिन वह और घट जाती है। मैं प्वाइंटेडली कहूंगा, इस सदन में मजाक की बात नहीं कहता चाहें, दूसरे कहें। एक जयपुरिया नहीं, मैं मजबूर हूं यह कहने में और मुझे डर लगता है, मैं बहुत ही भय आतुर हूं क्योंकि सब से बड़ी जिम्मेदारी प्रजासोशलिस्ट दल की है, हम उन कमजोरी का मुकाबला करना चाहते हैं परन्तु मेरी जानकारी है कि स्वतः माननीय मुख्य मन्त्री जी के दल वालों ने भी काफी छीना झपटी उसमें की है। वह ईमानदारी से पता लगायें कि यह सरकार जो उधर बैठी है जिसकी जिम्मेदारी सारे सूबे के मारेल को ऊंचा उठाने की है उसने अपने मारेल को कहां तक ठीक रखा है, उसने किसी दूसरी पार्टी के वोट चुराने की कोशिश की या नहीं ? यह देखने की बात है। आगे का हल जिस तरह से चलता है पीछे का हल भी उसी तरफ उसी तरह से चलेगा। आप दिल पर हाथ रखकर इस बात का पता लगायें कि उधर के दल ने दूसरी पार्टीज के मेम्बर्स को तोड़ने की कोशिश की या नहीं और क्या प्रलोभन उन्होंने दिये या नहीं ? ठाकुर साहब ने यह जिक्र बेकार ही छेड़ा, हमें दुख है, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं लेकिन इस प्रायश्चित में वह भी हमारे मददगार होते तो अच्छा होता। आज सारे देश का मारेल बिगड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है जिससे वह बरी नहीं हो सकती, जिम्मेदार हम भी हैं लेकिन सब से अधिक जिम्मेदारी सरकार की है। वह सारे मुल्क की एकानामी को भी चौपट कर रही है और सारे मुल्क को उस जगह ले जा रही है जहां करोड़पतियों और अरबपतियों के हाथ में सत्ता बिक सके।

मैं आपके सामने इस वक्त अगर उस बात की चर्चा न करूं तो मैं अपने असली पेशे को भूल जाऊंगा। आखिर किसान के पास पैसा आवे कहां से ? हमारी सरकार बड़ी दुहाई देती है कि सी० एल० आर० डी० की तरफ झुकाओ, मालगुजारी भी उनके ऊपर कम है, उसको बढ़ाओ, लेकिन रूरल इन्कम है क्या ? आपने अभी २५७ से २४९ की बात तो शहरी इन्कम की सुनी लेकिन रूरल इन्कम को अगर आप देखेंगे तो उसकी हालत यह है कि जहां उनकी इन्कम १९५०-५१ में २०२.७७ रुपये थी वह १९५९-६० में १८२.२२ रुपये हो गई। और उनसे हम चाहते हैं कि वह हर तरह के बोझ को उठावें और बरदास्त करें। मैं, श्रीमन, यह जानना चाहता हूं कि क्यों उन्हें दरिद्र बनाना चाहते हैं।

मैंने बहुत जोर दिया और माननीय चन्द्रजीत जी ने भी कहा कि यह शुगर इंडस्ट्री चन्द पूंजीपतियों के हाथ में न रहे। आप इन पूंजीपतियों के हाथ में इस शुगर इंडस्ट्री को रखकर देश को बरबाद कर रहे हैं। मैं बहुत गम्भीरता से इस बात का सुझाव दूंगा कि अगर आज सारी शुगर इंडस्ट्री को आप नेशनलाइज करके अपने हाथ में लेते हैं तो करोड़ों रुपये बच सकते हैं। मैं उस जिम्मेदारी को लेने के लिये तैयार हूं। पहले मुझसे कहा गया था कि कोआपरेटिव फैक्टरी का मैनेजर बनने को तैयार हो जाओ। मैं उस वक्त तो तैयार नहीं था लेकिन इस वक्त आप शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दें तो मैं एक साल में १५ करोड़ रुपये सरकार के खजाने में देदूं और अगर न दूं तो आप जो सजा मुझे चाहें दे दें और जिन्दगी भर के लिये मुझे जेलखाने में भेज दें। १५ करोड़ रुपये हर साल मैं लाकर सरकारी खजाने में रखूंगा और उससे छोटे किसानों की मदद की जा सकती है।

क्या पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त के पास उतनी बुद्धि नहीं थी जितनी कि आज की सरकार के पास है? पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त हजारी जमींदारी अबालिशन कमेटी के चेयरमैन थे और उनकी चैयरमैनशिप में उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि छोटे किसानों की मालगुजारी माफ की जाय। मैं जानना चाहता हूं कि कितने पैसे उनकी माल-गुजारी में माफ किये गये? यह न करके उनके ऊपर निरन्तर बोझ लादे जा रहे हैं। उनके सामान को आज किस भाव से खरीदा जा रहा है, उनको किस भाव से अपने सामान को बेचना पड़ता है और किस भाव से वह सामान खरीदता है क्या इसका पता सरकार को नहीं है? और, अगर सरकार को नहीं है तो फिर आप इस मुल्क की लुटिया डुबो देंगे, आप इस मुल्क को बचा नहीं सकते। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि जरा इस बात पर गौर करें जो मैं कहने जा रहा हूं। सन् १९५२ में शुगर की कीमत .१०४ थी, वहां आज उसकी कीमत एक वर्ष पहले .१२७ थी। अब शुगरकेन की कीमत देखिये। उसकी कीमत सन् १९५२ में जो .१११ थी वह पिछले साल .१०२ है। शुगर की कीमत तो .१०४ से .१२७ और शुगरकेन की कीमत .१११ से .१०२। सारे भारत में आधी पूंजी शुगर से यू०पी० में होती है और उस यू० पी० की हकीकत यह है कि किसान को अगर शुगर खरीदनी हो तो सवाई कीमत पर खरीदे लेकिन रा-मैटीरियल जो उसने पैदा किया है वह उसे १० प्रतिशत और १२ प्रतिशत कम पर बेचें। कहां से किसान पैसा लावे?

तीन आने रुपये की छूट बहुत लड़ने-भिड़ने के बाद सिंचाई पर की गई थी लेकिन फिर उसे खत्म कर दिया गया। किन फिगर्स पर और किन आंकड़ों के आधार पर सरकार ने उसे फिर से लगा दिया है। मैं ही नहीं, सारी दुनिया, यह जानना चाहेगी कि जब रूरल इन्कम २०२ से १८३ रुपये आये तो फिर किस आधार पर यह ३ आने रुपये की छूट वापस की गई। यह ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर बड़े ठंडे तरीके से हमारे समझने के लिये आपको देना पड़ेगा।

श्रीमन्, ज्यादा वक्त नहीं है। माननीय गवर्नर साहब ने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जिनका यदि मैं जिक्र न करूं तो उनका अनादर होगा।

उन्होंने एक बात बहुत ही गैरवाजिब कही और मैं समझता हूं उसके लिये जिम्मेदार सरकार है। सरकार को ऐसी बात गवर्नर के मुंह से नहीं कहलानी चाहिये। कहा गया कि इम्पार्शियल, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। मैं एक हिस्से को मानता हूं कि शांतिपूर्वक चुनाव हो गया....

श्री उग्रसेन--वह हम लोगों की वजह से हुआ।

श्री गेंदासिंह--मैं उग्रसेन जी की बात को मानता हूं, लेकिन उसमें सब का सहयोग मानिये। लेकिन निष्पक्ष कहा जाय यह गैरवाजिब बात है और सत्य से परे है। मैं बताऊं इस बात को पता लगाने के लिये सरकार तैयार है, जिनको सरकार का हर मेम्बर मानता है यह आदमी ईमानदार है, देश के लिये जरूरी हैं, यहां न कहा जाय लेकिन घर में बैठकर सब बात करते हैं, उनमें से कोई लौट कर नहीं आया। मैं चाहता हूं ४, ५ आदमियों के निर्वाचन क्षेत्र की जांच की जाय अपने को सही जगह पर पहुंचाने के लिये। एक तो हजरतगंज चुनाव क्षेत्र की जांच हो जिसमें माननीय त्रिलोकी सिंह जी का चुनाव हुआ जो माननीय चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध ११,००० वोट से जीते थे और जब माननीय किशोरी लाल माननीय त्रिलोकी सिंह के खिलाफ खड़े हुए तो उनकी जमानत जब्त हो जाय, जरा सुनने और समझने में अजीब लगता है .....

कुछ सदस्य--समय बदला है।

श्री गेंदासिंह--जी हां, जरूर समय बदला है और बदलेगा, घबड़ाइये नहीं। ऐसा समय बदलेगा जिस वक्त आप भी समय बदलना महसूस करेंगे। अभी तो आप बैठिये, मौज उड़ाइये, कुछ देर में समय बदलेगा।

[श्री गेंदासिंह---]

श्रीमन्, नारायणदत्त तिवारी जी हार गये । और मैं तो कहता हूं माननीय राम रतन गुप्ता के लिये एड़ी चोटी एक हुए, जरा वहां की भी जांच हो, गोंडा के चुनाव की जरूर जांच होनी चाहिये । मैं तो कहता हूं सब जगहों की जांच की जरूरत नहीं है···

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---आप भी अपने को जोड़ दीजिये ।

श्री गेंदा सिंह---मेरी भी जांच हो । अगर जांच हुई तो आपका बोलना बन्द हो जायगा । मैं अपने को आफर करता हूं । ५०,००० रु० जो खर्च किया गया उसकी जरा जांच तो हो, हिसाब तो लें । मैंने नहीं ५०,००० रुपया खर्च किया ।

श्री अध्यक्ष---आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं जवाब देने में ।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, निरादर होगा, अगर मैं उनकी परवाह न करूं । उनमें किसी को मैं छोटा नहीं समझता, सब को अपने से बड़ा ही मानता हूं । तो इस तरह मैं समझता हूं कि यह कहना चुनाव निष्पक्ष हुए हैं ठीक नहीं है । जुडिशियल सेंस आपको प्रीवेल करेगा हम लोगों के ऊपर, मैं तो कहता हूं कि मान लिया कि गवर्नर पर प्रीवेल न करे, माननीय मुख्य मंत्री पर प्रीवेल न करे, मगर जब ट्रिब्युनल्स के सामने चुनाव के मामले जायंगे, और जब यह कहा जा रहा है कि सरकारी अधिकारियों ने निष्पक्षता से काम किया है, तो क्या किसी ट्रिब्युनल के सामने मामला जाने पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ? जरूर पड़ेगा । अतः इस तरह नहीं कहना चाहिये था ।

मैं भी मानता हूं सरकारी अधिकारियों में थोड़े बहुत लोग ईमानदार भी हैं और उन्हीं खूंटियों पर सरकार आज टिकी हुई है । नहीं तो ऐसे लोग जो पक्षपात करने वाले हैं हमारे लिये और उधर के लोगों के लिये, और हम आप पर, यह सरकार नहीं टिकी हुई है । देश का शासन जनता के ऊपर है जो जनता ज्यादा ईमानदार है और कुछ लोग जो सिविल सर्विसेज में ईमानदार हैं उनके ऊपर यह शासन है । हम लोग उनको बिगाड़ने के लिये जिम्मेदार हैं । पंजाब में एक कहावत है हर लड़की सती बनना चाहती है लेकिन लुहेड़े लोग उन्हें बचने दें तो । हम उनको बिगाड़ रहे हैं । लेकिन एक बात मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी की बात है, न कहूंगा तो बहुत गड़बड़ी होगी । एक अक्लमंदी का काम यू० पी० और भारत की सरकार का सुन लीजिये । इस वक्त ऐसा लगता है कि कुछ करोड़ मन गन्ना खेत में खड़ा रह जायगा और उसके लिये सरकारी हुक्म है कि वह न पेरा जाय । क्यों न पेरा जाय ? इसलिये नहीं पेरा जायगा कि चीनी की बहुत बोरियां मिलों में इकट्ठी हैं और अगर चीनी ज्यादा बन जायगी तो इससे गड़बड़ी हो जायगी । १४ रुपये टैक्स के हैं एक मन पर । मिल मालिक यह कहता है कि थोड़ी सी हमें छूट दे दी जाय तो गन्ना पिर जाय लेकिन सरकार कहती है कि छूट नहीं देंगे । हम यह प्लीड करते हैं विरोधी बेंचेज की तरफ से १४ रुपये जो सरकारी टैक्स का है उसे छोड़ दिया जाय पूरा नहीं तो थोड़ा सा छोड़ दिया जाय और वह सारा गन्ना पेर लिया जाय । १४ रुपये छूट होने पर उस गन्ने की चीनी बन सकती है । लेकिन गन्ना खेत में खड़ा रहे और सरकार कहती है कि १४ रुपये वह छूट नहीं देगी । चाहे वह गन्ना खेत में खड़ा रहकर सूख कर बरबाद हो जाय लेकिन सरकार कहती है कि वह १४ रुपये का घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकती । किसानों का गन्ना सूख जाय, उनकी बरबादी हो जाय लेकिन यह सरकार उसे अपना नुकसान क्यों नहीं समझती और १४ रुपये की छूट को ही अपना नुकसान क्यों समझती है ।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि न तो मालगुजारी माफ करने में ही दिक्कत हो सकती है और न यही कि जो संशोधन रखे गये हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । सरकार इस बात को समझने की कोशिश करे तो उनको कार्यान्वित किया जा सकता है और अगर कार्यान्वित किया जा सकता है तो आय के साधन भी इकट्ठे किये जा सकते हैं जिनको कि मैंने

चन्द शब्दों में बताया भी है कि आय के साधन इकट्ठा किये जा सकते हैं। फिर सारा काम हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इन संशोधनों के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिये।

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के सम्भाषण के सिलसिले में जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसके अनुमोदन के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव के संबंध में जो संशोधन पेश किये गये हैं उनको मैंने पढ़ा और उनके संबंध में जो भाषण दिये गये उनको मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की और कुछ के बारे में जानकारी हासिल की। मान्यवर, संशोधनों से यह पता चलता है कि कई साथियों को इस बात की शिकायत है कि राज्यपाल के संबोधन में जो कुछ प्वाइंट्स उनकी दृष्टि में अधिक महत्व के हैं वे उसके अन्दर नहीं आये हैं। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का संबोधन कोई लम्बी सूची नहीं होती है इस बात की कि हर इंसान के दिमाग की जो उड़ान है, वह जहां तक पहुंच सकता है, उस सबका समावेश उसमें किया जाय। वह सिर्फ एक मोटी सी आउटलाइन होती है, एक स्केच होता है, जिसमें सरकार के कुछ काम, उसका प्रोग्राम, उसकी पालिसी होती है उनका संकेत मात्र इशारा होता है और कोई अधिक डिटेल्स की बात उसमें नहीं होती है। राज्यपाल महोदय ने स्वंय यह कहा चूंकि यह सरकार नई आई है, डिटेल्स पालिसी के जिस समय बजट पेश होगा उस समय पेश किये जायेंगे।

एक परेशानी मेरे सामने और आई। जो कि यहां संशोधन पेश हुये हैं यदि उनको बारीकी से देखा जाय तो एक दूसरे के प्रति वे इतने कांट्रेडिक्टरी हैं कि जिससे यह बात समझ में नहीं आती कि उनमें से किसको आथेंटिक दृष्टिकोण माना जाय विरोधी पक्ष का और किस को न माना जाय। यह इस बात का प्रमाण है कि ये जो संशोधन हैं इनको देख कर ज्ञात होता है कि आज के दिन विरोधी पक्ष पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बटा हुआ है। उसके सामने न कोई कामन पालिसी है, न कोई कामन आइडियोलाजी है, न कोई कामन प्रोग्राम है। इसलिये ऐसी स्थिति में मैं यह आशा करूंगा कि ऐसे कांट्रेडिक्टरी जो प्वाइंट्स दिये गये हैं उनका समावेश राज्यपाल महोदय के संबोधन में कर सकना संभव नहीं था।

मान्यवर, जो भाषण दिये गये उनको जब मैंने सुना तो जिन प्वाइंट्स पर संशोधन दिये गये हैं उनको कहीं टच नहीं किया गया है। एक तो मान्यवर, चूंकि अभी आम चुनाव से हम लोग निकल कर आये हैं उसका एक बड़ा भारी भूत सवार है हमारे साथियों के ऊपर और चाहे कोई आइडियालोजी कामन हो या न हो, एक बात जरूर कामन है कि कहने को चुनाव के अन्दर बड़ा पक्षपात हुआ, अनियमिततायें हुई और इसी तरह की बहुत सी बातें हुईं। दूसरी बात जो आज की डेमोक्रेसी में सब से बड़ा मजाक है वह यह है कि हर दल ने, चाहे उसको आस्था और विश्वास जनतंत्र में हो या न हो, उसके प्रति बड़े आंसू बहाये। मुझे यह सुन कर खुशी भी हुई क्योंकि चाहे आस्था हो या न हो बार बार दुहाई देने से मुमकिन है किसी वक्त उन लोगों के दिमाग बदल जायं जिन्हें बुनियादी तौर पर भारतीय जनतंत्र के प्रति आस्था नहीं है।

सब से पहली जो आपत्ति की गयी नेता, विरोधी दल की तरफ से, उन्होंने तीन, चार बातें कहीं। एक तो यह कि ८० बैलट पेपर्स ड्राअर के अन्दर पाये गये। मैं जानता नहीं कि उसका संबंध किस चीज से था। एक बात उन्होंने बड़े जोर से कहा गोंडा के संबंध में कि वहां पहले एक आदमी कामयाब हो गया और उसके बाद दूसरा आदमी कामयाब हो गया। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की लेकिन समझ में नहीं आया कि प्रदेशीय सरकार तस्वीर में कहां आती है। एक आदमी ने रिकाउन्टिंग की दरख्वास्त दी। एलेक्शन कमीशन के सर्वोच्च अधिकारी गोंडा पहुंचते हैं। दोनों की बात सुनते हैं और फिर फैसला देते हैं कि रिकाउन्टिंग होगी। उसके बाद जो गलती थी वह पकड़ी गयी। अब गलती थी या नहीं उसके लिये उनको अधिकारहै कि

[श्री नवलकिशोर—]

पेटीशन कर सकते हैं। मगर प्रान्तीय सरकार इसमें बीच में कहां आ गयी जो उन्होंने इस तरह की आपत्ति उठायी।

दूसरे मान्यवर, हरदोई के लोमामऊ और बलरामपुर की घटनाओं की चर्चा की गयी। यह बात सही है कि इन दुर्घटनाओं का चुनाव से संबंध है। लेकिन क्या यह संतोष की बात नहीं कि इतने बड़े प्रदेश में जहां करीब ४ करोड़ वोटर्स हैं, जहां ४३० कांस्टीटुएंसीज हैं, जहां हजारों की तादाद में उम्मीदवार थे वहां बड़े शान्तिपूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न हुआ? मुझे इस बात का दुःख है कि एक साहब ने यहां यह कहा कि लोमामऊ की इन्क्वायरी एकाएक रोक दी गयी। वाकया यह नहीं है। वाकया यह है कि लोमामऊ में जनसंघ और कांग्रेस के दो कैम्प लगे थे। उनमें झगड़ा हुआ। उसकी कोई मैजिस्टोरियल इन्क्वायरी नहीं की गयी थी। चूंकि पुलिस ने फायरिंग की थी इसलिये नियमों के अनुसार इस बात की जांच की गई कि फायरिंग अपनी जगह पर सही थी या नहीं। यह कहना कि इन्क्वायरी रोक दी गयी, यह बात बिलकुल गलत है। केवल दो दिन के लिये जब वहां चुनाव थे कार्यवाही रोक दी गयी थी, उसके बाद कार्यवाही की गयी और वह सम्पन्न भी हो चुकी और उसकी रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत है। इन दो बातों को लेकर के सारे चुनाव के लिये कोई बात कह देना मेरी समझ में उचित नहीं है। मैं माननीय गेंदासिंह जी को इस बात को लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम एक बात मानी कि चुनाव शान्तिमय तरीके से सम्पन्न हुए, चुनाव निष्पक्षता से हुये इसका सब से बड़ा सबूत यह है कि आज १८१ आदमी माननीय गेंदासिंह के साथ बैठे हुये हैं चाहे वे आपस में मेल खाते हों या न खाते हों। अगर पक्षपात किया गया होता तो इतनी तादाद में हमारे भाई उधर न आ पाते।

इसके अलावा हमारे माननीय मित्र श्री नेकराम शर्मा ने भी सिकन्दराराऊ की बहुत-सी बातें बतायीं और यह परिणाम निकालने की कोशिश की कि उनके क्षेत्र के अन्दर कांग्रेस की तरफ से बहुत सी गलत बातें हुई। वे शायद भूल गये कि वहां कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं था। जो कांग्रेसी उम्मीदवार खड़े थे उनकी अकस्मात मृत्यु हो गयी थी वरना चुनाव की तस्वीर शायद दूसरी होती। उन्होंने कहा कि बड़ा पक्षपात हुआ। अगर इस बात को मान भी लिया जाय कि पक्षपात हुआ तो जो कांग्रेस के अलावा पार्टियां थीं उन्हीं के साथ तो पक्षपात किया गया क्योंकि कांग्रेस का कैंडीडेट नहीं था। लिहाजा जो दोषारोपण किये गये कि कांग्रेसी उम्मीदवारों के साथ पक्षपात किया गया, मैं समझता हूं कि यह बेबुनियादी और फैंटेस्टिक बात है जो हाउस के सामने कही गई है और जिसकी शिकायत यहां आई है वह सब निराधार है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिये। मैंने आपको बुलाया नहीं है।

श्री नवलकिशोर—माननीय नेकराम जी ने जो फरमाया उसको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उसका कारण यह था कि मेरा और उनका सौभाग्य या दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले दस सालों में हम और वे दोनों एक साथ बैठे। मैं उन स्थितियों तथा कारणों में नहीं जाना चाहता जिनके कारण उनका हम से संबंध विच्छेद हुआ। लेकिन जिन विचारों को उन्होंने इस आदरणीय सदन में रखा उनसे मुझे थोड़ी-सी हैरानी और परेशानी हुई। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसा जो जिक्र किया गया कि जनतंत्र खतरे में है सो जनतंत्र को इस तरफ से कुछ भी खतरा नहीं है। आज जो राजनीति में अवसरवादिता आ गई है, अनुशासनहीनता आ गई है तथा पार्टी के प्रति वफादारी जो जनतंत्र और प्रजातंत्र की बुनियाद है उसके अन्दर कमी आ गई है तो उसके कारण जरूर प्रजातंत्र खतरे में है और वह उसके लिए घातक हो सकती है। आज जो नये एसोसियेशन्स बन रहे हैं जिनसे, कुछ साम्प्रदायिक तत्वों का आपस में गठबंधन हुआ है, वह जरूर ऐसी चीज है जो देश के और प्रदेश के जनतंत्र के लिये जरूर घातक हो सकती है।

मान्यवर, मुझे हैरत होती है जब समाजवादी दल की ओर से आक्षेप किया जाता है कि साम्प्रदायिकता को बढ़ाने में सरकार का हाथ है। कौंसिल आफ स्टेट में अभी चुनाव हुये हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो सुना जा रहा है यदि उसको सही माना जाय और यदि आप उसे देखें तो बात स्पष्ट है कि समाजवादी दल के उम्मीदवार को सेकिंड प्रीफ्रेन्स श्री अटल बिहारी बाजपेई और जैपुरिया जी का मिला। मैं यह सुनकर हैरत में रह गया कि इनका कौन-सा गठबंधन है कि समाजवादी पार्टी को सैकिन्ड प्रीफ्रेन्स जनसंघ और जैपुरिया जी का मिल रहा है, जो साम्प्रदायिक तथा पूंजीपति हैं। मान्यवर, मुझे तो यह महसूस हुआ कि उनकी कहने की बात और है और अमल करने की बात और है।

मान्यवर, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिये मैं एक बात कहकर खत्म करता हूं। होम डिपार्टमेंट के संबंध में यहां पर कुछ बातें कही गई हैं। कुछ बातें तो ऐसी थीं जो जनरल नेचर की थीं और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में मैं एक, दो बातें कह देना चाहता हूं ताकि गलतफहमी दूर हो जाय। एक साथी ने यह कहा कि ९ बालमीकियों को जेल में बिना किसी दफा के लगाये बंद कर दिया गया। शायद यह मथुरा की बात है। जो भी आदमी वहां जेल में गये हैं वे स्पेसिफिक दफाओं में कंविक्ट हुए हैं और उनके अन्दर जेल में गये हैं। एक साहब ने शिकायत की थी कि उन्होंने कुछ अपने थाने में कुछ रिपोर्ट की चुनाव के दौरान में लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। लेकिन वाकयात से पता चलता है कि यह गलत है। जो उन्होंने रिपोर्ट की थी, शायद गौरी शंकर राय जी के क्षेत्र की बात है, उसको दर्ज किया गया और उसकी जांच भी की गई और मामला और वाकयात जैसे पाये गये उसी के अनुसार उस पर अमल किया गया।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही नहीं है कि उनको प्रमोशन देकर इंसपेक्टर बना दिया गया है ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष—यह जो बातचीत आपस में होने लगती है, ठीक नहीं है।

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, मैं इस बात से इंकार करता हूं कि किसी का प्रमोशन किसी खास बिना पर किया गया है। हमारे यहां कायदा है कि जब कभी कोई टेम्पोरेरी पोस्ट खाली होती है तो उस वक्त जो सीनियर आदमी होता है उसको टेम्पोरेरी चांस दे दिया जाता है। डिटेल्स का मुझे पता नहीं है लेकिन मैं इस बात से एम्फैटिकली इनकार करता हूं कि किसी आदमी का प्रमोशन किसी और कंसीडरेशन से किया गया है।

अन्त में एक बात और कहूंगा। माननीय नेता विरोधी दल ने रिजर्व बैंक की रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि गांवों के अन्दर कर्जा बढ़ता जा रहा है। उसको अपने नियोजन से लिंक करने की कोशिश की। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। १९५०–५१ के अन्दर जो सर्वे हुआ था, उसके बाद जहां तक मेरी जानकारी है, कोई दूसरा सर्वे नहीं हुआ है और हमारा फर्स्ट फाइव इयर प्लान १९५१ में शुरू होता है। लेकिन उन्होंने नतीजा यह निकाला कि हमारे नियोजन के बाद रूरल इंडेटेडनेस बढ़ती गयी है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल बेबुनियाद बात है। एक बात जरूर है कि दो जिलों में मिर्जापुर और देवरिया में बाद में भी सर्वे हुआ और जो आंकड़े उनके मेरे पास हैं उनसे यह साबित होता है कि इनडेटेडनेस ज्यादा तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी मात्रा में इन दो जिलों में कम हुई है। लिहाजा यह कहना बेबुनियाद बात थी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा कि कल को काउन्टिंग में किसी पार्टी ने किसी विशेष व्यक्ति को वोट दिया। यहां पर गुप्त वोटिंग होती है। तो क्या उसका जिक्र यहां सदन में किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह नहीं बतलाया कि उन्होंने खुद देखा था। मुमकिन है कि सुनी हुई बात उन्होंने सदन में कही हो।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने दल की ओर से आदरणीय सदन के समक्ष संशोधन प्रस्तुत कर दिया है। सर्व प्रथम आपके सामने यह निवेदन करूंगा कि आपने कई बार जिक्र किया, जब उस दिन हम सदन से उठने लगे तो आपने हमारे बहिर्गमन पर कुछ टिप्पणी की और एक व्यवस्था सी दे डाली। श्रीमन्, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मगर हम एक चुने हुए विधायक के नाते अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं। आपकी व्यवस्था से हम असहमति प्रगट कर सकते हैं और समय पर निश्चय करने के बाद वाक आउट भी कर सकते हैं। मैंने रात थोड़ी सी मेहनत की और एक लाइन मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस से पढ़ देना चाहता हूं—

"*Discretionary Powers of the Speaker*—Under usage when a complaint of breach of privilege is raised he has to decide whether a *prima facie* case has been made out which would justify such proceedings taking precedence over the other business of the House."

आपने प्रिविलेज की बात कही और आपने मदरास के नियमों का हवाला दिया। जब विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आपके समक्ष लाया जायगा तब आप व्यवस्था दे सकेंगे। इस पर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। एक बुड्ढा दार्शनिक थोरो हो गया है। उसकी दो लाइनें पढ़ देना चाहता हूं। जो कुछ मैंने श्रीमन् किया वह कर्तव्य से बाध्य होकर किया। वह मेरे अन्तरात्मा की पुकार थी। थोरो लिखता है—"यह हो ही नहीं सकता कि इंसान अपनी आत्मा को कानून के हवाले कर दे। अगर ऐसा होता तो फिर हर आदमी के लिए आत्मा की जरूरत क्या थी?" मैं समझता हूं हमको इंसान पहले और प्रजा बाद में होना चाहिए। कानून की इज्जत करनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं जितनी सच्चाई की। श्रीमन्, इन परिस्थितियों में हमने वाक आउट किया, मुझे इस बात की खुशी है। मैं आशा करता हूं कि आपको संतोष हो गया होगा।

मंत्रिमंडल के विस्तार के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयीं। माननीय नेता विरोधी दल ने आंकड़े रखे। इस प्रदेश में जो पहले पहल मंत्रिमंडल बना उसकी क्या संख्या थी। अब मैं हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों के आंकड़े श्रीमन् आपके द्वारा सदन के समक्ष रखता हूं। आसाम में १५। १० मंत्री हैं २ उपमंत्री हैं और ३ दूसरे मंत्री हैं। मद्रास में ९ मंत्री हैं। बिहार में २१ हैं, ९ मंत्री हैं, ४ राज्य मंत्री हैं और ८ उपमंत्री हैं, मंत्रिमंडल की संख्या २१ है। पश्चिमी बंगाल में १६ मंत्री हैं। पंजाब में ३१ मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में १५ मंत्री हैं, ११ मंत्री और ४ उपमंत्री। राजस्थान में ३२ मंत्री हैं, १६ मंत्री, ८ उपमंत्री और ८ सहायक मंत्री—कुल ३२ हैं। आन्ध्र में कुल १६ मंत्री हैं, १० मंत्री हैं और ६ राज्य मंत्री हैं। महाराष्ट्र में ३१ हैं—१७ मंत्री हैं और १४ उपमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में ४३ और दो और होने वालों को मिलाकर ४५। १६ मंत्री, ४ राज्यमंत्री, ११ उपमंत्री और १२ सभा सचिव। यह पूरी संख्या है। तो सब प्रदेशों को देखते हुए यह बड़ा विशाल मंत्रिमंडल है। इस सिलसिले में मैं इंगलैन्ड के प्रसिद्ध अखबार गार्जियन की टीका भी उपस्थित कर देना चाहता हूं। यह अंग्रेजी में है हुजूरवाला, सुन लें, मैं फिर बाद में उसकी हिन्दी भी कर दूंगा।

"*London, March* 19,.....The size of the State Cabinets was 'scandalously large' the journal said, adding that in Uttar Pradesh, where the party lost 38 seats, the number of ministers has set up from 26 to 43.'

यानी गार्जियन अखबार लिखता है कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल बहुत स्कैंडलसली, अब उसको घृणास्पद ढंग से कहिए या हास्यास्पद कहिए—बड़ा है। पार्टी ने ३८ सीटें खोयीं मंत्रियों की संख्या जो पहले २६ थी वह २६ से बढ़कर के ४३ हो गई।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो माननीय गुप्ता जी ने एशिया में जनतंत्र का एक नया उदाहरण कायम किया है। दुनिया के इतिहासकार और राजनीतिज्ञ इसके ऊपर गौर फरमायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने निवेदन किया कि यह मंत्री बना दिये जायेंगे जब चुनकर के आ जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं ऐसी परम्परा नहीं मिलेगी चाहे वह कम्यूनिस्ट ख्रुश्चेव का देश हो, चाहे माओ का चाइना हो, चाहे फ्रांस या स्विटजरलैंड या इंगलैन्ड या अमेरिका हो जहां

जहां से कि हमारे संविधान की धारायें ली गई हैं कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हेड आफ दी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स ने यह कहा हो कि यह चुन करके आ जायेंगे तो मंत्री बना दिये जायेंगे। यह तो मत पर प्रभाव डालना है ताकि लोग यह समझ जायं, मतदाता यह समझ जायं कि यह अगर चुन जायेंगे तो मंत्री हो जायेंगे। मुख्य मंत्री जी ने जनतंत्र की यह बड़ी भारी हत्या की है। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस ने क्या किया? बक्से तोड़े या वोट चुराये? लेकिन मंत्रिमंडल के प्रमुख की यह घोषणा कि चुनकर आयेंगे तो मंत्री बना दिये जायेंगे किसी तरह भी ठीक नहीं कही जा सकती। यह तो वैसे ही है जैसे कि एक देहात की कहावत है कि तालाब तो बाद में खोदा गया, घड़ियालों ने पहले ही डेरा डाल दिया।

मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे मैंने इंग्लैंड की स्थिति का भी अध्ययन किया। ब्रिटेन एक बहुत बड़ा देश है। उसमें भी देखा कि यहां तो बहुत से विधान परिषद के लोग भी मंत्री बनाये गए हैं लेकिन इंग्लैंड में प्रथम श्रेणी के मंत्रिमंडल के सदस्य कुल १७ हैं और उस १७ में १५ हाउस आफ कामन्स के हैं केवल दो ही हाउस आफ लार्ड्स से लिये गए हैं। उनके लिए तो यह बड़ा आसान है किसी को लार्ड बना देना। फिर वह हाउस आफ लार्ड्स का सदस्य हो गया और उसे वह मंत्रि परिषद् में ले सकते हैं। लेकिन जनतंत्र की मर्यादा कितनी है उनके अन्दर कि १७ मंत्रि-परिषद् के सदस्यों में से १५ हाउस आफ कामन्स से लिये और केवल दो ही हाउस आफ लार्ड्स के लिये। माननीय नवलकिशोर जी को बड़ी परेशानी है कि जैपुरिया के मतदाताओं ने हमारी पार्टी को सेकेंड प्रेफरेंस दे दिया या अटल बिहारी बाजपेयी को दे दिया। लेकिन आप मुद्दों पर जाइए। जिस सदन में आप बैठे हों और जहां बापू की मूर्ति विराज रही है। जिनके मुद्दे पर आप चलते हैं, जिनके पदचिन्हों पर आप चलते हैं उनकी तरफ भी जरा गौर कीजिये। आप जहां पर बठते हैं वहां पर ज्वालामुखी पहाड़ गिरनेवाला है। वह कब गिरेगा भगवान् जाने और इस प्रदेश की जनता जाने लेकिन हमने तो उसको गिराने की बहुत चेष्टा की।

आम चुनाव का यहां पर जिक्र किया गया कि उसमें क्या-क्या धांधली हुई। मेरे पास माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र है। माननीय मदन पांडेय जी के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी पधारते हैं और वहां पर कहते हैं कि गंडक की बाढ़ का कभी मदन पांडेय जी ने यहां पर जिक्र नहीं किया और कभी गन्ने की बात भी उन्होंने नहीं सदन में उठाई। हमारे उम्मीदवारों ने यानी कांग्रेस के ही उम्मीदवारों ने इन प्रश्नों को सदन में उठाया है। इस तरह की बातों का वहां पर प्रचार किया गया। मदन पांडेय जी ने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा। गंडक नदी के बारे में मैंने असेम्बली में सवाल उठाये थे और इस विषय में विधान सभा की कार्यवाही को देख लिया जाय कि मैंने इन प्रश्नों को उठाया या नहीं। गेंदासिंह जी ने गन्ने के प्रश्न को बहुत बार इस सदन में उठाया है। इस बात को भी कार्यवाही मे देख लिया जाय। इस पत्र के विषय में मदन पांडेय जी ने मुख्य मंत्री को लिखा कि १२ फरवरी से पहले इसका उत्तर उनको भेज दिया जाय। मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर २८ फरवरी को भेजते हैं और फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं पड़ता कि इस प्रकार की बातें मैंने कहीं पर कही हैं और किस प्रकार से कही गईं। हम क्या करें हमको कोई मौका नहीं मिलता है कि हम अपना कोई मित्र उनको दें जो उनको याद दिलाया करे। आम निर्वाचन में और क्या क्या बातें हुई उनकी तफसील यहां पर और नहीं देना चाहता हूं। केवल एक सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं जिससे जनतन्त्र में लोगों का विश्वास पैदा हो और दूसरे लोगों की भी आस्था उसमें हो।

श्रीमन्, आप जानते होंगे कि इंग्लैंड में क्या होता है। चुनाव के पहले सम्राट मंत्रिमंडल को भंग करके केयरटेकर सरकार वहां पर बनाते हैं और तब चुनाव कराते हैं। मुख्य मंत्री का सरकुलर निकलता है कि मंत्री लोग मोटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती और फैजाबाद में जब मंत्री लोग पधारते हैं तो बराबर मोटरों का प्रयोग करते हैं और पचास हजार रुपया उसमें खर्च हो जाता है। यह प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का खर्च नहीं होता है। सरकार को ६ महीने पहले भंग होना चाहिये। मैं सिद्धान्त

[श्री उग्रसेन]

के आधार पर यह बात कहता हूं कि सरकार के भंग होने पर हमारे देश में चुनाव होने चाहिये तभी असलियत मालूम हो सकती है और हम लोगों को भी यहां पर कहने का अवसर नहीं होगा कि सरकार ने इस प्रकार से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया।

दूसरी बात मैं आपके सामने योजना के संबंध में रखना चाहता हूं। हमारे मंत्री महोदय हुकुमसिंह जी यहां से चले गये। उनकी कृपा हमारे ऊपर तो विशेष रूप से रहती है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि उनके समाजवाद में क्या हो रहा है और यह किस प्रकार का समाजवाद है। मैं इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि माननीय जवाहर लाल जी और माननीय चन्द्रभानु गुप्त के समाजवाद में क्या हो रहा है। नेशनल सैम्पुल सर्वे के अनुसार ६ करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो ५ आने या ५ आने से कम पर प्रति दिन गुजर करते हैं और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री पर २६ हजार रुपया रोजाना खर्च होता है। हमारे दफ्तर से एक किताब छपी है जिसकी कीमत २ पैसा रखी गई है, उसमें बताया है कि इस ४४ करोड़ आदमियों के देश में ६ करोड़ ऐसे आदमी हैं जो ५ आने या ५ आने से कम पर प्रतिदिन अपना गुजर करते हैं। ४ करोड़ लोग ऐसे हैं जो ४ आने या ४ आने से कम पर गुजर करते हैं। २ करोड़ लोग २ आने से कम पर प्रतिदिन गुजर करते हैं। मंत्री लोगों के कुत्तों पर जितना खर्च होता है उससे कम भी भारत के इन्सान को नहीं खाने को मिलता है। हमारे जिले देवरिया में गोबर का अनाज मजदूर लोग निकाल कर खाते हैं। इतनी गरीबी है कि लोगों को कपड़ा पहनने को नहीं मिलता है। हमारे यहां प्रदेश में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी गांवों को देखा था और उनके विषय में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। उसकी जांच के अनुसार पाया गया कि ४.४ फीसदी परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुल जोती जाने वाली जमीन का केवल एक प्रतिशत ही है। ऊपर के बड़े किसान जो कुल २ प्रतिशत हैं, २५ एकड़ और उससे ज्यादा जमीन पर काश्त कराते हैं।

कांग्रेसी सरकार के राज्य में पूंजी सिमट कर कुछ आदमियों के हाथ में चली गई है। टाटा के पास सम्पत्ति २९० करोड़ है। बिड़ला के पास २९२ करोड़, मफतलाल के पास २३ करोड़, बालचन्द के पास २० करोड़, महेन्द्रा के पास १४ करोड़, डालमिया, जैन के पास ५० करोड़, मार्टिन के पास ८८ करोड़ की पूंजी जमा है। करीब २८ हजार कम्पनियां हैं जिनकी पूंजी २८०० करोड़ है जो श्रीमन्, मुश्किल से १२, १३ परिवारों के पास है। यह उनका समाजवाद है। कहते हैं कि पैसा कहां है? १० बीघे तक का लगान हटाने के लिये प्रे सोशलिस्ट पार्टी ने बार-बार नारा लगाया, केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि प्राफिटलेस एग्रीकल्चर पर कर नहीं होना चाहिये। चरण सिंह जी ने भी माना कि सवा ६ एकड़ की जोत अलाभकर है। और फिर, आप देखें कि उससे मालगुजारी कितनी कम होती है। आपको कुल १० करोड़ का घाटा होगा। साढ़े १९ करोड़ तो फिर भी आप पायेंगे, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि उससे हमारी सरकार चल नहीं पायेगी।

श्रीमन्, मेरे साथी गेंदा सिंह जी ने गन्ने का काफी चर्चा किया। बड़ा हौव्वा दिखाया जाता है कि गन्ने का एकरेज बढ़ गया। माननीय राज्यपाल बहुत परेशान हैं कि २५ लाख एकड़ गन्ने की खेती बढ़ गयी। श्रीमन्, अमरीका की आबादी १७ करोड़ है और वहां १ करोड़ टन चीनी साल में खपत होती है जिसमें ७० लाख टन चीनी वह बाहर से मंगाता है। वहां मिठाई खाने का रिवाज नहीं है। हमारे यहां ४४ करोड़ की आबादी है और यहां खपत है ३० लाख टन। चीनी के दाम की बात भी इसके साथ जुड़ी है। चीनी पैदा करने में २० रुपये मन का खर्च आता है, लेकिन सरकार उसे ४० रुपये मन पर बिकवाती है। २ रुपये १२ आने की जगह १४ रुपया टैक्स का बढ़ा दिया गया। आज २५ लाख एकड़ बढ़ जाने का नारा, चीनी का दाम न घटाना या यह कहना कि इतना गन्ना मिलें नहीं ले सकतीं, इन सबके पीछे मिल मालिकों का एक खास मकसद है और उसमें गुप्त जी को सरकार योग दे रही है। उनका मकसद है कि गन्ने का दाम घटा दिया जाय। लड़ाई के जमाने से दाम

बढ़ गया है । अगर सोशलिस्ट पार्टी की दाम नीति यह सरकार मान लेती कि कारखाने में जो सामान बने, उसकी लागत के ड्योढ़े दाम से ज्यादा उसका दाम बाजार में नहीं होना चाहिये तो चीनी का दाम १२ आने सेर से ज्यादा का नहीं होना चाहिये । हमारे यहां कम से कम ५० लाख टन चीनी तो लोग खा सकते हैं । लेकिन आज दाम बढ़े रहने से लोग चीनी खा नहीं सकते । एक जसवंत मिल है जो अक्टूबर तक चला करती थी, लेकिन हमारी देवरिया की मिलें हैं कि जो बन्द होने वाली हैं । तो मिल मालिकों की यह साजिश है और उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान इसको बरदाश्त नहीं करेगा । अगर सरकार इस बात का ऐलान कर दे कि खेत में एक भी गन्ना खड़ा न रहेगा तो ठीक है । मजदूरों को मिलों के अन्दर लिया जाय और हमारे गन्ने की खपत करायें । इतना होने से हम समझेंगे कि हमारी यह सरकार है नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा कि यह सरकार टाटा और बिड़ला की सरकार है, हमारी नहीं । आप योजनाओं का नारा लगा रहे हैं लेकिन हमारी आमदनी कम हो गयी । जो २१२ रुपये आमदनी थी उसकी जगह यहां के ग्रामीण की आमदनी १९३ रुपया रह गयी है । आप देखें कि रिक्शावालों की तादाद बढ़ गयी, पढ़े लिखे बेकारों की तादाद बढ़ गयी । तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि कम से कम गन्ने का प्रबन्ध माननीय मंत्री जी अवश्य करेंगे ।

एक बात और बतलाऊं यह योजना की किताब है । हमने जब दाम नीति की मांग की तो कहा गया कि हम भी प्राइस पालिसी बनायेंगे, लेकिन आप देखें कि इंडेक्स महंगायी दाम के कहां के कहां चले गये । १९५२–५३ में जब १०० की फीगर थी वह आगे चल कर ९९.२ हुई, उसके बाद वह १०६.२ हुई, उसके दो बरस बाद वह ११२.१ हुई और १९५९–६० में वह ११२.६ हो गयी है । यह सारे देश के दामों के चढ़ाव-उतार का एक चित्र है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें और सोशलिस्ट पार्टी की दाम नीति को अपनायें ।

श्रीमन्, १७ नवम्बर को एक बड़े दुख की बात हुई जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिला दूं । १७ नवम्बर को दर्जा ३ से अंग्रेजी लाद दी गयी । उस समय जो कुछ इस संबंध में माननीय राजनारायण जी ने कहा उसको सदन ने सुना । अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी दर्जा ६ से पढ़ाई जाती थी और आज कांग्रेस के जमाने में अंग्रेजी दर्जा ३ से कर दी गयी । क्या यही पूज्य बापू के आदेशों का पालन किया जा रहा है ? बापू जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान में जब तक अंग्रेजी चलेगी, तब तक हिन्दुस्तान गुलाम रहेगा । सम्पूर्णानन्द जी ने भी एक भाषा संबंधी कांफ्रेंस बुलवाई जिसमें लिपियों के संबंध में विवाद हुआ । इस पर करोड़ों रुपया केंद्रीय और राज्य सरकार का व्यय हुआ । उसमें भी देवनागरी लिपि पर जोर दिया गया । मगर माननीय सी० बी० गुप्ता ने एक हुक्मनामा निकाल कर अंग्रेजी को दर्जा ३ से कर दिया । मैं पूछता हूं कि दर्जा ३ को पढ़ाने वाला अध्यापक, जो अब तक पढ़ाता था और अंग्रेजी नहीं जानता था, निकाल दिया जायेगा ? बापू जी ने कहा था कि राष्ट्र भाषा को बढ़ाओ, मगर आज हिन्दी का सत्यानाश किया जा रहा है । मैं तो गुजरात गया, उज्जैन गया, मध्य प्रदेश गया और भी जगह गया । वहां मैंने देखा कि एक मिल का नाम 'जायसी' था । एक गली का नाम विक्रमगंज था । और हमारे यहां "हेयर कटिंग सैलून" लिखा मिलेगा । यह सब क्या है ? पंचायत सेक्रेटरियों को पत्र जाते हैं वह भी अंग्रेजी में जाते हैं । वे उसको पढ़ नहीं पाते । तो यह हालत है । (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो मिनट और दे दिये जायं ।

साम्प्रदायिकता का बड़ा जोर रहा । दंगों की बात कही गयी । मेरठ में दंगे हुये । उसके लिये आपको मालूम है, हमारी पार्टी के नेता डा० लोहिया को अपील छपवा कर बांटी गयी और उसको समाप्त करने के लिये प्रयत्न किया गया । मगर आप तो हिन्दू, मुसलमान के दिमागों को खराब करते हैं । मेरठ में एक कोतवाल मस्जिद को गिरवाता है, माननीय गुप्ता जी वहां जाते हैं और उसकी मरम्मत के लिये ७,००० रुपये की मदद देते हैं । मैंने माना

[श्री उग्रसेन]

कि जनसंघ के लोगों ने अलीगढ़ में दंगे करवाये, मगर सरकार का क्या कर्त्तव्य था ? आपके पास पुलिस थी, मिलीटरी थी, आप दंगों को रोक सकते थे । मैं तो कहता हूं कि जब तक हिन्दू, मुसलमान के दिल का मैल दूर नहीं होगा यह दंगे नहीं रुक सकते ।

अब मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं । श्रीमन् नैपाल बांध बनेगा । उसकी स्वीकृति हो गयी है । लेकिन कहते हैं कि वहां मजदूर नहीं मिलते । दिक्कत पड़ रही है । मैं यह बतला दूं कि अगर यह शीघ्र नहीं बनाया गया तो करीब ५० लाख लोग देवरिया और गोरखपुर आदि जिलों के तबाह हो जायेंगे । गोरखपुर, देवरिया दोनों बह जायेंगे अब की बाढ़ में । अभी डेढ़ महीने का वक्त है । मैं अभी से चेतावनी देना चाहता हूं । अगर मजदूर नहीं मिलते तो आप मिलीटरी से काम लीजिये । चीन में हांगहो एक नदी है, उसकी बाढ़ के खतरे से बचने के लिये वहां के ३० लाख आदमियों ने ६ महीने तक श्रमदान किया । मैं कहता हूं कि आप उसको बनवाइये, वरना आपके बैठने के लिये भी खतरा पैदा हो सकता है । सरकार भी डूब जायेंगी । इसलिये मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदय हमारे संशोधन को तो मान लें ।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक सूचना आयी है कि माननीय सहकारिता मंत्री बोलना चाहते हैं । क्या वह बोलेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां मौका मिला दो रोज से अपने माननीय मित्रों की बात सुनने का, और हम सब, चाहे सरकारी पक्ष के सदस्य हों और चाहे दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य हों, सब एक संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, एक संविधान को मानते हैं और मैं यह मानता हूं कि अपने देश की उन्नति के लिये हर एक हम में से सजग है । हमने जनतंत्रीय परम्परा और पद्धति को स्वीकार किया है और हमें विश्वास है कि इस माननीय सदन में जहां सरकारी पक्ष की ओर से पूरी पूरी कोशिश की जाय कि जितना भी जनतंत्रीय पद्धति का पालन कर सकें वह करें, साथ ही उसके बढ़ाने में विरोधी पक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है । मुझे विश्वास है कि माननीय दुबे जी और गेंदा सिंह जी के नेतृत्व में मुख्य विरोधी पक्ष इस बात का खयाल रखेंगे कि प्रजातंत्रीय पद्धति हमारे मुल्क में बढ़े और पनपे । क्योंकि हम सब एक वृक्ष और एक शाख पर बैठे हुये हैं । अगर हम जनतंत्रीय पद्धति को देश और प्रदेश में बल देते हैं, उसमें जनता की श्रद्धा बढ़ती है तो हम सब अपने अपने ढंग से जनता की सेवा करने का मौका पा सकते हैं अगर उन्हीं मूल-भूत जनता के विश्वास को कहीं हमारी नासमझी से चोट लग गयी तो मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उससे हमको नुकसान होने वाला है, देश और प्रदेश का नुकसान होने वाला है ।

चुनाव के बारे में दो बातें कही गयीं । महामहिम राज्यपाल के संबोधन पर ३ आक्षेप हुए मुख्य रूप से । एक तो जब यह कहा गया कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष हुये तो उसपर सबसे ज्यादा आरोप लगाया गया कि वह निष्पक्ष नहीं हुये । दूसरे कहा गया कि मंत्रिमंडल जो बढ़ाया गया उस पर बड़ा खर्च होगा । तीसरे हमने कोई तरक्की नहीं की पिछले १५ सालों में । ये आरोप खास तौर से दुबे जी द्वारा किये गये । मैं प्रयास करूंगा कि उनका उत्तर दूं और सच्चे वाकयात को सामने रखने की कोशिश करूं । पहले तो जनतंत्र पद्धति में लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ने वालों की हैसियत में नहीं होते हैं । कुछ नियमों के अनुसार चुनाव होते हैं । हमें गर्व है कि हम जनतंत्रीय पद्धति के अनुसार चल रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं जो कि एशिया के लिये एक आशा की झलक है । तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है । तो जिस तरह से खेल में तीन पक्ष होते हैं, दो खेलने वाले और एक अम्पायर, उसी तरह से चुनाव के खेल में भी एक तरफ तो कैन्डीडेट्स हो गये और दूसरी तरफ अम्पायर होता है । खेल चल नहीं सकता यदि कोई पक्ष यह कह दे कि अम्पायर ही निष्पक्ष नहीं है । लेकिन मैं कहूंगा

कि माननीय सदस्यों के दिल इस बात की गवाही देते होंगे कि छोटे-मोटे झगड़ों की बातों को छोड़कर आम तौर से चुनाव निष्पक्ष हुये हैं। यहां अम्पायर कौन है ? गवर्नमेंट चुनाव नहीं कराती है। एलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। एलेक्शन कमिश्नर के हाथ में सारी ताकत होती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की आस्था हम नहीं छोड़ सकते, पब्लिक सर्विस कमीशन की आस्था हम नहीं छोड़ सकते उसी तरह से यदि ऐलेक्शन कमीशन की आस्था और निष्पक्षता में हमें विश्वास नहीं रहता है तो यह जनतंत्र पद्धति के खिलाफ जाता ह। तो चुनाव का जिम्मेदार कौन ? एलेक्शन कमीशन। अगर एलेक्शन कमीशन के लिये सारी मशीनरी खड़ी की जाय तो बड़ा खर्चा होगा और वह हम सहन नहीं कर पायेंगे लेकिन जो मशीनरी चुनाव संबंधी मामलों में सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी लगाये जाते हैं वह एलेक्शन कमीशन का हुक्म मानने के लिये बाध्य हैं न कि सरकार का हुक्म। ऐसी दशा में उस अम्पायर, एलेक्शन कमीशन, की निष्पक्षता के संबंध में हमें सोचना चाहिये।

मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो चुनाव हुये उसमें दो, एक जगह कुछ गड़बड़ियां हुई हों लेकिन जैसा कि मानीय गेंदा सिंह जी ने भी माना कि चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुये। यह बात सही है कि इतने बड़े प्रदेश में जिसकी आबादी साढ़े सात करोड़ हो, ४३० सीटों के चुनाव में अगर एक दो, जगह कुछ झगड़ा भी हो गया जो कि नहीं होना चाहिये था लेकिन ४२७ चुनावों में यदि कोई ऐसी बात नहीं हुई तो कम से कम शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। फिर भी कुछ माननीय सदस्य कह सकते हैं कि हरदोई और बलरामपुर में कुछ हो गया इसलिये शांतिपूर्ण नहीं कह सकते। अगर कोई मनुष्य संतुलन खो बैठा हो, वह किसी पार्टी का हो तो वह कलंक की बात है और उसकी जांच होगी, अदालत से निर्णय होगा, और मैं समझता हूं कि हम में से हर आदमी को उसे धिक्कारना चाहिये जिसने कि अशांति की। लेकिन महामान्य राज्यपाल ने जो कहा वह सबको मानना चाहिये कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुये।

अब मैं निष्पक्ष तरीकों से काम करने पर आता हूं। माननीय नेता विरोधी दल का चुनाव इस प्रदेश में बड़े संघर्ष का चुनाव हुआ। जो चीजें भी सही या गलत कही गई हों इधर या उधर से लेकिन मेरा खयाल है कि दुबे जी और उनके साथी इस बात का सर्टिफिकेट देंगे कि वहां के अधिकारियों ने बड़ी कुशलतापूर्वक और निष्पक्षता से काम किया। जहां पर कि पचास-पचास हजार की पलटन एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी वहां अधिकारियों ने दोनों को काम करने दिया। मैं समझता हूं कि दुबे जी दिल से सर्टिफिकेट दे रहे हैं और मुझे मालूम है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बधाई दी शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये। फिर इस कांग्रेस राज्य में कांग्रेस ही डेमोक्रेसी की परम्परायें कैसे तोड़ सकती है? वही तोड़ सकते हैं जो कि यह चाहते हैं कि यह परम्परायें मिट जांय तो हम शक्ति में आ जांय। कांग्रेस की आधार शिला प्रजातंत्र है तो फिर वह उसको कैसे तोड़ सकती है। हमारा संगठन डेमोक्रेटिक है। इसमें जो पावर में आते हैं वे सब डमोक्रेटिक तरीके से पावर में आते हैं, उसके आर्गेनाईजेशन का तरीका डेमोक्रेटिकट है, उसकी सारी हिस्ट्री डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक तरीके से उसका बिल्ड अप हुआ है, ऐसी पार्टी किस प्रकार से अपनी परम्पराओं को छोड़ सकती है और किस प्रकार यह बरदाश्त कर सकती है कि अनडैमोक्रेटिक तत्व पनपें।

यह सच है कि कांग्रेस ने कुछ सीटें खोईं। इसका हमें भी अफसोस है, हमें भी इसका गौरव नहीं है। यह हमारी कमी है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं बाअदब अर्ज करूंगा कि आप अपनी तरफ भी तो देखें। हाल के चुनावों में आपका (पी० एस० पी०) का क्या हुआ ? किस तरीके से वोट पाये। पिछले चुनाव में पी० एस० पी० ने ३१ लाख ७० हजार वोट प्राप्त किये थे लेकिन इस चुनाव में उसको २० लाख और कुछ हजार वोट ही प्राप्त हुये हैं। यानी ११ लाख वोट उसने लूज किये हैं। जनसंघ ने ८ लाख गेन किये हैं। चाहे उसके कितने ही सदस्य अधिक चुन कर आये हों लेकिन जब कि पहले उसको २१,५०,००० वोट प्राप्त हुये थे, इस चुनाव में उसको २९ लाख वोट मिले हैं, केवल ८ लाख गेन किये हैं। इस तरह

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

से पहले जो पी० एस० पी० मुख्य पार्टी थी, उसके स्थान पर आज जनसंघ मुख्य विरोधी-दल है। कोई भी अपोजीशन हो, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। कोई भी पार्टी जो जनतंत्र में विश्वास करती है, उसे मैं वेलकम करता हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि जनतंत्र परम्परा से आया हुआ एक स्वस्थ अपोजीशन हो। लेकिन हुआ क्या ? पहले मेन अपोजीशन एक पार्टी थी आज दूसरी है। अगर कल कोई और चीज हो जाती है और मेन अपोजीशन कोई दूसरी पार्टी आ जाती है तो वह किस बात का सूचक है ? उसे स्वस्थ्य अपोजीशन नहीं कहा जा सकता। पहले सदन में ४ पार्टियां थी आज ६ पार्टियां हैं। क्या किसी विरोधी पार्टी की शक्ति बढ़ रही है ? इस पर आज यह कहना कि जिस सीट पर चन्द्रभानु गुप्ता जी हारे थे उस पर श्री त्रिलोकी सिंह जी की जमानत जब्त हो गयी, यह सरकारी पक्ष का दोष है, यह बात नहीं है। किशोरी लाल जी से तो इसलिये आप हार गये लेकिन जनसंघ से कैसे हार गये। आपकी हार के पीछे असली चीज तो यह है कि आपने झूठे वायदे किये। श्री चन्द्रभानु गुप्त जी को हराने के लिये फरजी बातें कहीं थीं, उनको पूरा नहीं किया। जनता बेवकूफ नहीं है। उसने उसी से प्रभावित होकर यह डिसीजन लिया।

श्री राजेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मंत्री जी बार-बार "आप" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि वह "आप" शब्द का प्रयोग आप के लिये कर रहे हैं अथवा और किसी के लिये ?

श्री अध्यक्ष---लखनऊ का यह कायदा है कि कभी-कभी थर्ड परसन के लिये भी "आप" शब्द का प्रयोग लोग कर देते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैं अर्ज कर रहा था छोटी-छोटी बातों से जहां अधिक वोट होते हैं कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। हो सकता है जहां चन्द वोट हों वहां कुछ असर पड़ सकता है, जैसा कि हो सकता है राज्य सभा के चुनाव में हुआ। थोड़े वोटों में पैसा लेकर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि तो वह शर्म की बात है, चाहे वह किसी की तरफ से भी हुआ हो। लेकिन जनरल पब्लिक को इस प्रकार से बिट्रे नहीं किया जा सकता। वहां तो उसको नाराज करने का ही असर पड़ सकता है, कहीं दंगा फिसाद हो गया हो, कहीं जातीयता या सांप्रदायिक आधार से कुछ हो गया हो, इस प्रकार का तो असर पड़ सकता है। किसी साथी के काम का बुरा असर पड़ सकता है। लखनऊ के बारे में कुछ कहना अगर पी० एस० पी० के दोस्तों को बुरा लगता है तो मैं उसे बन्द कर देता हूं। मैं यह कह रहा था कि यह फैक्ट है कि ३१ लाख ७० हजार से घट कर आपके वोट २० लाख ही रह गये, यानी ११ लाख कम हुये। जिस पार्टी के लिये यह उम्मीद की जाती थी कि वह उत्तर प्रदेश में एक सबल विरोधी पार्टी बन सकेगी, वह इतना गिर रही है इसके लिये सब को अफसोस होना चाहिये और आप सभी को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। इससे कोई क्या नतीजा निकालेगा।

एक बात जो विरोधी पक्ष की तरफ से कही जाती है कि कांग्रेस सरकार ने अपनी पार्टी को दुरुस्त करने लिये मंत्रिमंडल को बढ़ाया है, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल भ्रमात्मक है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो इस देश में प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार कायम किये हुये है और जिनका कायम रहना न केवल कांग्रेस के हित में है बल्कि देश के हित में है कि कांग्रेस मजबूत रहे, जब तक कि कोई विरोधी दल प्रजातांत्रिक ढंग में विश्वास रखने वाला सबल नहीं हो जाता कि जो दूसरे दिन गवर्नमेंट लेने के लिये तैयार हो। माननीय नेता विरोधी दल देखें कि महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर जो भिन्न भिन्न विरोधी दल की तरफ से संशोधन दिये गये हैं वे एक दूसरे से टकराते हैं जब उनके आपसी सिद्धांत ही एक दूसरे से टकराते हैं तो यह कैसे संभव है कि वह कांग्रस सरकार जो प्रजातांत्रिक तरीके से कायम है उसको हटाया

जा सके, क्योंकि एक दल तो ऐसा है जिसका प्रजातंत्र में ऊपर से तो विश्वास है लेकिन अन्दर से नहीं है और किसी दल का अन्दर से विश्वास है लकिन ऊपर से नहीं है। यहां तक कि शपथ लेते हुये भी कुछ लोगों ने संविधान के कुछ अंश में ही विश्वास की बात तक कह दी। जब ऐसे लोग मौजूद हैं तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का सबल रहना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस की स्टेबिलिटी के लिये तो विरोधी दल के लोगों को हमारे देश के नेताओं को धन्यवाद देना चाहिये।

मंत्रिमंडल के संबंध में माननीय दुबे जी ने कहा कि कांग्रेस की पहली मिनिस्ट्री जब सन् ३७ में बनी थी तो उसमें ६ मिनिस्टर्स और १२ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और उन पर करीब ६६ हजार रु० खर्च था। आज के आंकड़े देते हुये उन्होंने बतलाया कि मंत्रिमंडल पर ४ लाख ७५ हजार रुपये के करीब खर्च है। उससे भी जरा आगे वे बढ़ जाते जब कि गवर्नर शासन था और वे केवल दो, तीन या चार एक्जीक्यूटिव कौंसिलर्स की सहायता से काम करते थे। लेकिन इसके साथ ही माननीय नेता विरोधी दल को यह नहीं भूलना चाहिये कि आज हम समाजवादी ढांचे की ओर बढ़े हैं और आज का हमारा बजट भी पहले से डेवलप है। उस वक्त का बजट १२ करोड़ ३४ लाख रुपया का था जब कि आज का बजट १५४ करोड़ के करीब है जिसमें से मंत्रिमंडल पर ४ लाख ७५ हजार रुपये का खर्चा बतलाया गया है। आज सारे काम बढ़े हैं, हमने तमाम सारे विकास के काम लिये हैं जो पहले नहीं थे। यदि हम केवल कोआपरेशन विभाग को ही लें तो उस समय मुश्किल से २ हजार के करीब समितियां थीं और सन् ४८ में ८ हजार समितियां थीं, जब कि आज करीब ७२ या ७५ हजार के करीब समितियां हैं।

एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि जहां पहले से तेरह गुना बजट बढ़ा है वहां मंत्रिमंडल पर बढ़ा हुआ खर्चा केवल सात गुना आता है। कहना तो यह चाहिये कि अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाय तो उस खर्चे में ४० प्रतिशत की कमी ही हुई है। उस वक्त जब कि ६ मिनिस्टर और १२ पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी थे जो डिप्टी मिनिस्टर्स का काम करते थे, इस तरह से १८ आदमी थे। फिर एक अजीब बात दुबे जी ने पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज के लिये कही। उन्होंने कहा कि यह कह देना कि वे अवैतनिक हैं और दस रुपया रोज भत्ता लेंगे। क्या कोई भी सदस्य अपने को इतना हेय समझ सकता है कि केवल १० रुपया रोज के लिये वह यहां काम करता है? क्या कोई सदस्य जो सदन में भाग लेता है केवल दस रुपये के लिये ही यहां बैठता है? ऐसा कहना बिल्कुल असत्य है और यह एक अपमान है यहां के माननीय सदस्यों का अगर कोई ऐसा सोचता है। वह हिस्सा लेते हैं....

श्री अध्यक्ष—आप का समय समाप्त।

श्री अवेद्यनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करने के लिये जो आपने हमें अवसर दिया है उसके लिये हम अपना आभार प्रदर्शित करते हैं।

(इस समय १ बज कर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री केशव गुप्त पीठासीन हुये।)

माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति श्रद्धा रखते हुये और उनके संबोधन के प्रति भी श्रद्धा रखते हुये संशोधन के संबंध में अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने सदन के सामने जो भाषण दिया है उसमें नैतिकता के लिये कोई भी स्थान नहीं दिया है जब कि राष्ट्र को उसकी नितान्त आवश्यकता है।

मान्यवर, आम चुनावों के संबंध में भी राज्यपाल महोदय ने यह मोहर लगाई कि चुनाव निष्पक्षता से सम्पन्न हुये हैं। इस संबंध में सदन के बहुत से सदस्यों ने अपने-अपने स्थानों की बातें रखी हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जो मेरे ऊपर बीती है उसके संबंध में सदन के सामने कुछ रखना चाहता हूं। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से महन्त दिग्विजय नाथ जी लोकसभा के लिये खड़े हुये थे और जब उस चुनाव की मतगणना १ बजे रात को समाप्त हुई, उस समय २५३ वोटों

[श्री अवेध्यनाथ]

से वह विजयी बताये गये थे लेकिन १४ घंटे के बाद मामला बदल गया । उस समय जो रात को अधिकारी वर्ग वहां उपस्थित था उससे कहा गया कि आप इस परिणाम की घोषणा कर दें लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि लोकसभा के रिटर्निंग आफिसर जिलाधीश महोदय होते हैं लेकिन जब जिलाधीश महोदय को मालूम हुआ कि महन्त जी जीत रहे है तो वह एलेक्शन आफिस से घर जा कर सो गये । उनके यहां फोन किया तो चपरासी ने बताया कि कलेक्टर साहब सो गये हैं । उसके बाद १४ घंटे के बाद नतीजा सुनाया गया और ३२०० वोट से उनको पराजित घोषित किया गया मैं भी मानीराम क्षेत्र से चुनाव लड़कर आया हूं । इस समय वहां पर पुलिस आतंक जिस रूप में व्याप्त है उससे वहां की जनता आतंकित हो उठी है । आज भी कितने ही निर्दोष लोगों पर १०७ दफा एक तरफा चलाई जा रही है । इसलिये मैं इससे सहमत नहीं हूं कि राज्य में चुनाव निष्पक्ष सम्पन्न हुये हैं । इस चुनाव में सरकारी अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं से अधिक सतर्क और सचेष्ट कांग्रेस को विजयी बनाने में देखे गये । कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं और सरकारी कर्मचारियों का एक संयुक्त षड्यन्त्र शासनारूढ़ दल को विजयी बनाने के लिये चल रहा था ।

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के भाषण के उस अंश की ओर आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने टेक्निकल शिक्षा और विशेषकर गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने और टेक्निकल स्कूल खोलने के बारे में सुझाव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं । आज देश को टेक्निकल शिक्षा के साथ-साथ प्राइमरी शिक्षा के उत्थान की भी उतनी ही आवश्यकता है । साथ ही यूनिवर्सिटी और दूसरे कालेजेज में जो अनुशासन-हीनता व्याप्त हो गयी है उसको दूर करने के लिये भी राज्यपाल महोदय को इस संबोधन में संकेत करना चाहिये था ।

राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में, जो अल्प संख्यकों के लिये भाषा के संबंध में प्रोत्साहन दिया है, उससे साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला है । इस शासन में अभी तक तो केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक विख्यात थे, लेकिन अब नानाप्रकार के अल्पसंख्यक, जातिवाद और श्रेणीवाद इस सेकुलरवाद के गर्भ से जन्म ले रहे हैं ।

मैं राष्ट्रभाषा हिन्दी को राजकाज की भाषा घोषित न होने पर भी खेद प्रकट करता हूं । साथ ही मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत से बन्धुओं ने साम्प्रदायिकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि इससे देश का बड़ा अहित हो रहा है । लेकिन मैं इस सदन के बन्धुओं से जानना चाहता हूं कि आजतक क्या साम्प्रदायिकता की कोई भी परिभाषा निश्चित हो सकी है ? "साम्प्रदायिकता" और "समाज-वाद" ये दोनों ही शब्द भ्रामक हैं । आज साम्प्रदायिकता उसी को कहा जाता है जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध भावना पाई जावे और यही अर्थ इस शब्द का लोगों के मस्तिष्क में जम गया है । अब यह भी होता है कि नाना प्रकार के अर्थ इसके निकाले जाते हैं और निकाले जा सकते हैं । यह भात खाते हैं, यह कोट पहनते हैं, इस प्रकार से नाना प्रकार की अल्प संख्यक श्रेणियों का सृजन इस कांग्रेसी शासन में हो सकता है ।

बस इस समय में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रदर्शित करती हूं कि आपने मुझे मौका दिया । महामान्य राज्यपाल महोदय के संबोधन के हेतु जो माननीय सदस्य जगदीश शरण जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसके अनुमोदन में कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं । मान्यवर, राज्यपाल के सम्बोधन में जिन नीतियों का प्रतिपादन हुआ है वे वही हैं जो आगामी सत्र में विधायकों के द्वारा आने वाली हैं और जो तीसरी योजना के सम्पादन के लिये होंगी । एक पुस्तक

में पूरी नीतियों और कार्यों का जिक्र नहीं किया जा सकता जो प्रदेश की इतनी बड़ी जनता की बहबूदी के लिये होती है। मैं कहना चाहती हूं कि आलोचना की दृष्टि से अलोचना न करके यदि विरोधी दल के सदस्य प्रदेश में हुये कार्यों के बारे में पुस्तकों को देखते, आंकड़े देखते जिनमें १९४७ से ६१ तक हुए कार्यों की चर्चा है तो उन्हें मालूम होता कि हमारे प्रदेश का नकशा आज बदल गया है उस नक्शे से जो अंग्रेजों के समय में था। उन समस्याओं को बहुत कुछ अपनी सरकार ने हल कर लिया है जो अंग्रेजों के समय में थीं। उन आंकड़ों से मालूम होता है कि १९४७ से ६१ तक प्रदेश की जनता की जो आवश्यक बातें हैं, जिनका संबंध जीवन से होता है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, उद्योगधंधे एवं आवास आदि, तो आपको मालूम होग कि किस तरीके से विस्तार हुआ है, उन कार्यों का प्रतिपादन हुआ है। जितने हमारे साधन हैं, जितनी हमारी आवश्यकतायें हैं, मैं मानती हूं सब पूरी नहीं हुई। उनमें त्रुटियां हो सकती हैं, आवश्यकतायें अधिक हैं, किन्तु उन आवश्यकताओं को इस प्रकार आलोचना करके दूर नहीं किया जा सकता। हम एक उत्तरदायित्व की कुर्सियों पर बैठे हैं, दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों पर बराबर उत्तरदायित्व है, वास्तव में आज हम जिसकी आलोचना करते हैं वह व्यक्ति की आलोचना है, एक पार्टी की आलोचना है। आज हमारा यह उत्तरदायित्व नहीं है कि हम इस प्रकार के विरोध के लिये ही आलोचना करें, बल्कि ऐसे ठोस सुझाव दें, उन त्रुटियों को बतायें जिनका बताना आवश्यक है, जो हमारे लिये रचनात्मक सिद्ध हो सकती हैं अगर उन पर अमल किया जाय तो।

तीन दिन से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव प्रशासन के बल पर जीता है, आज कांग्रेस ने जो चुनाव में बेईमानी की है उसी का प्रतिफल है विजयी होना। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहती हूं कि आपके प्रति दी भी आपसे यही बात कह सकते हैं, आपकी ऐसी ही आलोचना कर सकते हैं। इसका परिणाम क्या होगा? यही होगा कि जिस गणराज्य की कामना हम और आप करते है, लोकतन्त्र की परम्पराओं को स्थापित करने के लिये हमें और आपको उत्तरदायित्व प्राप्त हुआ है, जनता का उस लोकतन्त्र के प्रति विश्वास कम हो जायगा। उस जनता में मतदान के प्रति विश्वास कम हो जायगा। परिणाम वही होगा जो आज हिन्दुस्तान के नजदीक के देशों में हो रहा है। आज अगर दूसरे देशों को देखें तो आज एशिया के अनेक देश स्वतंत्र होते हुये भी पराधीनता में बदल गये हैं। आप दूर न जाइये। केवल चन्द दिन की घटना है। सीरिया में मिलीटरी शासन हो गया है। इस प्रकार से अपने देश को हम एक मिलीटरी शासन में देने के लिये जनता का विश्वास खो देंगे। आज आपके प्रदेश में जो कुछ भी काम हो रहा है और जो नहीं हो रहा है उसमें मैं मानती हू कि कुछ त्रुटियां भी हैं। इस सरकार को जिस तेजता से वे काम करने चाहिये थे, न करके शिथिलता से किये हैं। लेकिन उसकी जिम्मेदारी केवल इधर की ही नहीं है। आपको भी है। आप भी उसी जनता के मत से आते हैं। जिस जनता के सामने आपने अपनी नीतियां रखी थीं, अपना विश्वास रखा था आज उसी जनता ने आपको पार्टी की प्रथम पंक्ति में बैठने वाले नेताओं को पराजित भी कर दिया। आज अगर आप इन नीतियों और इन विश्वासों के द्वारा ऐसे कार्य करें, जिन कार्यों से जो विश्वास आप पर से जनता का उठ गया है, वह पुनः प्राप्त कर सकें तो वास्तव में आपको भी, प्रदेश को शक्ति मिलेगी तथा आपको प्रदेश की जनता के कार्यों के लिये लगन है।

उस पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कल इस बात की आलोचना भी की कि आपके मुख्य मंत्री दो बार पराजित हुये और उसके बाद आज इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहती हूं कि यदि पराजित हुये तो उसी जनता के द्वारा हुये और विजयी हुये हुये तो जनता ने ही विजयी बनाया। इससे सिद्ध होता है कि जनता को उन पर विश्वास हो गया और उन पर उत्तरदायित्व देने का भरोसा हो गया। किन्तु विरोधी दल की पार्टियां चोटी के नेताओं को विजयी करके नहीं ला सकीं। तो आज केवल एक पार्टी को दोष देना, उसकी आलोचना करना ही खाली आपका उत्तरदायित्व नहीं है।

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

जब आप इस सदन में आये थे तो उस समय इस बात के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि हम सदन की स्वस्थ परम्परा को रखना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा आपने यह चाहा था कि हाउस की परम्परा, स्वस्थ वातावरण को रखने के लिये हम आपसे आशा करते हैं। लेकिन वह हाउस के अन्दर की सीमित परम्परा है। लेकिन आपका क्षेत्र केवल सदन तक ही सीमित नहीं है। पूरे प्रदेश के लिये है। तो मैं यह कहूंगी कि आपका अपना उत्तरदायित्व भी ऐसा व्यापक है जिससे आपको जागरूक होना चाहिये। आपको उन कार्यों को करना चाहिये, उन सुझावों को देना चाहिये जिनकी इस समय प्रदेश की जनता को आवश्यकता है। जो इस सरकार के अन्दर कार्य करने की त्रुटियां हैं उनको हल करने के लिये ठोस सुझाव आपको देने चाहिये, न कि केवल आलोचना करके और एक दूसरे की निन्दा करके केवल विरोध के लिये विरोध करना ही विरोधी दल का कार्य है।

कई माननीय नेताओं ने कहा कि हमारे इस चुनाव की जांच हो लेकिन जब जांच का क्षेत्र बतलाया तो केवल उन जगहों को बतलाया जहां कि उनके अपने नेता पराजित हुये हैं लेकिन जिन जगहों में स्वयं विजयी हुये हैं उनकी जांच की क्या आवश्यकता नहीं है ? क्या वहां शासन द्वारा पक्षपात नहीं हुआ ? यह तो निहायत निराधार और मिथ्या आरोप है, जिसके लिये यह कहना कि केवल जांच वहीं हो जहां कि हमारे नेता हारे हैं। आज मैं भी एक ऐसे क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूं जहां अधिकतर मजदूर लोग ही मतदाता थे। उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास प्रकट किया। जनता देखती है कि आज भी त्रुटियां होते हुये भी कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें शक्ति हैं, क्षमता है, बुद्धि है जो प्रदेश को आगे ले जा सकती है और तब निर्णय करती है कि देश के अन्दर एक ही पार्टी है और वह केवल कांग्रेस पार्टी है। आज आध्यात्मिक उपदेशक, आर्य समाजी उपदेशक उपदेश दे दे कर जनता से आस्था कराते हैं आध्यात्मवाद में लेकिन मैं आपसे बताऊ कि वही संत तुलसीदास हैं.....

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो चुका।

श्रीमती तारा अग्रवाल---इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)---श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपालजी के सम्बोधन के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव में हमारे मनोनीत नेता श्री यादवेन्द्रदत्त जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसी के पक्ष में दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं पिष्ट पिष्टानि का कायल नहीं हूं। मैं उन बातों को न दोहराऊंगा कि जिनको कि हमारे माननीय मित्र कह चुके हैं। संशोधन एक बड़ी मुश्किल चीज है। आप यह विचार करें कि पिता के संशोधन को बेटा मानने को तैयार नहीं, गुरु के संशोधन को शिष्य मानने के लिये तैयार नहीं। यदि बेटा पिता के संशोधन को मान ले तो वह मनुष्य हो जाय और यदि शिष्य गुरु के संशोधन को मान ले तो वह आचार्य हो जाय। संशोधन मानना बड़ी कड़ी चीज है।

हमारे मनोनीत नेता के संशोधन पर उत्तर देते हुये कुछ सज्जनों नें यह प्रश्न किया था कि यदि इन इलेक्शनों में पक्षपात बरता गया होता तो आज १४ के ४९ कैसे हो गये होते। मैं इस बात का उत्तर देना चाहता हूं। वह उत्तर दो बातों का होगा कि हम १४ के ४९ कैसे हो गये और आप ३७६ के २४८ कैसे रह गये। दोनों बातों का एक ही उत्तर होगा। वह है हमारे परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधी का हमारे लिए वरदान और आपके लिये अभिशाप। मैं यह सिद्ध करूंगा कि आपके लिये अभिशाप कैसे और हमारे लिये वरदान कैसे। ढाई हजार वर्ष बीते महात्मा बुद्ध को और दो हजार वर्ष बीते हजरत ईसा को। तब से आजतक दुनियां में शायद महात्मा गांधी के समान सत्य और अहिंसा का पुजारी कोई दूसरा नहीं हुआ। इस बात को तो सभी मान लेंगे। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके मानने से कोई इन्कार कर सके महात्मा गांधी की आज्ञा की अवहेलना किसने की यह बात मैं आपको बतलाऊंगा। महात्मा

गांधी जैसा महान् पुरुष मुद्दत से संसार में नहीं हुआ यह बात क्यों कही गयी ? क्या उन्होंने स्वराज्य दिला दिया इसलिये महात्मा गांधी की महिमा बढ़ गयी ? स्वराज्य दिलाने से पूर्व भी महत्मा गांधी का इतना सम्मान था, सो क्यों हुआ ? यद्यपि स्वराज्य दिलाने वाली बात भी एक बड़ी बात थी लेकिन इससे ऊपर भी कई बातें थीं । उनमें से एक बात यह भी थी कि उन्होंने अबल और अबला को बल दिया । यह हमारा महिला समाज, जो आज हमारे साथ राजनीति में कंधे से कंधा भिड़ाकर काम कर रहा है, यह हमारे गांधी जी की ही देन है ।

दूसरे उन्होंने निर्बलों में बल दिया । ऋग्वेद से लेकर आज तक समय के इतिहास को यदि देखा जाय तो राजा और प्रजा की ऐसी लड़ाई कहीं नहीं मिलेगी । राजा और राजा में तो युद्ध होते थे लेकिन राजा और प्रजा में युद्ध हुआ हो यह बात कहीं नहीं आई । एक जनता की निहत्थी सेना अंग्रेजों की सुसज्जित सेना से लड़ी । क्या समय था, उस समय जब अंग्रेज के आने पर बड़े बड़े नवाबों के पाजामें भीग जाते थे, एक सिपाही के गांव में पहुंचने पर सारा गांव खाली हो जाता था । लेकिन गांधी जी ने प्रजा में बल भर दिया । यह उनकी अनोखी देन थी । उन्होंने गरीब किसान में, जो भयभीत था, बल भर दिया । परम सुसज्जित अंग्रेजों की सेना से जर्मनी और अमरीका भयभीत रहते थे और जिनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उसके सामने गांधी जी ने भारत की जनता की निहत्थी सेना को खड़ा कर दिया था । इसका श्रेय उन्हीं को था । इसलिये वह सर्वोपरि थे । हमने देखा है कि युद्धस्थल में बड़े बड़े धार्मिक लोग अपने उसूलों को छोड़ देते हैं । महाभारत में युधिष्ठर ने झूठ बोला था और योगीराज कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग की थी लेकिन हमारे श्रद्धेय गांधी जी ने राजनीतिक लड़ाई में कभी झूठ नहीं बोला, और अहिंसा के नियमों का परित्याग नहीं किया । यह भी उनकी बड़ी महान् बात है ।

उनका वरदान हमको प्राप्त है और अभिशाप आपको प्राप्त है । उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दो लेकिन हमारे मित्रों ने उनकी बात को नहीं माना । जो उनकी बात नहीं मान सकता वह हमारा संशोधन क्या मान सकता है । महान पुरुषों की मृत्यु तलवार और बन्दूक से नहीं होती है बल्कि उनकी मृत्यु तब होती है जब कि उनके उसूलों को समाप्त कर दिया जाय । ऐसे ही ईसा फांसी पर चढ़े लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि आज भी उनके उसूल जीवित हैं और बहुत से ईसाई उनके अनुयायी हैं और हजरत हुसैन जिनके आज ताजिये निकाले जाते हैं, उनका कत्ल किया गया । लेकिन वह भी जीवित हैं क्योंकि उनके करोड़ों मुसलमान अनुयायी हैं और ऋषि दयानन्द को जहर दिया गया लेकिन वह भी नहीं मरे और आज तक जीवित हैं क्योंकि उनके वसूल जिन्दा हैं और बहुत से आर्य समाजी आज भी उनकी जय जय कार करते हैं । लेकिन हमारे श्रद्धेय गांधी जी, प्रातः स्मरणीय गांधी जी विश्वबन्धु गांधी जी, आज इस संसार में नहीं है । उनकी हत्या का दोषी क्या गौडसे था । हरगिज नहीं । मूर्ख समाज उसको बता सकता है लेकिन शिक्षित समाज यह कहेगा कि उनके अनुयायी ही दोषी हैं उनकी जयजयकार बोलने वाले, उनका नाम बेचकर खाने वाले दोषी हैं । गांधी जी के उसूलों को खत्म कर दिया गया । महान पुरुष उनके वसूल खत्म कर देने से मरते हैं, गोली से नहीं मरते हैं । उनके उसूलों को आपने समाप्त किया । मैं आपसे कहता हूं कि यह दूसरा कारण है आपके ३७६ से २४८ रह जाने का और हमारे बढ़ जाने का ।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री शान्तिचन्द (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मैं श्री जगदीशशरण अग्रवाल के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं ।

विरोधी पक्ष की ओर से बलरामपुर और गोंडा के बारे में यह बार बार आक्षेप लगाया गया है कि वहां पर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है । जहां तक बलरामपुर का सवाल है उसके संबंध में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो घटना वहां पर घटित हुई थी वह उस समय हुई थी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शान्तिचन्द]

जब वहां पर जनसंघ की एक मीटिंग हो रही थी। वहां पर उनके मुख्य कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी मौजूद थे। उनके सामने श्री लक्ष्मीनारायण और अब्दुल लतीफ शहीद हो गये। यह उनके नेताओं की आंखों के सामने हुआ था। जब जनसंघ के नेता गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले घूमते थे तो साम्प्रदायिकता की अग्नि भड़काने में संलग्न रहते थे। उस समय कांग्रेस के कार्यकर्त्ता और वहां की उम्मीदवार श्रीमती सुभद्रा जोशी गांव गांव में घूम कर केवल यह कहा करती थीं आप चाहे मुझे वोट न दें मगर हमें शान्ति दें, जिसका नतीजा यह रहा कि वहां पर यह आग भड़कने से बच गयी और जनता की समझ में भी यह बात आयी कि यह जो चुनाव में कांड हुआ यह किस मकसद से किया गया है। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां का चुनाव फल कांग्रेस के पक्ष में रहा। उसको बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ जब कि श्री अटलबिहारी बाजपेई ने ईमानदारी और बहादुरी के साथ यह स्वीकार कर लिया है कि मेरी वहां पराजय हुई है। उन्होंने वहां की जनता और कार्यकर्त्ताओं को धन्यवाद भी दे दिया है। तो बार बार उस बात को उठाना उचित नहीं मालूम पड़ता।

दूसरे कल यह कहा गया कि गोंडा के चुनाव में गड़बड़ी की गयी। जब रिकाउंटिंग का वहां सवाल पैदा हुआ तो जब तक रिकाउंटिंग नहीं हो गयी तबतक वहां पर बक्सों को रखाते रहे। जो वहां पर पुलिस तैनात थी उसके साथ उनके आदमी भी रात दिन रहकर रखाते रहते थे। कोई इस किस्म की दरख्वास्त नहीं गुजरी कि कोई वहां गड़बड़ी हुई, न कोई आपत्ति की गयी। जब चुनाव में हार गये तो तरह तरह के आक्षेप करना शुरू कर दिया।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि गोंडा में अन्तरिम जिला परिषद् के चुनाव में यह हुआ कि उसमें आखिर तक नाम कटते बढ़ते रहे। कटना बढ़ना गवर्नमेंट के आदेश से नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वह हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुआ।

यह कहा गया कि गोंडा के चुनाव में स्वतन्त्र पार्टी को हराने के लिये लखनऊ की गोमती और कानपुर की गंगा वहां भेजी गयीं। जब वह हार गये तो ऐसी बात कहते हैं। लेकिन १९५७ में कानपुर की गंगा और लखनऊ की गोमती वहां पर गयी थीं। अब की १९६२ में उन्होंने यहां तक किया कि बम्बई से समुद्र ही उठा ले आये। लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा।

अगर देखा जाय तो गोंडा का एक ऐसा इतिहास है कि वह जमींदारों का जिला है। वहां पर गरीब अब भी सताये जाते हैं, तंग किये जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है, आतंक का राज्य है। इसी चुनाव के दौरान में जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तंग किया गया। उनकी टांगें तोड़ी गयीं। वह मारे गये। आतंक फैलाया गया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्वी जिलों का दौरा करते हुए गोंडा पधारे और उन्होंने उन सभाओं में भाषण दिया तो उनको यह अनुभव हुआ कि पूर्वी जिले अभी बहुत पिछड़े हुये हैं और उसमें कम से कम गोंडा में आजादी की किरण नहीं पहुंची है। यही नहीं इसके बाद हिन्दुस्तान में अपने दौरे के सिलसिले में जहीं कहीं भी वह गये वह इस बात को नहीं भूले और बार बार इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले ऐसे हैं कि जहां पर अभी आजादी की किरण नहीं पहुंची है और वहां पर गरीब जनता वैसे ही तंग की जा रही है।

श्रीमन्, उनके जाने के बाद ही वहां पर मनकापुर में एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता मारा गया। एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता रामनगर में मारा गया। एक कौड़िया में मारा गया और एक लौआ टेपरा में कांग्रेसी कार्यकर्त्ता मारा गया। यह सब होने के बावजूद भी जो उनको मारने वाले थे सरकार की ओर से उनको बन्दूकें भी दे दी गईं। इसकी जांच जो हो रही है। उसमें क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। कर्नलगंज थाने में एक अन्धे व्यक्ति ने कांग्रेस को वोट दिया था और चूंकि वह अन्धे थे इसलिये कहकर दिया था। उसके दूसरे ही दिन उसके घर में डाका डाल

दिया गया। इस तरह से वहां आतंकवाद फैला हुआ है और पब्लिक वहां की परेशान है। इसी आतंक के सहारे जनता को झुंड के झुंड ले जाकर जहां चाहा वोट दिला दिया है। यह गोंडा जिले का एक इतिहास है और जो लोग वहां पर गए हैं उन्होंने इसको देखा है। अब भी वहां ऐसे इलाके हैं जमींदारी और ताल्लुकेदारी के क्षेत्र में कि जहां पर आज भी लोग अपनी लड़की की शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं और अपने बैल, अपनी गाय उनसे बिना पूछे नहीं बेंच सकते हैं, अपनी लड़की का गौना नहीं दे सकते हैं, अपना घी नहीं बेच सकते हैं जब तक कि ताल्लुकेदार और जमींदार की राय न ले लें। श्रीमन्, मैं तो यह कहता हूं कि गोंडा में यह आतंकवाद खत्म करना चाहिये और यह माननीय मुख्य मंत्री जी की बहुत बड़ी सफलता होगी अगर वह इस जिले की जनता को सही मानों में आजादी दिला सकें और वहां की जनता अपनी इच्छा से के अनुसार जनतंत्र का सुख भोग सके, नहीं तो यह सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कलंक होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण की सराहना करता हूं जो उन्होंने यहां पर दिया है।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी अभी हमारे जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे वह दुहाई दे रहे थे इस बात की कि इस कांग्रेस सरकार ने चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप भी इस प्रदेश के पुराने निवासी हैं और कांग्रेस के सदस्यों की हरकतों से वाकिफ हैं। मैं जब "हरकतों" शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो मैं यह खुद नहीं कर रहा हूं। मैंने इत्तफाक से २७ तारीख के एक पत्र में जवाहर लाल जी के कुछ शब्द देख लिये। उसमें उन्होंने कहा है--सीक्रेट पार्लेज, कनाइवेंस और डबुल टाक" यह कांग्रेस के अन्दर ज्यादातर हैं। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने अपने दल के लोगों को और उनके दल के लोगों ने अपने दल के लोगों को नहीं छोड़ा और उसकी मिसाल इस प्रदेश में भरी पड़ी है, बड़े बड़े व्यक्तियों के एलेक्शन पेटीशन आपको देखने को मिल सकते हैं, उससे यह पता चल जायगा कि वह सब इस बात से भरे पड़े हैं कि इन्होंने अपने दल के साथ जो गन्दी से गन्दी हरकत कर सकते थे वह हरकत की। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर आप तीन वर्ष पहले सन् ६० के अखबारों को देखें तो आपको उनमें बयान मिल जायगा। माननीय चौधरी चरण सिंह जी का बयान आपको मिल जायगा। माननीय जुगल किलोर जी का बयान मिल जायगा। और उसमें क्या लिखा है, जरा गौर कर लीजिये--

"Today it is the bureaucracy which rules the State. There are some top officers who have turned politicians. The voice of Congressmen no longer carries any weight in the counsels of the services ;" said Mr. Charan Singh.

माननीय जुगुल किशोर जी क्या कह रहे हैं इसको भी मैं आपके सामने बतलाऊं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यू०पी० कांग्रेस कमेटी के चुनाव में सरकारी तौर पर मदद ली सरकारी अफसरों से। अभी जो यह सरकार बनी बैठी है इसके सदस्यों ने माननीय सम्पूर्णानन्द जी की सरकार के समय आरोप लगाये थे। इनमें से ६८ सदस्यों ने बतलाया था कि उस सरकार में क्षमता नहीं है। उसको हुकूमत करनी नहीं आती है। उस सरकार ने प्रदेश का दिवाला निकाल दिया है : इन बातों को ६८ सदस्यों ने लिखकर दिया था और कहा था कि उस सरकार में इतने लोगों का विश्वास नहीं है। यह सोचने की बात है कि आज इस सरकार में कैसे विश्वास पैदा हो गया है. . . . . .

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि जो प्रस्ताव पेश है वह उसी पर अपने को सीमित रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---मैं आपके सामने यह सिद्ध करना चाहता हूं कि इस कांग्रेस सरकार ने किस किस्म की गन्दी गन्दी-हरकतें बरतकर चुनाव के समय में इस प्रदेश के वातावरण को गन्दा कर दिया है। अभी मुझसे पहले एक सदस्य बलरामपुर के चुनाव का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर लोग मारे गये हैं। इस सदन में मैंने आपके द्वारा इसके पहले अनेक बार बतलाया है कि किस तरह से निरन्तर मेरे दल के लोगों पर अत्याचार किये गये हैं। जब कभी भी दंगों में नाम लिया जाता है तो मेरे दल के लोगों का नाम लिया जाता है लेकिन मेरा निवेदन है कि इस वातावरण को गन्दा करने वाले कौन लोग हैं इस पर जरा गौर किया जाय। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश में एक गन्दी राजनीति को जन्म दिया है। यह बात जवाहरलाल जी तक जानते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि इन बातों को आप भूल जाते हैं कि इस देश का बटवारा करने वाले कौन लोग हैं। अब तो इन्होंने कांग्रेस के अन्दर बांट कर ली है। स्थान बंट गये हैं। यह सब करनेवाले कौन लोग हैं। जरा गौतम जी के भाषण को पढ़ा जाय जिसकी चर्चा इस सदन में कई बार हो चुकी है। वह भाषण उन्होंने इस सदन में अन्तिम बार दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि एम० एल० ए० का टूट जाना क्या होता है। चतुर्भुज शर्मा जीने भी वही बात कही थी और सदस्यों के ऊपर लांछन लगाया गया था। इसी प्रकार से राज्यपाल महोदय अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं और उसमें कहते हैं कि यह मेरी सरकार है। मेरी सरकार का उनका मतलब ही इस सरकार से है जो गवर्नर के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव लाई है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि उनमें और इस सरकार में अन्तर है। इनका तो वही हाल है कि "मेरे लिये तो सेर भर कबाब हो, शराब हो; है मिल्कियत नरेजहां की और खून हो, खराब हो।" मेरी सरकार कही जाने वाली सरकार कैसी है? वह ऐसी है जिसमें एक एक मंत्री के पास ८,८ विभाग हैं जो एक एक के लिये अपना टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं। उसकी फाइल देख नहीं सकते हैं लेकिन कुर्सी है उसी से चिपके पड़े हैं। प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध कर दिया है। मंत्रियों की तादाद इतनी बढ़ गई है लेकिन विश्वास किसी पर नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस नीति का फल सरकार को भुगतना पड़ेगा। यह सरकार ३६ फीसदी जनता का वोट लेकर आई है जिसको जनप्रिय सरकार नहीं कहा जा सकता है और न प्रजातांत्रिक सरकार कहा जा सकता है।

एक बात और निवेदन करूं कि इस प्रदेश के प्रधान मंत्री ने एक बात और कही है और वह यह कि उत्तर प्रदेश इतना गरीब है और इतना गरीब हो चुका है कि जिसमें कार्यकर्त्ताओं को इस तरह से काम करना चाहिये जिस तरह से डिस्प्लेस्ड परसन्स काम करते हैं। अधिष्ठाता महोदय, सचमुच इस सरकार ने सबको डिस्प्लेस्ड कर रखा है। प्रधान मंत्री ने कोई गलत बात नहीं कही है। २७ तारीख का समाचार-पत्र आप देख। जिस समय हमारे महामान्य यह बात कह रहे थे उस समय पं० जवाहरलाल नेहरू वह बात कह रहे थे और बता रहे थे कि यहां के जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप प्रस्तुत करते हुये हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम जानते हैं कि इस प्रदेश की योजनायें तभी तक चल सकती हैं कि जब छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय, काश्तकारी को बढ़ावा दिया जाय। काश्तकारी बढ़ाने की बात जब कभी आती है तो हमारे राजस्व मंत्री लगान और सिंचाई की दर कम करने की बात नहीं मानते। वह आमदनी बढ़ाने के लिये जैगुरिया जी की तरफ नहीं देखते, वह ३००, ४०० और ५०० रुपये आमदनी वाले की जेब काटने की बात सोचते हैं। (व्यवधान) वह रामरतन जी की जेब क्यों नहीं काटते? वैसा करने की उनमें हिम्मत नहीं है क्योंकि उन्हीं के सहारे एक एक मंत्री चुन कर यहां आता है। हमारे यहां भी बड़े बड़े राजे महाराजे हैं। आपकी पार्टी यह नहीं कह सकती कि हमने ही सारे देशभक्तों को चुन कर यहां भेजा है और इधर के लोगों ने कुछ नहीं किया। योजना का प्रारूप रखते समय कहा गया था कि छोटी योजनाओं को बल दिया जायगा, लेकिन प्लानिंग देखिये। १९८ करोड़ रुपया बड़ी योजना पर खर्चा होता है और ७ करोड़ रुपया छोटी योजनाओं पर खर्च किया जाता है। कुल योजना काल में २५ करोड़ रुपया छोटी योजनाओं पर खर्च होने वाला है उसमें भी प्रति व्यक्ति इंवेस्टमेंट घट रहा है।

कहा जाता है कि सब को रोजगार दिया जायगा । हमने जमींदारी खत्म कर दी है, लेकिन उसमें भी बंदर बांट किया गया है । सीरदारों का लगान बढ़ा दिया गया है । उस समय प्रदेश की कीमतें ज्यादा थीं गल्ले की, आज हालत देखिये । अगर कीमत ज्यादा हो तो लगान दिया जा सकता है, लेकिन आज गेहूं बेसिक प्राइस १३ रुपये मन है । किसान को दो दो फसलें नहीं हुई हैं । उसका १० करोड़ मन गन्ना खड़ा सूख रहा है, सट्टा बढ़ाया नहीं गया और यह सब प्रश्न हमारे सामने भी आते ह । हमको किसानों ने प्रतिनिधि बना कर यहां भेजा है इसलिये कि हम आपका विरोध करें और इस कसौटी पर सरकार को एक क्षण के लिये भी नहीं टिकना चाहिये । उनके अपने हितों की लड़ाई दलगत है, लेकिन प्रदेश के हितों की लड़ाई हमारी है और इसी के लिये जनसंघ खड़ा है ।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तावित महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अगर उस अभिभाषण को देखा जाय तो पता चलेगा कि उसमें उन बातों का जिक्र है कि जिनको इस कांग्रेस के शासन काल म किया गया है और जो आगामी वर्ष में की जाने वाली हैं । हमारे विरोधी दल के नेता माननीय दुबे जी ने उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का रूप दिया था । मैं नहीं समझता था कि राज्यपाल का वह कौन सा अभिभाषण होगा कि जिसे एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर के रखा जा सकता हो । इस के साथ ही हमने देखा कि आज तीन दिन से इस सदन में अग्रवाल जी के प्रस्ताव से संबंधित संशोधनों पर पक्ष और विपक्ष में चर्चा चल रही है । ज्यादातर बातें आम चुनाव के बारे में कही गई हैं । जाहिर है कि अभी हम आम चुनाव से निकल कर विधान सभा में आये हैं और यह पहला सत्र है । इस कारण वह बातें यहां हमारे सामने आयेंगी जो आम चनाव में हम करके आये हैं यह कहा गया कि चुनाव में सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के साथ पक्षपात किया । श्रीमन्, अगर दुनिया को देखा जाय तो मालूम होगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर इतने बड़े बालिग मताधिकार से सरकार की रचना हुई है । कांग्रेस के संगठन और आपसी दलबन्दी का भी जिक्र किया गया है । उसमें हमारे नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर प्रदेश के नेता तक का जिक्र किया गया । मैं कहता हूं कि हमारा तो आधार ही जनतांत्रिक है । कांग्रेस संगठन भी जनतांत्रिक तरीके पर आधारित है । हम आपस में बातें करते हैं, मतभेद भी होते हैं, उसको जनतांत्रिक तरीके से ही निबटाते हैं । लेकिन जो लोग सत्ता के विकेन्द्रीकरण में विश्वास नहीं करते, जो तानाशाही में विश्वास करते हैं, वे भी इस देश में और सदन में समाजवादी ढांचे की रचना की बात करते हैं, महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं और अपने संगठन को ऐसा कहते हैं कि जैसे कि सारे प्रदेश की जनता का विश्वास उन्हीं को केवल प्राप्त है । आखिर, सरकारी कर्मचारी भी तो इस देश के ही नागरिक है, संविधान के अन्तर्गत उन्हें भी कुछ नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं । हर पार्टी से उनका भी व्यक्तिगत संबंध हो सकता है । आप उसके लिये कोई ऐसे आदेश तो नहीं दे सकते कि सरकारी कर्मचारी सरकारी पक्ष क ही लोगों का समर्थन न करें । उनकी भी इच्छायें हैं, उन्हें भी संविधान के अन्तर्गत छूट है, उसके अनुसार वे अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं । ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि सरकारी कर्मचारीगण ने कांग्रेस को जिताने में बड़ी भारी मदद की यह बिलकुल बेबुनियाद है, तथ्यों से रहित है ।

यह उत्तर प्रदेश भारत का हृदय-स्थल है, उसका बड़ा क्षेत्रफल है, यहां की सदस्य संख्या भी ४३१ है, आबादी भी सब से ज्यादा है, एक पवित्र प्रदेश के एक नेता की हैसियत से, एक कार्यकर्त्ता की हैसियत से, जब हम यहां पर आते हैं तो हमें यह सोचना चाहिये कि हम प्रदेश के लिये, प्रदेश की जनता के हित के लिये कार्य करें और समय को बेकार की बातों में बरबाद न करें । आज यह कहना यहां पर कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, फलां जगह कांग्रेस के कार्य कर्त्ताओं ने दूसरों पर हमला किया, कहीं पेट्रोल नहीं मिला, कहीं एस०पी० जनसंघ से मिल गया था या किसी दूसरी पार्टी से मिल गया, यह ऐसी बातें है जिनको हम सदन के बाहर भी आपस में बैठ कर कर सकते हैं और सदन के समय को बचा सकते हैं ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

(इस समय २ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

प्रदेश की विकास योजनाओं की चर्चा करते हुये कहा गया कि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और एक वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुये कहा गया कि यह प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है । खेती के मामले में भी पीछे है । मैं अनुरोध करूंगा माननीय सदस्यों से कि वह हृदय पर हाथ रख कर प्रदेश में सन् ४७ से लेकर अब तक जो क्रमिक विकास हुये हैं उनको देखें । इस समय जो सरकारों का सृजन हुआ है और इस प्रदेश में जो हर क्षेत्र में विकास हुआ उसको देखेंगे तो समझेंगे कि किस पैमाने पर विकास हुये हैं । हमारे देश की सिंचाई व्यवस्था को ले लीजिये सड़कों के कार्यक्रम को देखिये, मजदूरों के हित में कौन से कार्य हुये, भूमि-व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था में, बिजली के संबंध में कितनी-कितनी योजनायें और बांध इत्यादि बने हैं, ट्रांसपोर्ट की, राजकीय बसों की सेवायें जो इस प्रदेश की हैं वह इस देश में ही नहीं बल्कि दुनियां के दूसरे देशों से बढ़ कर हैं, काफी जनता को उससे लाभ पहुंचता है । प्रदेश की योजनाओं को और देखेंगे तो हमारे देश में, उत्तर प्रदेश हर बड़े माने में आग बढ़ रहा है । माना कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां ऐसे प्राकृतिक साधन और कार्यक्रम हैं जिनके कारण वह हमसे आगे हैं, लेकिन हैं तो अपने ही देश के प्रदेश । हम भी अगे पहुंचना चाहते हैं, उसमें अपेक्षित है सरकारी दल के अलावा विरोधी दलों का सहयोग । आखिर हमारी आपसी सबकी जिम्मेदारी है । जब ब्रिटेन, अमरीका और दूसरे जनवादी देशों के मुकाबल में हमारे साधन और कार्यों की चर्चा की जाती है और विशेष रूप से ब्रिटेन से तुलना की जाती है तो जहां तक संसदीय प्रणाली का संबंध है हम केवल उसी की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर, उसके कार्यक्रम, देश की जनता का क्या चरित्र है, कैसे जनता और सरकार में सहयोग होता है इसकी हम उपेक्षा करते हैं । तो एक पक्ष का तो हम उद्धरण करते हैं, लेकिन अच्छाइयों को छोड़ कर आगे चलते हैं ।

आज ब्रिटेन में मानकी है, आज अमरीकी में अप्रत्यक्ष चुनाव है जो कि हमारे देश जैसा नहीं है जहां २१ करोड़ बालिक मताधिकार के आधार पर केन्द्र और प्रादेशिक स्तर पर सरकारों की रचना होती है । तो हिन्दुस्तान के गणराज्य की तुलना संसार के किसी भी देश से नहीं कर सकते हां, दुनिया के और देश यहां की पद्धति का अनुकरण अवश्य कर सकते हैं । आज दुनिया का बड़े से बड़ा तानाशाह, बड़े से बड़ा मंत्री, बड़े से बड़ा राष्ट्रपति इसदेश के जब दर्शन करता है, यहां की योजनाओं को देखता है, भ्रमण करता है तो वापस जाते समय और अपने देश में चर्चा करता है कि इतने अल्प साधनों और कम समय में भारत में जो विकास हुआ है, भारत की योजनाय जो लम्बे पैमाने पर और काफी अच्छे ढंग से सफल हुई हैं, यह साबित करता है कि दुनियाँ के इतिहास म इतने सीमित साधनों में कभी भी इतना विकास संभव नहीं हुआ है ।

हमारे देश का सौभाग्य है कि आज कांग्रेस का शासन इस देश में है । महात्मा गांधी के शब्द और सिद्धान्तों की चर्चा बहुत से माननीय सदस्यों ने की । मैं तो चर्चा नहीं करना चाहता मुझे दुःख होता है कि महात्मा गांधी के जीवन काल में जो लोग उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष रूप से विरोध करते थे वह आज गांधी जी के न रहने पर उससे बचाव प्राप्त करने के लिये चर्चा करते हैं और उनके सिद्धान्तों, बुनियादी तालीम और रचनात्मक कार्यों का विवरण पढ़कर अपने कार्यक्रमों और सिद्धान्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ।

कल कुछ साथियों ने चर्चा की कि यहां के मुख्यमंत्री चुनाव हार गये हैं अतः उन्हें नेतृत्व करने का कोई हक नहीं है । एक तरफ तो आप जनतांत्रिक प्रणाली का विकास चाहते हैं, दूसरी तरफ जनता ने जो फैसला किया है उसे आप स्वीकार भी नहीं करते । जनता का यह फैसला है तो आज सदन में हम लोग यहां बैठे हुये हैं और कांग्रेस पार्टी शासक दलके रूप में यहां पर विराजमान है । ३४, ५० या १० प्रतिशत की बात नहीं है, जिस तरह से भी मत मिले हैं उसी तरह से विरोधी दल के लोगों को मिले हैं । आखिर कैसे फोर्स किया जा सकता है कि मतदाताओं को वोट डालना ही है ?

वोट डालने का अधिकार सभी को है लेकिन आप बाध्य कैसे कर सकेंगे कि अमुक क्षेत्र में शत प्रति शत जनता मतदान करे । मुझे मालूम है कि कई पोलिंग स्टेशन्स बिलकुल खाली गये । इस देश में हमें जनतांत्रिक पद्धतियां का विकास करना है । सन् १९५२ में आम चुनाव तीन महीने में समाप्त हुआ था, १९५७ में २० दिन लगे थे और इस बार केवल चार दिन लगे । तो हमारा क्रमिक विकास हो रहा है । आज सरकारी कर्मचारियों के हस्तक्षेप की बात कहना सरासर गलत है । अगले आम चुनावों में जनता में जनतंत्र के प्रति आस्था और बढ़ती जायगी । हम भी महसूस करेंगे कि कैसे इस कार्यक्रम को करना है

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री बंशीधर पांडेय—एक मिनट और दे दीजिये ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कतिपय विरोधी दल के सदस्यों ने स्वीकार किया कि शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव हुये, सचमुच शान्तिपूर्ण हुये । हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ उन योजनाओं की चर्चा है जिनके लक्ष्य पर हम पहुंच चुके हैं और साथ ही उनकी भी चर्चा है जो आगे हम करना चाहते हैं । इन बातों की उसमें बड़े स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है । इन शब्दों के साथ मैं जगदीशशरण अग्रवाल जी के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल जी के ऐड्रेस को बड़ी उम्मीदों के साथ सुना । मैं उम्मीद करता था कि इस ऐड्रेस में जिसमें कि सरकारी नीति को साफ किया जाता है, कुछ ठोस बातें कही जायंगी, कुछ एक नया रास्ता निकलेगा, कुछ पुरानी कमजोरियों का विश्लेषण होगा और आने वाले दिनों के लिये एक पर्सपेक्टिव (नजरिया) पैदा होगा । मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया । मैंने देखा कि उस एड्रेस में इधर उधर की छोटी-मोटी बातें बहुत सी हैं कि इस डिपार्टमेंट ने यह किया, उस डिपार्टमेन्ट ने वह किया । एक माने में, सालाना जो डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स आती हैं, उसी में से एक पैरा यहां से लेकर और एक पैरा वहां से लेकर उसको तैयार कर दिया गया है और कहा गया कि यह सरकारी नीति है । राज्यपाल जी सरकारी नीति को हमारे सामने पेश करते हैं लेकिन ताज्जुब होता है और साथ-साथ कहा जाता है कि अभी आने वाली सरकार बनी है और हमारे मुख्य मंत्री जी को मौका नहीं मिला है नीति बनाने का इसलिये कुछ कहना चूंकि जरूरी है तो कुछ इधर से और कुछ उधर से उठाया और जोड़ जाड़ करके रख दिया । मुझे अफसोस है । मैं उम्मीदें इसलिये लगाये बैठा था कि एक नये मुख्य मंत्री आये हैं, काफी कशमकश के बाद आये हैं, चुनाव हुआ पांच साल के बाद जिसमें कि हुक्मरां पार्टी ने अपनी नीति को जनता के सामने रखा और उसके तुरन्त बाद यह एड्रेस आता है, हमारे सामने मस्विदा पेश किया जाता है लेकिन उसमें कुछ निकलता नहीं इसलिये अगर में डिसअप्वाइंटमेन्ट हुआ तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है ।

आज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अगर सरकार की आलोचना करूंगा तो इसलिये नहीं कि मुझे आलोचना करने में खुशी होती है या बहुत अच्छी बात मालूम होती है; मैं आलोचना आलोचना के लिए नहीं करता बल्कि मैं इसको गलत समझता हूं, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि विरोधी दल और सरकार दोनों मिलकर नया रास्ता निकालें, उसूल बनायें और नीति निर्धारित करें और आगे बढ़कर पूरे प्रदेश और देश को लेकर चलें । अगर इस ढंग से हम चलते रहे तो मुझे उम्मीद है कि वह दिन भी आयेगा और सबको मिलकर उसकी कोशिश करनी चाहिये । लेकिन अगर आज मैं आलोचना करता हूं तो इमानदारी से महसूस करता हूं कि जो काम इस सरकार को करने चाहिये थे, वह काम इसने पूरे नहीं किये । बहुत बड़ी-बड़ी खामियां हैं । इन खामियों को अगर हम यहां पेश करते हैं तो इस उम्मीद से कि उन पर गौर किया जायगा, उनको देखा जायगा उनको दूर किया जायगा । नये तरीके, नये कानून-कायदे और नये कदम उठाये जायेंगे जिनके जरिये से हमारे प्रदेश और मुल्क की तरक्की होगी । हमारे चतुर्भुज जी ने ठीक ही कहा कि हम जिस शाख पर बैठे हुये हैं अगर उसी को काटेंगे तो उसका क्या हल

[श्री जेड० ए० अहमद]

होगा ? अगर इसी तरह से प्रतिक्रियावादी शक्तियां बढ़ती रहीं तो हम में से कौन होगा और कौन न होगा, यह नहीं कहा जा सकता । इसलिये हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे सामने सामान्य मसले हैं और दोनों ही चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो, प्रदेश की तरक्की हो । इसलिये अगर हमें आलोचना भी करनी है तो उससे कुछ सीखने की कोशिश होनी चाहिये ।

मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि यहां सोशलिज्म की एकोनामी है या यहां समाजवादी समाज की रचना हो गई है । मैं समझता हूं कि हमारे बहुत से भाई जो समाजवाद का जिक्र करते हैं वे समाजवाद के बुनियादी उसूलों को भी नहीं समझते । कहीं चन्द कोआपरेटिव सोसाइटीज बना दी गईं, यह समाजवाद नहीं है या कुछ ऐसे कदम उठाये गये जिनसे जनता का कुछ लाभ हो गया तो यह भी समाजवाद नहीं है। पूंजीवाद में भी इस प्रकार से कदम उठाये जाते हैं जिनसे जनता का भला होता है । जिन बातों का जिक्र माननीय राज्यपाल ने किया अपने एड्रेस में, वे बातें भी ऐसी हैं जो पूंजीवादी समाज में बहुत बढ़ा चढ़ा कर होती हैं । मजदूरों के लिये कुछ कर दिया, कोआपरटिव सोसाइटीज खोल दी गयीं, इलाहाबाद में ५० डाक्टर भेज दिये गये या और भी इसी तरह के कुछ काम हो गये, इनका ताल्लुक समाजवाद से नहीं है । इसलिये इस सरकार को एक समाजवादी सरकार समझ कर मैं उस कसौटी पर इसको नहीं कसूंगा लेकिन इस सरकार को जैसा कि जनवादी सरकार को होना चाहिये, उस कसौटी पर उतारूंगा । वह दिन आयेगा जब हम यह समझेंगे कि इस सरकार ने समाजवादी तरीका अख्तियार कर लिया। उस वक्त हम इस सवाल को उठायेंगे कि अच्छा अब हमको समाजवाद लाने के लिये क्या क्या कदम उठाने चाहिये ।

राज्यपाल महोदय ने अपने ऐड्रेस में कहा कि यू० पी० में जो काम हो रहे हैं उनसे मेरी सरकार को संतोष है यानी अच्छे काम हो रहे हैं । लेकिन अगर उनको संतोष है तो मैं समझता हूं कि यह बदकिस्मती है । मैं समझ नहीं पाता कि किस तरह से वे ऐसा समझते हैं । अगर उनको संतोष है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी सरकार को यह पता ही नहीं है कि हमारे सूबे की हालत क्या है । यह सच है कि हमारा सूबा दूसरे सूबों के मुकाबले में गिरा है । वह अर्थव्यवस्था और राजनीति में कहीं नीचे गिरा है दूसरे सूबों के मुकाबले में, इसका अहसास सरकार ने नहीं किया है ।

दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने चुनाव के नतीजों से कुछ सीखा नहीं है । उनको भले ही संतोष हो लेकिन एक सवाल मैं जरूर उठाऊंगा कि जरा वे सोचें कि हाकिम पार्टी में सन् ४६ में कितने आये थे और आज कितने हैं । आज हाकिम पार्टी का बेस ३६ प्रतिशत आदमियों तक सीमित रह गया है । क्या इससे उनके दिमाग को कोई झटका लगा है या नहीं लगा है ? क्या इसके बारे में उन्होंने सोचा है या नहीं सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ है ? माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि किसानों की हालत अच्छी है । उनके पास खाने, पहनने और रहने को अच्छा है । मैं हाथ जोड़ कर उनसे पूछूंगा कि फिर आपके वोट ४६ से ३६ क्यों रह गये ? यह १० प्रतिशत क्यों कट गया ? क्या हम लोगों ने उनको भड़का दिया ? अगर हम लोगों ने उनको भड़काया तो वे भड़क क्यों गये ? ये सब सवाल एक दूसरे पर मुनहसिर हैं । अगर भड़कने वाले होंगे तो कोई उनको भड़काने वाला भी होगा जिसके जरिये से वे भड़कते हैं । यहां माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं उनसे यह जरूर कहूंगा कि अगले ५ वर्ष तक वे सन्तुष्ट रहें । यह मैं नहीं चाहता कि वे असन्तुष्ट रहें लेकिन उनके दिल में इस तरह की घबड़ाहट जरूर पैदा होनी चाहिये कि क्या कारण है जिससे कांग्रेस की ताकत घट रही है और आप देखें कि उसकी जगह कौन ले रहा है और क्यों ले रहा है ? आखिर क्यों इस तरह की प्रतिक्रियावादी व अराजकतावादी शक्तियां आ रही हैं ? अगर आपके दिमाग में इससे कुछ झटका नहीं लगा तो मैं इमानदारी के साथ कहता हूं कि अगले पांच साल में इस सूबे में व हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में क्या होगा, मैं नहीं कह सकता । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जो मेरे दोस्त रहे हैं और आज भी हैं, अदब के साथ कहूंगा कि वे कोई रास्ता निकालें जिससे अगले पांच साल में जो ये ६५ फीसदी

आदमी कांग्रेस के खिलाफ गये हैं उनके दिलों में यह विश्वास पैदा हो कि दरअसल यह सरकार एक प्रगतिशील सरकार है, दर असल यह सरकार गरीबों की तरफ देखती है और उनकी भलाई चाहती है । हो सकता है कि इसके अन्दर कुछ प्रारम्भिक कमियां हों लेकिन समाजवादी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि अगले पांच वर्ष के अन्दर ६५ फीसदी आदमियों के दिल में विश्वास पैदा किया जाय वरना अराजकता हो जायगी और हमारे सूबे के लिये उसका बड़ा ही बुरा नतीजा होगा ।

मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिये मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जरा इस पर गौर किया जाय कि आज यू० पी० में हालत क्या है ? मेरे पास आंकड़े हैं, अगर हमारे मंत्री जी चाहेंगे तो उन आंकड़ों को मैं उनके सामने रख दूंगा । यू० पी० आज पिछले १२ वर्षों से हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ सूबा है आर्थिक दृष्टि से और इसी वजह से वह राजनीतिक दृष्टि से भी गलत दिशा में जा रहा है । वह यू० पी० जो कभी हिन्दुस्तान का सरताज रहा है, जहां के आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन का सदियों से सब पर असर पड़ता रहा है, वह यू० पी० जहां बड़े बड़े अवतार पैदा हुये हैं, यहां कल्चर, सभ्यता और तहजीब का सेंटर रहा है, आज वह सबके लिये लाफिंग स्टाक है और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं । मैं तो सारे देश में घूमता हूं । दक्षिण भारत में जब यू० पी० की योजनाओं की बात आती है तो वे यही कह कर हंसते हैं कि वह यू० पी० है जिसके यहां से कोई योजना आती है तो उसमें लोकेशन का नाम ही नहीं रहता है कि वह योजना कहां लागू की जायगी और उसी का नतीजा है कि वहां कोई बड़ी योजना नहीं मिल सकी । राज्य सभा में मैं चार वर्ष तक रहा हूं और यहां की योजनाओं के बारे में सारी बातें सुनता रहा हूं जो सराकार के द्वारा जाती रही हैं ।

यह सही है कि महामहिम राज्यपाल के ऐड्रेस में इस बात पर जोर दिया गया है कि एग्रीकल्चर को तरक्की दी जाय, लेकिन उसका क्या नतीजा रहा है ? पिछले १० वर्ष के जो आंकड़े हैं वे बड़े ही दिलचस्प हैं । सन् १९४८-४९ से लेकर सन् १९५९-६० तक हमारे सूबे में गल्ले की कुल पैदावार करीब १८.४ प्रतिशत बढ़ी है और उसी दौरान में आबादी डेढ़ से दो प्रतिशत तक हर साल बढ़ी है । यानी जहां गल्ले की पैदावार बढ़ी वह आबादी की वजह से फिर पीछे ही रह गई । इस तरह से जब कि आबादी बढ़ती जाती है तो उस अनुपात से गल्ले का पिछड़ापन बढ़ता ही जाता है । और अगर यही रफ्तार रही तो यह कमी बढ़ती रहेगी । और जो कुछ पैदावार बढ़ी भी है वह इसलिये नहीं कि हमने पैदावार को बढ़ाया है बल्कि इसलिये कि हमने जमीन के क्षेत्र को बढ़ाया है । हमारी औसत पैदावार फी एकड़ पहले से बढ़ी नहीं है, कम हुई है । १९३९-४० में गेहूं की प्रति एकड़ औसत पैदावार १०.६५ मन थी, वह १९५७-५८ में घटकर ७.८० ही रह गई, इसी तरह से चावल की ३९-४० में जो औसत पैदावार ८.४१ थी वह भी घटकर ६.१९ रह गई है । इस तरह से मैं बहुत ब्योरे में न जाऊंगा ।

उद्योगों को लीजिये । यू० पी० बावजूद इसके कि आज भारत का सब से बड़ा सूबा है लेकिन औद्योगिक दृष्टि से वह सबसे पिछड़ा हुआ है । पिछली दो योजनाओं में सरकार ने यहां जो औद्योगीकरण के लिये खर्च किया है सरकारी क्षेत्र में उसका फी कस आउटले पंजाब में ९१ रुपया, मध्य प्रदेश में ७० रुपया, मैसूर में ६८ रुपया, राजस्थान में ५९ रुपया, यू० पी० में ३७ रुपया रहा है । अब राजकीय क्षेत्र में औद्योगीकरण के नाम पर यू० पी० में केवल ३७ रुपया ही है जब कि राजस्थान जो सब से पीछे है उसने भी ५९ रुपया खर्च किया है जो बड़ी स्टेट्स मदरास, बाम्बे वगैरा हैं उनको तो छोड़ दीजिये ।

और आगे आप देखें । पब्लिक सेक्टर में भी केवल २ प्रोजेक्ट ही हमें मिले हैं एक तो चुर्क सीमेंट फैक्टरी और दूसरी प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी जो पानी के मीटर बनाती है जब कि दूसरे सूबे कहां से कहां पहुंच हैं । हमे शर्म आती है कहते हुये कि आप्टिकल ग्लास फैक्टरी जो नैनी में बनने वाली थी उसको भी विधानचन्द्र राय वेस्ट बंगाल ले गये । इसी तरह से सिन्दरी की फर्टिलाइजर फैक्टरी हरदुआगंज में बनने वाली थी वह भी वहां न बनकर बिहार चली गई ।

[श्री जेड० ए० अहमद]

प्राइवेट क्षेत्र का कैसे विकास हो रहा है इस का अन्दाजा आप को इन्कमटैक्स देने वालों की तादाद से लग सकता है । यू० पी० में दस हजार से ऊपर आय-कर देने वालों की तादाद दस हजार है, महाराष्ट्र में ७७ हजार है, वेस्ट बंगाल में ३४ हजार और दिल्ली शहर में १३ हजार है । यानी पूरे प्रदेश में केवल दस हजार आदमी ऐसे हैं कि जो दस हजार से अधिक आय-कर देते हैं । इसका मतलब यह आप समझ लें कि आप का विकास और उद्योग कितने नीचे स्तर पर औरों के मुकाबले में है ।

कम्पनियां जो आपरेट करती सन् ५९ में वेस्ट बंगाल में वे ११,५८२ थीं, यू० पी० में १,१६३, महाराष्ट्र में ५,६२९ और मद्रास में २,३९६ थीं । इसमें भी यू० पी० सब से नीचे है । सारे भारत में जो नई कम्पनियां रजिस्टर होती हैं उन की संख्या १,००,४५२ है ५९–६० में जब कि यू० पी० में सिर्फ ४,५०० ही रजिस्टर हुई । सरकारी कम्पनियां दूसरी प्लान में ८७ रजिस्टर हुई जिनमें से यू० पी० में सिर्फ एक रजिस्टर हुई और वह भी यू० पी० स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन थी । मेरे एक भाई ने अभी मुझसे पहले कहा कि यू० पी० का बड़ा स्थान है, यू० पी० का विकास कितना है और यू० पी० कितना सबसे आगे है । अगर आंकड़े जो मैंने दिये हैं वे उन्हें गलत साबित कर देंगे तो मैं अपनी सब चीजें वापस ले लूंगा लेकिन अगर आप गलत हैं तो मेहरबानी करके इतनी बात आप भी कह दें कि मैंने पढ़े बगैर ही यह सब कह दिया ।

इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन जो कि सारे हिन्दुस्तान के विकास लिये पैसा देता है उसके द्वारा सन् ६०तक जितना पैसा औद्योगीकरण के लिये बांटा गया है वह है ८४, ६०,७४००० रुपये हैं । उसमें से यू० पी० को कितना मिला? सिर्फ ७ करोड़ । कोई लेनेवाला नहीं है, कोई मांगनेवाला नहीं है कोई योजनायें देनेवाला नहीं है महज हवाई बातें असेम्बली में होती हैं कि हम यह करते हैं, हम वह करते हैं, किसान अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है । आखिर कोई पैमाना होना चाहिये । मुझे खुशी हो और माननीय मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़कर मैं कहूंगा कि आंकड़े आ जायं हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी और मिलकर के बैठ कर फैसला हो जाय ।

२९ बड़े-बड़े पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं पिछली योजनाओं में जिसमें यू० पी० को सिर्फ १ मिला है और वह है रिहन्द और उसकी भी क्या हालत है ?

अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो मेरे पास बहुत हैं । मुझे आंकड़ों का बहुत शौक है । मैं किताब की किताब पेश करता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपको इससे संतुष्ट होना चाहिये । आज यू० पी० की जो हालत है मैं उसके लिये यह झूठी दुहाई तो देने वाला नहीं हूं कि जनता मर रही है, जनता मर रही है । जनता मरेगी नहीं जबतक कि समाजवाद आ नहीं जाता है लेकिन मैं कहता हूं कि हम किस तरह गलत दिशा के अन्दर जा रहे हैं । यह बहुत बड़ा खतरा है । मैं कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के प्रदेश में अगर सामन्ती तत्व के लोग वोटरों के बीच खड़े होकर अपने को ले आयें और फिरकापरस्ती का बाजार गरम हो तो यह चिन्ताजनक बात जरूर है और हमको और आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा । अगर जवाहरलाल नेहरू के प्रदेश में जयपुरिया जैसे लोग खड़े हो जाते हैं और खेलते है अपने पैसे के जरिये तो अफसोस की बात तो है ही । जनता के बीच यह रुपये से खिलवाड़ होता किसलिये है ? इसलिये कि आपने प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल नहीं किया । हमने सच्ची राजनीतिक और राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत नहीं किया है । यह इसलिये होता है कि हम समाजवाद की बात तो करते हैं लेकिन समाजवादी विचारधारा को आगे नहीं ले जाते है और हमारे बड़े-बड़े लोग उससे भटकने लग जाते है पैसे के सामने । तो यह सब देखने की और दुख की बात है ।

आज मेरे भाई गोविन्द सहाय जी ने पूछा कि बताइये समाजवाद कैसे बने । मैं कहता हूं कि आप तो समाजवाद के पंडित है मैं आपको क्या बताऊं । आप मंत्री हैं । मैं तो जमीन पर बैठा हूं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर समाजवाद बनाना है तो पहली बात हमें प्रोडक्टिव बेस को मजबूत करना चाहिये । धन दौलत जो है, जो पैदावार है उसी का तो

बटवारा होगा, गरीबी का तो बटवारा होगा नहीं। धन दौलत चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, वह बढ़ नहीं रही है। अगर वह बढ़ेगी नहीं तो बटेगी कैसे ? इसलिये हमें सबसे पहले प्रयास करना है कि हमारी धन दौलत बढ़े।

साथ-साथ हमारा धन जो हो, पैदावार जो हो रही है उसका बटवारा किस प्रकार से हो रहा है, इसको भी देखना चाहिये क्योंकि समाजवाद का दूसरा पहलू यह भी है। यह तो नहीं हो सकता कि पैदावार करके हम उसे उद्योगपतियों के हाथों में छोड़ दें। हमारी पैदावार का बटवारा किस तरह से हो रहा है। जब पार्लियामेंट में यह सवाल उठा कि ४० फीसदी राष्ट्रीय इन्कम क्या हुई कहां चली गई तो पंडित जी ने कहा कि हमें नहीं मालूम ? कहते हैं कि हम इस पर एक कमेटी बैठा देंगे।

श्री गेंदासिंह---उसकी मीटिंग भी शायद नहीं हुई।

श्री जेड० ए० अहमद---कमेटी ही नहीं बैठी। असली सवाल जो समाजवाद का है वह यही है कि जो पैदा हो उसका बटवारा कैसे हो, इसका उपाय करना चाहिये। आज यह हकीकत है कि जिस तरह से उचित बटवारा धन दौलत का होना चाहिये वह नहीं है। कोई खाये जा रहा है, कोई उसे लूटता है, कोई लिये जाता है। क्या हम और आप सब इसको जानते नहीं ? (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का मौका और दिया जाय क्योंकि यह मेरी पहली स्पीच है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप बोलिये।

श्री जेड० ए० अहमद---नम्बर तीन--- उन शक्तियों को उठाइये, उन इन्सानी शक्तियों को उठाइये जो कि समाजवाद की तरफ धक्का दें, जिनका विश्वास समाजवाद में हो। गरीब महसूस करे कि कुछ चीज उसके भविष्य के लिये बन रही है। मैं निराश हो जाता हूं, कभी-कभी जब वोटरों के पास जाओ तो कोई पैसा मांगता है, कोई टीचरी मांगता है। एक साधन-हीन समाज जो अपने भविष्य को नहीं देखता जिसमें उत्साह नहीं यह समझने का कि यह उसकी सरकार है। मैंने अपनी तकरीरों में कहा कि मैं प्रदेश के लिये और हिन्दुस्तान के लिये यह ठीक नहीं समझता कि सरकार एक काम करे और जनता में उसके खिलाफ नुक्ताचीनी हो, एक दूसरे के खिलाफ कहा जाय, यह ठीक नहीं है। जनता के अन्दर उत्साह होना चाहिये जिससे वह समझे कि यह मेरी सरकार है मैं इसको अपनी जिन्दगी, अपना श्रम दूंगा। और यह तभी होगा जब रोजमर्रा की जिन्दगी में जनता महसूस करेगी कि कदम जो उठाया जाता है यह उसकी जिन्दगी को सम्हालने के लिये है। तभी सरकार और जनता के अन्दर सहयोग होगा जिसको हम और आप सब चाहते हैं।

मजदूर है, किसान है, खेतिहर है इनकी जिन्दगी बननी चाहिये। आपके जितने एमप्लायीज बैठे हैं उनके लिये पे कमीशन बैठाइये। लेबर नीति बनानी चाहिये। अगर आपके एमप्लायीज कुछ मांग करते हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिये, ५ रुपया, १० रु० उनको दीजिये। उस गरीब खेतिहर मजदूर को दीजिये। और जब दें तो देखिये कि उसको वह मिलता है कि नहीं, कोई बीच में तो नहीं खा जाता।

सीलिंग की बात मंत्री जी ने कही। ठीक है, सीलिंग आयी लेकिन उससे पहले ही जमीन का बटवारा हो गया। आपका समाजवाद एक तरफ कदम उठाता है, लोगों का दूसरी तरफ कदम उठता है। आपकी स्कीम कागजों पर ही रह जाती है। इसलिये एक नया तरीका अख्तियार करें और अगर वह तरीका अख्तियार होता है तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि अगर सही कदम उठता है तो हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलायेंगे और अगर गलत बात होगी तो माफ कीजिये आलोचना होगी। घर में भी आलोचना होती है अगर कोई भाई गलत कदम उठाता है। इसलिये इस नजरिये को लेते हुए मजबूती के साथ समाजवाद के सिद्धान्तों को पकड़ते हुए और उनको अमली जामा पहनाने के लिये हम आगे बढ़ें जिससे यू० पी० का पिछड़ापन

[श्री जेड० ए० अहमद]

खत्म हो, साम्प्रान्ती अवशेषों को खत्म करें, प्राइवेट सेक्टर के प्रभुत्व को तोड़ें, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करें, यू० पी० का औद्योगीकरण करें। प्रतिक्रियावाद असंतोष का फायदा उठा कर तेजी, से बढ़ रहा है, फिरकापरस्ती बढ़ रही है। उनको तभी राजनीतिक तरीके से काट सकेंगे और एक नई जिन्दगी अपने प्रदेश में और देश के अन्दर ला सकेंगे।

श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)---मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं तथा अपना आभार प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं। राज्यपाल जी ने दोनों सदनों को सम्बोधित करके जो अनुग्रह प्रदर्शित किया है हम लोग वास्तव में उसके लिये आभारी हैं।

एक ओर जहां राज्यपाल ने हारे हुए लोगों के प्रति दुःख व्यक्त किया है वहां नव निर्वाचित सदस्यों से आशा की है कि वे न केवल उनके स्थानों की पूर्ति करेंगे बल्कि नवीन परम्पराओं को कायम करके अपनी श्रेष्ठतम योग्यता का परिचय देंगे ताकि हमारे प्रान्त की उन्नति हो सके। साथ ही हमारे राज्यपाल महोदय ने उस चुनाव मशीनरी को बधाई दी है शान्तिमय और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये जो कि हाल में हमारे प्रदेश में हुए। वास्तव में इस प्रकार की बधाई हमारी चुनाव की मशीनरी के लिये बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से हमारे बीच में प्रजातंत्र का एक स्वस्थ वातावरण बनता है और आगे के लिये जो कर्मचारीगण होंगे उनको भी प्रोत्साहन मिलता है सुन्दर परम्पराओं पर चलने का।

साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में आगे अपने प्रान्त की तरक्की किन आधारों पर हो सकती है उन सभी रूपरेखाओं को भी प्रस्तुत किया। लेकिन खेद है कि उसके बाद भी विरोधी पक्ष के हमारे साथी मित्रों और सहयोगियों ने उसकी बहुत ही कटु आलोचना की और बहुत ही असंगत बातें भी उनके भाषण के सम्बन्ध में कह डालीं।

सबसे पहली बात जो कि इन लोगों ने संशोधन के रूप में प्रस्तुत की वह यह है कि सरकारी अधिकारियों ने कांग्रेस की जीत में हिस्सा लिया और उनको बढ़ावा दिया और अनुचित उपायों द्वारा कांग्रेस को विजय दिलाने का प्रयास किया। मैं इस बात से पूर्णतया असहमत हूं। इस प्रकार की आलोचना बिलकुल असंगत है। श्रीमन्, आपके इस पद पर असीन होने के पश्चात् एक माननीय विरोधी सदस्य ने यह कहा था कि अल्पसंख्यक होने के नाते हम कोई भी बातें असंगत कह सकते हैं। अगर इस माने में यह बात कही गयी है तब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर गंभीरता से यह बात कही गयी है तो वास्तव में सोचनीय है। आज का नागरिक बहुत ही सावधान है, चतुर है। उसे अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों का ज्ञान है। अगर आज के इस युग में हम यह कहते हैं कि अधिकारियों के द्वारा कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है तो इसमें कांग्रेस की कोई भी इन्सल्ट नहीं है। इस तरह का आरोप जो लगाया जाता है उसके द्वारा जनमत का खुला अपमान होता है। इट इज दी डायरेक्ट इंसल्ट टु दी पीपुल। इसका तात्पर्य यह है कि उन लोगों का जनमत में कोई विश्वास नहीं है। जिन लोगों को जनमत में विश्वास नहीं है उन लोगों को जनतंत्रात्मक तरीके की सरकार में भी कोई विश्वास नहीं है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

मैं समझता हूं कि उन्हें ठंडे दिल से सोचना चाहिये कि आज जनतांत्रिक सरकार है और जनतांत्रिक सरकार होने के नाते समस्त अधिकार जनता में निहित हैं। कांग्रेस ने जो बहुमत प्राप्त किया है उससे यह बात बिलकुल साफ है कि जनता के विचार, जनता की भावनायें आज पूर्णतया कांग्रेस के साथ हैं। इस बात का मैं पूर्णतया खण्डन करता हूं कि कांग्रेस को जिताने में सरकारी कर्मचारियों का कोई हाथ रहा है। इस तरह की बात करना आधार रहित है।

दूसरी बात जो कि हमारे साथियों ने, विरोधी पार्टी के मित्रों और सहयोगियों ने कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक उन्नति के लिये इस प्रदेश की सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, मैं इस बात से पूर्णतया असहमत हूं।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रत्यक्ष रूप से यह इंगित किया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में गावों में सहकारी समितियां कायम हो जायंगी और वे ग्रामीणों की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिये पर्याप्त रूप से सहयोग देंगी। उनके आधार पर चल कर हमारे कृषकों को कोई भी आर्थिक कठिनाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि कृषि की उन्नति के लिये बहुत से छोटे साधनों को सामूहिक रूप से तरजीह दी जायगी, उनका निर्माण किया जायगा जिससे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते उत्तर प्रदेश की लगभग २५ फीसदी भूमि की सिंचाई होने लग जायगी। साथ ही सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर सिंचाई के साधन भी जुटाये जायेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे बीज के लिये सरकारी फार्मों से बीज उपलब्ध किये जायंगे और कृषि के उत्पादन में जो पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धि हुई अपेक्षाकृत उससे अधिक वृद्धि होगी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की उन्नति के लिये और उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिये यह भी बतलाया कि न केवल कृषि में ही सुधार किया जायगा बल्कि लघु उद्योग-धन्धों को भी पनपाया जायगा और उनके लिये समुचित ट्रेनिंग इत्यादि की भी व्यवस्था की जायगी। इस सिलसिले में यह भी कहा गया कि लगभग ९ करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ले जाने में खर्च किया जायगा। इस तरह से हमारे राज्यपाल का अभिभाषण इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि हमारी सरकार ग्रामीणों की गरीबी की ओर से बिल्कुल विमुख नहीं है और उसका यह पूरा प्रयास है कि वह उनकी तरक्की कर सके।

बेकारी की बात जो हमारे विरोधी साथियों द्वारा कही गयी उसके लिये भी राज्यपाल जी ने प्रत्यक्ष संकेत किया है कि बहुत सी प्राविधिक शिक्षा संस्थायें कायम की जा रही हैं, रुड़की और दयालबाग के इंजीनियरिंग कालेजों का विस्तार किया जा रहा है और भी लघु शिक्षा संस्थाओं को उदारतपूर्वक अनुदान दिया जा रहा है जिससे कि टेक्निकल एजुकेशन को प्रोत्साहन मिल सके और हमारे विद्यार्थी पढ़ने लिखने के बाद छोटी-मोटी नौकरियों की तलाश में न घूमा करें बल्कि स्वावलम्बी बनें और अपनी रोजी के साधन पैदा कर सकें। इस सिलसिले में पिछड़े वर्ग और हरिजन विद्यार्थियों को विशेष सुविधायें दिये जाने की सरकार की ओर से व्यवस्था की गयी है।

श्री अध्यक्ष---समय समाप्त।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण और जो संशोधन पेश किये गये हैं विशेष रूप से माननीय श्री गेंदासिंह द्वारा उसके पक्ष में मैं बात करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कि मैं उन पर बात करूं मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल का अभिभाषण जो सम्बोधन के रूप में हमारे सामने सदन में प्रस्तुत किया गया वह अपने अर्थ को पूरा नहीं करता। उससे हमको सम्यक प्रकार से बोध न हो सका कि हम आगे आने वाले पांच वर्षों में क्या करने जा रहे हैं और विशेषकर जो यह वर्ष हमारा चलेगा उसमें हमारी गतिविधि क्या होगी। यह सही है कि वह इस स्थिति में नहीं थे कि वह अपनी रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत करते क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी सरकार किस नीति का अनुसरण करेगी। उसका क्या लक्ष्य होगा, इसलिये वह इस पर प्रकाश न डाल सके। यह एक विचित्र सी स्थिति है कि ५ वर्ष के लिये हम यहां पर जनहित में उपस्थित हुये हैं लेकिन क्या दृष्टिकोण होगा, क्या लक्ष्य होगा, इसका सम्पादन और प्रतिपादन हम नहीं कर पाये हैं।

मान्यवर, इस सदन में ४३० माननीय सदस्य हैं। उनमें यदि आप ध्यान से देखें तो १३९ सदस्य पुराने हैं और २९१ सदस्य नये हैं। यदि इसका प्रतिशत निकाला जाय तो आपको पता लगेगा कि ३२ प्रतिशत पुराने लोग हैं और ६८ प्रतिशत नये हैं। ये आंकड़े स्पष्ट कर देते हैं कि जन मानस बदल रहा है और बदल ही नहीं रहा है बल्कि वह आमूल परिवर्तन की अपेक्षा करता है। लेकिन जिस ओर होना चाहिये उस ओर नहीं हो पा रहा है। इससे घोर निराशा यदि इस प्रदेश में हो तो आश्चर्य नहीं मानेंगे। मान्यवर, जनमत के आधार पर आये हुये हम सब लोग

[श्री केसरीप्रसाद]

और हमारे जरिये इस प्रदेश की जनता अवश्य यह अपेक्षा करती थी कि इन ५ वर्षों में उसको कुछ राहत मिलेगी । लेकिन राहत मिलना तो दूर रहा उसके ऊपर दिन दूना रात चौगुना बोझ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ।

माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने जिस सरकार का गठन किया है और राज्यपाल महोदय को जिस पर अत्यंत गर्व है और जिसकी उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की है, वह सरकार अत्यंत घृणित समझी जाती है । इसके प्रति लोगों की आस्था नष्ट हो चुकी है, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है । यह कारनामे उनके लिये शोभा दे सकते हैं लेकिन इस सदन के लिये अत्यंत ही अनुपयुक्त हैं। मुझे याद है कि आपस के झगड़े ,तनाव और परेशानी के कारण किस तरह से इस मुल्क में परेशानी पैदा हुई है और राज्य बदला है । इतिहास में अलाउद्दीन का नाम प्रसिद्ध है । वह हिन्दुस्तान का राज्य अपनाना चाहता था उस समय उसका चचा जलालुद्दीन गद्दीनशीन था । दक्षिण को विजय करके जब वह कड़ा मानिकपुर पहुंचा तो उसका चचा उसका स्वागत करने के लिये आया तो उसकी पीठ में छरा भोंक दिया जाता है और दिल्ली की गद्दी हथिया ली जाती है । ठीक इसी तरह से माननीय गुप्त जी ने इस प्रदेश की जनता के साथ किया । उन्होंने अपने कतिपय साथियों को संतुष्ट करने के लिये और उनको साथ रखने के लिये, जिस तरह से अलाउद्दीन ने दक्षिण से लाया सोना उनके मुंह में भरा उसी तरह से उन्होंने विभागों का बंटवारा करके ४५ मंत्रियों की नियुक्ति की । इन नियुक्तियों से विक्षोभ हो तो आश्चर्य की बात नहीं है । मेरे कतिपय साथियों ने कहा कि इस प्रदेश में प्रकाश हो गया है । प्रकाश जितना है उतना आपको और हम को सब को मालूम है । यह राज्य ही घोर अंधकारमय है । जिस राज्य में चन्द्र और सूर्य दोनों ही गुप्त हों वह राज्य क्या प्रकाश दे सकता है ?

मान्यवर, राजकर्मचारियों की महामान्य राज्यपाल ने जिन शब्दों में प्रशंसा की है वह कुछ अंशों में सही हो सकती है लेकिन सर्वथा वह सही है, यह बात गलत है । उन अधिकारियों को बुरे रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी उन्हें गुमराह करने की जिम्मेदारी ज्यादातर उधर बैठे हुए हमारे साथियों पर है । इन साथियों ने चुनाव को जीतने के लिये आज ही नहीं, एक दो महीने पहले से ही नहीं बल्कि लगभग ५ सालों से लगातार उनको गुमराह किया, उन्हें भ्रष्ट किया श्रीमन्, इस सिलसिले में इन साथियों ने और इनके दोस्तों ने किस प्रकार से जनमत को बहकाने की कोशिश की, धमकी देने की कोशिश की, इस सम्बन्ध में एक पत्र मैं पेश करना चाहता हूं । पत्र को माननीय शर्मा जी के सुपुत्र जो सिंचाई विभाग में इंजीनियर हैं, सूरज जी ने लिखा है । उन्होंने लिखा है—"मुझे यह जानकर दुख हुआ कि आपने और शिवदयाल जी ने अपना वोट बाबू जी को नहीं दिया" ।

श्री अध्यक्ष—यह पत्र आप कौन-सा पढ़ रहे हैं ?

श्री केसरीप्रसाद—यह पत्र श्री सूरज श्री चतुर्भुज शर्मा के जो पुत्र हैं उन्होंने लिखा है ।

श्री अध्यक्ष—आप इसको न पढ़िये । आप उल्लेख कर सकते हैं । प्राइवेट लेटर आप नहीं पढ़ सकते हैं ।

श्री केसरीप्रसाद—इसमें जो मुख्य बात है उसका मैं उल्लेख कर दूं । उन्होंने उस वोटर को धमकी दी है । उन्होंने कहा है कि चूंकि आपने बाबू जी को वोट नहीं दिया है इसलिये आपको नुकसान होगा । इस प्रकार वे लोग जो मंत्रीपद पर आसीन हैं, निष्पक्षता की दुहाई देते हैं ऐसे ही लोगों के जरिये जनमत भ्रष्ट करते हैं ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—मैं, अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह पूछता हूं कि यह प्राइवेट पत्र जो आपको मिला है वह किस प्रकार से मिला है, कहां से लाये हैं, और क्या सबूत है कि उन्हीं का हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसीलिए वह पत्र नहीं पढ़ा। उन्होंने केवल यह कहा कि कदाचित किसी ने किसी को एक बात लिख कर भेजी थी।

एक मिनट आपका है।

श्री केसरीप्रसाद—श्रीमन्, इस तरह के अनाचार और इस तरह के कारनामे इनके हैं। मैं यह कह रहा था कि इन्होंने पांच वर्ष तक लगातार यह साजिश की कि किसी प्रकार से जीत कर आयें।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का टाइम दिया।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय जगदीशशरण जी का जो धन्यवाद का प्रस्ताव है मैं उसके अनुमोदन के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं आपकी आज्ञा से कुछ उन बातों की भी चर्चा करना चाहूंगा जो हमारे विरोधी पक्ष के बन्धुओं की ओर से यहां कही गई हैं। श्रीमन्, यह सर्वविदित है कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा सम्बोधन संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके ऊपर विवाद करने के लिये कुछ निश्चित मापदंड होना चाहिये। जहां तक श्रीमन्, मैं समझता हूं वह मापदंड यह होना चाहिये कि जिस सरकार के वह प्रतीक हैं उस सरकार की घोषित नीतियों की ओर स्पष्ट रूप से मोटे तौर पर कुछ संकेत का इंगन उसमें है अथवा नहीं। श्रीमन्, उस पर विचार इस दृष्टि से नहीं होना चाहिये कि सरकार विशेष की नीति क्या होनी चाहिये। इसके लिये दूसरा अवसर होना चाहिये। इस दृष्टि से मैं इस पर विचार करूंगा और आप मुझसे सहमत होंगे। श्रीमन्, जो घोषित नीति सरकार की है, समाजवादी समाज की रचना की, जब हम उसको दृष्टिगत रखकर के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राज्यपाल महोदय ने सरकार की नीति की ओर निश्चित रूप से संकेत किया है। यह बात दीगर है कि तफसील की बातें नहीं कहीं गईं और यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारे विरोधी बन्धुओं ने प्रायः उसमें तफसील की बात ढूंढने की कोशिश की। मैं समझता हूं ऐसा करना अभिभाषण के साथ न्याय करना नहीं होगा।

मैं केवल एकाध उदाहरण दूंगा जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि जो कुछ राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है वह हमारे समाजवादी समाज के लक्ष्य की ओर किया है। मैं उद्धरण देकर के पढ़ना नहीं चाहता। केवल संकेत कर देना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सहकारी समितियों के निर्माण की ओर, साधन सहकारी समितियों के निर्माण की ओर संकेत किया है और यह आश्वासन दिया है कि आगामी पांच वर्षों के अन्दर ही प्रत्येक ग्राम सभा में सहकारी साधन समितियां बन जायेंगी। यद्यपि अभी हमारे विरोधी पक्ष के एक बड़े माननीय नेता ने यह फरमाया कि सहकारी समितियों का निर्माण समाजवाद से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। मैं उन माननीय नेता से यह दरख्वास्त करूं कि कम्युनिस्ट चाइना में जो सहकारी समितियां बनाई गई हैं और जिनकी चर्चा करने में आपको बड़ा आनन्द आता है उनको आप समाजवाद की बुनियादी शक्तियों के रूप में मानते हैं या नहीं यह बात जरूर है कि उनमें कम्युनिस्ट चाइना की सरकारी मशीनरी का ज्याद उपयोग होता है, जब कि भारतीय सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया जाता है।

श्रीमन्, इसके बाद ही आप जब आगे बढ़ेंगे तो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम की चर्चा भी उसमें है। क्षेत्र समिति और जिला परिषद् का अधिनियम प्रशासकीय सत्ता को विकेन्द्रित करने का एक बड़ा ही स्पष्ट और क्रान्तिकारी अधिनियम है। यह कहते जाना कि इसमें बड़ी खामियां हैं, इसमें बड़ी त्रुटियां हैं, यह पर्याप्त नहीं है, यह बात अलग है और इसका जवाब देने का यह अवसर नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि जिस सरकारी शक्ति को

[श्री रामलखन शुक्ल]

अब तक ऊपर-ऊपर हम देखते थे उसे हमारे ग्रामीण अंचलों की प्राथमिक इकाइयों तक पहुंचाने का प्रयत्न हो रहा है और वह इस अधिनियम के द्वारा निश्चित रूप से पहुंचेगी।

जहां हम टैक्सेशन का जिक्र करते हैं और टैक्सेशन के भार से जनता को मुक्त करने की बात वहां करते हैं जनता को अब यह समझाने और समझने का अवसर मिलेगा कि उनको स्वयं ही अपने को टैक्स करना है और टैक्स करके उसे रचनात्मक कार्यों में खर्च करने का उन्हें अवसर और अधिकार है और सही मानों में उन करों की सार्थकता को सिद्ध करने का उन्हें लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार एक लोकतांत्रिक तरीका दिया गया है। श्रीमान, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सी और बातों की चर्चा की गई है और उनके सम्बन्ध में दोनों तरफ से काफी उत्तर प्रत्युत्तर भी हुए हैं। मैं ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहता।

एक बात की ओर अवश्य मैं संकेत करना चाहता हूं। मेरे विचार से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वह एक ओमीशन है। राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के सम्बन्ध में सकेत किया और मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि पोस्ट ग्रेज्युएट टेकनिकल ट्रेनिंग के लिये गोरखपुर में भी एक केन्द्र खोलने के लिये उन्होंने आश्वासन दिया है। परन्तु श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री गेंदासिंह--मेडिकल कालेज कहीं चला गया।

श्री रामलखन शुक्ल--यह आपकी भी सुस्ती थी।

श्री अध्यक्ष--आप अपना भाषण जारी रखें। आपस में बातचीत न करें।

श्री रामलखन शुक्ल--माननीय सदस्य मेरे बड़े निकट के मित्र हैं। उनको कुछ भी कहने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--मित्रता आप बाहर के लिये रखें। यहां अपना भाषण करें।

श्री रामलखन शुक्ल--मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि शिक्षा के सम्बन्ध में उस भाषण में एक ओमीशन है, वह है शिक्षकों के बारे में। जब हम प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की ओर ध्यान देते हैं, जब हम माध्यमिक शिक्षालयों के शिक्षकों की ओर ध्यान देते हैं तो उनकी दयनीय दशा हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। इसमें मार्के की बात यह है कि शिक्षा के लिये केवल आर्थिक दृष्टिकोण का प्रश्न नहीं उठता। उसमें केवल आर्थिक विचार का प्रश्न नहीं उठता है। उसमें मुख्य प्रश्न मनोवैज्ञानिक उठता है। प्राथमिक पाठशाला का शिक्षक जब यह विचार करता है कि सेक्रेटेरियट का चपरासी मुझसे अधिक वेतन पाता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्षुब्ध हो जाती है। इसी प्रकार से माध्यमिक स्कूल का अध्यापक जब यह सोचता है कि शिक्षा जगत में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से अधिक वह सेवा करता है फिर भी कम वेतन उसको मिलता है तो उसको भी मानसिक परेशानी होती है और उसकी मनः स्थिति क्षुब्ध हो जाती है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विषमता को दूर करना चाहिये। यदि यह विषमता दूर नहीं हुई तो वह वर्ग, जो मानव बनाने के लिये जिम्मेदार है और मानव बनाने का कार्य जिसको सुपुर्द किया गया है, क्षुब्ध रहता है तो हमारी विकास योजनाओं के प्रगति के पथ में सदैव एक प्रकार से बाधा ही उपस्थित हुआ करेगी।

श्रीमन्, कुछ बातें मेरे विरोधी बन्धुओं की ओर से कही गई। मैं उस ओर भी आपके द्वारा माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपसे सच निवेदन करूं कि मैं दो दिन से इस उम्मीद में बैठा था कि इस सदन में विरोधी पक्ष की ओर से बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण भाषण होंगे। मैं जहां तक सोचता हूं कि जिस लोकतन्त्रात्मक समाजवाद में कांग्रेस की आस्था है, जिसमें अधिकांश विरोधी पक्ष के बन्धुओं की भी आस्था है और प्रदेश के सभी समाजवादी विचारकों की आस्था है, उसके सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट मान्यतायें हैं और विरोधी पक्ष की भी कुछ

जिम्मेदारी होती है, रेस्पांसिबिल अपोजिशन की भी कुछ जिम्मेदारी होती है । जहां तक मैं समझता हूं संयम, सहिष्णुता और उत्तरदायित्वपूर्ण सुझाव उनके विशेष गुण होने चाहिये। यदि उनके पक्ष की तरफ से केवल एकांगी विचार प्रकट किये गये, केवल अपनी कमजोरी और समाज की कमजोरी किसी पार्टी विशेष पर लादने का प्रयास करके ही अपने कार्य की इतिश्री मान ली गई तो लोकतन्त्र समाप्त हो जायगा। वोट मांगने के समय यह कहा जाता है कि वह पार्टी अपना उत्तरदायित्व पूरा करने जायेगी। उस समय कहा जाता है कि यदि हम असेम्बली में जायेंगे तो इस प्रकार विरोध में काम करेंगे जिससे हमारी सरकार के काम ठीक से चलें, वहां पर जाकर अपना उत्तरदायित्व निभायेंगे। उससे मुझे उम्मीद थी कि यहां पर उसी तरह से बातें कही जायंगी लेकिन जब मैंने देखा तो जब नितान्त उसके विपरीत यहां पर बातें पाईं। मैंने जो विरोधी पक्ष के नेता के भाषण का विश्लेषण किया तो मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि सारी बातों में भाषण के कौशल का प्रदर्शन था और इस कौशल के प्रदर्शन के प्रलोभन को हमारे बड़े बड़े महारथी भी संवरण नहीं करसके। सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाना सदन में एक प्रथा-सी बन गई है, एक आम बात सी बन गई हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने भी इस मे कोई कसर नहीं रखी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अवसर ऐसा है कि जब विरोधी पक्ष के नेता का उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाना कर्त्तव्य है जो चुनाव के संघर्ष के समय सामने आई हैं। बडे-बड़े महारथी भी उस तरफ से इन्सानी कमजोरियों से लाभ उठाने का लोभ संवरण नहीं कर सके। उन्होंने भी इस बात को कहा कि यदि एक वोट तुम ऊपर वाले किसी को देते हो तो एक वोट हमको दो।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कुंवर श्रीपाल---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मैं सुन रहा हूं कि दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने दो बातों पर बहुत अधिक बल दिया। एक बात तो यह है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, उनमें जोर जबरदस्ती बरती गई और अनेक तरह के हथकंडे काम में आये। इसके प्रमाणस्वरूप बहुत-सी बातें कही गयीं और कुछ अभिलेख भी दिखलाये गये और उधर से सफाई दी गयी कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। माननीय राज्यपाल जी ने अपने भाषण में खुले शब्दों में कर्मचारियों की तारीफ की ह। अधिक कहना तो बेकार होगा, मेरे पास एक प्रमाण है। यह उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड का २८-२-६२ का पत्र है, पत्र संख्या है ७ /जनरल/२५८५/ । यह पत्र होतीलाल जी को लिखा गया है और लिखने वाले हैं महाबीर प्रसाद शुक्ल, प्रधान मंत्री।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जायं। श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल इस सदन के सदस्य नहीं हैं और इसलिये उनके संबंध में यहां कोई बात कहना अनुचित होगा। आप जो टीका करना चाहते हैं वह कर सकते हैं लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के संबंध में कोई आलोचना न करें।

श्री कुंवर श्रीपाल---मैं उनका नाम बिलकुल नहीं लेता, लेकिन चूंकि वह प्रधान मंत्री हैं पार्लियामेंटरी बोर्ड के, इसलिये मैंने उनका नाम ले लिया। पत्र जरूर मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं कि उसमें लिखा क्या है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन वह यहां के सदस्य नहीं हैं।

श्री कुंवर श्रीपाल---श्रीमन्, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पत्र में यह लिखा है कि ....

श्री अध्यक्ष---आप पत्र क्यों पढ़ते हैं? आप अपना तात्पर्य बतला दीजिये कि पत्र क्यों पढ़ना चाहते हैं।

श्री कुंवर श्रीपाल---यह इसलिये पढ़ना चाहता हूं कि इस पत्र के द्वारा सरकारी अफसरों के ऊपर दबाव डाला गया है और इसीलिये माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो निष्पक्ष चुनाव की बात कही गयी है उसके विरोध में इसे मैं रखना चाहता हूं। इस में लिखा है---"आपका पत्र और साथ में आनन्द स्वरूप सक्सेना का पत्र मिला। कुमैत गांव के सिलसिले में हमने विभाग के संबंधित अधिकारी से बात कर ली है। आशा है इससे अनुकूल परिणाम होंगे। आपकी आज्ञा से चुनाव संबंधी प्रचार साहित्य व सामग्री....."

(व्यवधान)

एक सदस्य---यह पत्र भी उसी प्रकार का है जैसा कि पहला पत्र था।

श्री अध्यक्ष---मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप बैठें। आप जो पत्र पढ़ रहे हैं और आपने उसे पढ़ कर सुना भी दिया। अब मैं यह निर्णय करता हूं कि पत्र में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उससे कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता कि वह चुनाव के संबंध में था। इसलिये आप कृपा कर उस पर अधिक विस्तार से कुछ न कहें और अपने विषय पर आयें।

श्री कुंवर श्रीपाल---आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन अंतिम लाइन इसकी श्रीमान् सुन नहीं सके इसलिये कि हल्ला होने लगा था।

श्री अध्यक्ष---न तो वह सदन के सदस्य हैं और न मंत्री थे, न कोई अफसर; न उन के लिये सरकार की कोई जिम्मेदारी है। सरकार उस पत्र के लिये जिम्मेदार नहीं है इसलिये मैं उसको रूल आउट करता हूं और आप उसे न पढ़ें।

श्री कुंवर श्रीपाल---जैसी आपकी आज्ञा। तो मतलब यह है कि सरकारी अफसरों पर दबाव डालने वाली जितनी बातें भी हैं वह इस प्रकार से की गयी हैं और जिसके अनेक प्रमाण हैं। श्रीमन्, शाहगंज क्षेत्र में पी०ए० सी० की बटालियन एक नहीं, तीन-तीन ट्रकों में चढ़ कर मंत्री जी के नेतृत्व में गांव-गांव घूमी। कहा गया कि वोट जरूर डालने जाओ। डरो मत। यह दिखलाया गया कि लोग वोट देने से डर रहे हैं और इसलिये उनकी सुरक्षा के लिये पी० ए० सी० की बटालियन को लेकर गांव गांव घूमा जा रहा है। दिखलाने के लिये कुछ और, करने के लिये कुछ और, इस प्रकार हर जगह बल का प्रयोग किया गया है जो अनेक स्थानों पर उभड़ कर सामने आया है और कई स्थानों पर जिसके फलस्वरूप गोलियां चली हैं और तमाम अन्य बातें हुई हैं। आज ही वह बात हुई हो ऐसी बात नहीं है। इसका आभास पहिले ही कुछ लोगों को हो गया था।

पूज्य बापू जी ने जिनकी यह सामने तस्वीर लगी हुई है और जिनकी प्रतिभा से ही देश स्वतंत्र हुआ आज नहीं कई साल पहले २१ मई, १९४७ को पटना की प्रार्थना सभा में बिहार में 'कौमी आग' नामक गुजराती पुस्तक के पृष्ठ ३९० पर यह है, कहा था---"हमने स्वराज्य लेने का पाठ तो लिया पर उसे संभालने का पाठ नहीं सीखा। हमारी सत्ता ब्रिटिश की भांति बन्दूक के जोर से नहीं टिक सकेगी। अनेक त्याग तपों के बाद कांग्रेस ने प्रजा का विश्वास प्राप्त किया है। परन्तु यदि आज कांग्रेस वाले प्रजा को दगा देंगे और सेवा करने के बदले मालिक बनेंगे तथा स्वामित्व दिखावेंगे तो मैं कदाचित् जीवित रहूं या नहीं, पर इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह आगाह करने की हिम्मत करता हूं कि देश में बगावत होगी, सफेद टोपी वालों को प्रजा चुन-चुन कर मारेगी और कोई तीसरी सत्ता इसका लाभ उठावेगी,' (व्यवधान होने पर) मेरे यह शब्द नहीं हैं, यह उन्होंने जो कहा है उसी का एक उद्धरण है जिनकी छत्र छाया में आजादी मिली है, जिनके आप भक्त हैं उन्होंने यह कहा है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गोली और बन्दूक का प्रयोग होगा और वह आज हो रहा है। इतना ही नहीं बलिया जिले में बाकायदा पुलिस आफिसर्स ने कन्वेसिंग किया, लोगों को धमकाया और वोट दिलवाया। मेरे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं। एक प्रमाण

एक माननीय सदस्य पांडेय जी ने इंजीनियर महोदय का दिया कि उन्होंने किस तरह से अपने विभाग पर दबाव डाला ।

दूसरी चीज जाति–पांति के बारे में कहना चाहता हूं । इसके आधार पर भी वोट लिये गये । मैं इसको मानता हूं कि इसका प्रचार किया गया और इस गन्दे प्रचार के कारण भी लोग चुन कर आये । मगर उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि एक हल जिधर से चलेगा तो दूसरा उसके पीछे पीछे जरूर चलेगा । जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो देश के हित के लिये अपना दायित्व समझती है और सरकार सम्भाले हुये है, वह जिस रास्ते पर चलेगी तो उसी रास्ते पर और पार्टियां चलेंगी और मजबूर हो कर चलेंगी । प्रमाण के लिये मेरे पास एक पैम्फलैट है जो चुनाव के अवसर पर कांग्रेस की तरफ से बांटा गया था जिसमें ऊपर लिखा है "त्यागी भाइयों की सेवा में प्रार्थना" और उसके द्वारा त्यागी की भावना को उभाड़ा गया । इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)––यह गलत है प्रचार के लिये दूसरे लोगोंने उसको निकाला होगा ।

श्री कुंवर श्रीपाल ––मैं इसको पढ़ दूं तो मालूम हो जायेगा .....

श्री अध्यक्ष––आप उसे पढ़िये मत ।

श्री कुंवर श्रीपाल––तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चीजें जरूर हुई हैं कि जाति-पांति के नाम पर वोट मांगे गये हैं और इसको रोकने की तरकीब होनी चाहिये । कीचड़ उछालने से लाभ नहीं होने वाला है । यह एक ऐसी बीमारी है जिसे हमें उखाड़ फेंकना है और उसके उखाड़ने के दो तरीके हैं । एक तरीका तो यह है कि जिस दिन नामिनेशन पेपर फाइल किये जायं उसी दिन सरकार इस्तीफा दे दे । दूसरी चीज यह होनी चाहिये कि चुनाव विशुद्ध पार्टी लाइन पर हो और जितने प्रतिशत जिस पार्टी को वोट मिलें उसी हिसाब से वह पार्टी अपने अपने आदमियों को यहां भेजे । चुनाव व्यक्तिगत न हों, पार्टी का चुनाव हो । यही तरीका है जिससे इस जाति–पांति की बीमारी को दूर किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष––अब समय नहीं है, कठिनाई हो रही है ।

श्री कुंवर श्रीपाल––निवेदन यह करना है कि हमारी जनता का रुख किस तरफ जा रहा है । यहां भले ही हल्ला मचावें, वाग्युद्ध करें, लेकिन जनमत किधर जा रहा है, यह देखने की चीज है । सन् ५७ में कांग्रेस को ४२.४२ प्रतिशत वोट मिले और इस चुनाव में ३६.३२ । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को पिछले चुनाव में १४.४६ और इस चुनाव में ११.४४ प्रतिशत मिले । सोशलिस्ट पार्टी को १०.० प्रतिशत और अब ८.३५ प्रतिशत मिले, और जनसंघ को पिछले चुनाव में ७.८४ और इस चुनाव में १६.४७ प्रतिशत वोट मिले । तो जनता का रुख देखिये और पहचानिये ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)––अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि राज्यपाल के भाषण के ऊपर जो संशोधन इस सदन में माननीय विरोधी दल के नेताओं की तरफ से प्रस्तुत किये गये उनमें वे ही बातें दोहराई गईं अधिकांशतः, जो चुनाव के मैदान पर जगह-जगह पर दोहराई गईं और जिनके विषय में स्वतः जनता ने अपना फैसला कर दिया कि आया वे बातें कोई सत्यता या वास्तविकता रखती हैं या नहीं । मैं नहीं समझता था कि इस सरकार के बनते ही फिर वे बातें जो कि चुनाव के समय दुहराई गई थीं उन्हीं के दोहराने में इस सदन का कीमती वक्त लगाया जायगा । आखिर कौन-सी नई बात सरकार ने बनते ही कर दी जिसके ऊपर आपत्तियों की झड़ी लगा दी गई ?

हां, सरकार के बनने का अवश्य एक प्रश्न है जिसके विषय में दो मत हो सकते हैं और व्यक्त किये भी गये कि सरकार का रूप इतना लम्बा–चौड़ा नहीं होना चाहिये था, हालांकि

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मैं इस अवसर पर यहां यह कह देना चाहता हूं कि जो सरकार इस प्रदेश में बनी है, यदि अन्य प्रदेशों की सरकारों का मुकाबला किया जाय तो जन संख्या के अनुपात में, प्रदेश की आमदनी के अनुपात में और सदस्यों के अनुपात में जो संख्या सरकार की बनी है वह कोई बहुत अधिक प्रतीत नहीं होगी। उसमें भी यदि अन्य प्रदेशों से मुकाबला किया जायगा तो हमारे प्रदेश का स्थान छठां, सातवां और आठवां जनसंख्या के अनुपात में, आमदनी और सदस्यों के अनुपात में रहेगा। मैंने आंकड़ों को इकट्ठा किया था और उनसे विदित हुआ कि १५० करोड़ के करीब जो हम खर्चा करने वाले हैं उसके अनुसार अन्य प्रदेशों के अनुपात में मन्त्रिमण्डल के ऊपर व्यय अधिक नहीं है।

फिर अन्य प्रदेशों में तो वह प्रणाली आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की अपने यहां रखी नहीं है, यद्यपि पिछले वर्ष जब पिछली सरकार ने कार्यभार सम्हाला था तो इस सदन के समक्ष वह एक विधेयक लाई थी और उस विधेयक के तहत में उसने यह विचार सदन के समक्ष प्रकट किया था कि हमें नये व्यक्तियों को पार्लियामेंटरी पद्धति में अनुभव देने के लिये, शिक्षा देने के लिये उस पद्धति को अपनाना चाहिये और इस सदन के आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की पद्धति को स्वीकार किया था। जब इस सदन ने उसको स्वीकार किया था तो उसका लाजमी नतीजा यह था कि आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज अवश्य रखे जायेंगे और उनकी संख्या ऐसी होगी जिस संख्या के द्वारा हम नवयुवकों को, नये सदन में आने वाले आगन्तुकों को पार्लियामेंटरी पद्धति का अनुभव करा सकें और उन्हें यह जानकारी करा सकें कि जिनकी बुनियाद पर पार्लियामेंटरी पद्धति चलती है और विकसित होती है। इस कारण से यदि आप मन्त्रियों, स्टेट मिनिस्टर्स और उप-मन्त्रियों की संख्या का मुकाबला अन्य प्रदेशों से करेंगे तो कोई भारी अन्तर आपको प्रतीत नहीं होगा।

महाराष्ट्र प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या हमारे से बड़ी नहीं है, न जिसकी आमदनी हमसे बड़ी है और न जिसके सदस्य हमसे अधिक हैं। वहां भी आपने देखा होगा कि मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स की संख्या ३१ है और अभी हमारे यहां ३२–३३ की संख्या में वे हैं। तो आज इस प्रकार का आरोप लगाना कि हमने एक बहुत बड़ा विस्तार इस मन्त्रिमण्डल का कर दिया है, आज के हालात में और आज की परिस्थितियों में उसका अध्ययन करते हुये हम यह नहीं कह सकते कि इस प्रदेश की सरकार ने बहुत भारी गलती की है। मन्त्रिमण्डल का गठन किस तरह का हो, कितनी संख्या में उसमें मन्त्री, राज्य मन्त्री और उप-मन्त्री हों, यह एक ऐसा विषय है जो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार तय होता है और अब का अवसर ऐसा था कि जिसमें हमें इस पद्धति का अनुसरण करते हुये, जिसको हमने स्वतः बनाया था, हमने अपने इस मन्त्रिमण्डल की संख्या उतनी रखी जितनी घोषित हुई है और जिसके विषय पर आपत्तियां हुई हैं। मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम ४०–५० हजार रुपया साल में, जहां डेढ़ सौ करोड़ रुपया साल में खर्च करेंगे अपने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज पर व्यय कर दें तो क्या वह धनराशि कोई अधिक होगी, उसके मुकाबले में जो हम यहां इस सदन में बैठ कर रोजमर्रा व्यय करते हैं? आखिर को इस सदन का रोजमर्रा का खर्चा १०–१५ हजार का है। यदि हम यहां बहस को बढ़ाते हैं और उन्हीं बातों को दोहराते हैं तो क्या वह उस खर्चे में वृद्धि नहीं करता? तीन दिन अगर हम बहस को बढ़ा दें किसी विषय पर तो जितना हम पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज पर व्यय करेंगे उतना तो यह सदन स्वतः बचा सकता है। तो आज खर्चे की बुनियाद पर और खर्चे में कमी लाने की बुनियाद पर जो दीक्षा हमें उनके द्वारा प्रदान की जाती है, मैं सविनय आलोचकों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हीं बातों को दोहराने से सदन का खर्चा बढ़ता है और समय व्यतीत होता है, और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। एक परिस्थिति थी और उस परिस्थिति में सरकार बनी और उन नियमों और उस अधिनियम के अनुसार बनी जो सदन ने स्वतः स्वीकार किये थे। आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की पद्धति और उसकी नियुक्ति को इस सदन ने स्वीकार किया था। अगर हमने उसी के अनुसार उनकी नियुक्ति कर दी तो क्या आश्चर्यजनक बात हो गई?

आज इस बारे में बहुत बड़ी शिकायत की गई कि चुनाव में बड़ी बेउनवानियां हुईं, यह कितने दुख की बात है? हम सब गणतन्त्र के मानने वाले हैं, हम चाहते हैं कि गणतन्त्र फूले और फले और विकसित हो। तो क्या गणतन्त्र के फूलने फलने और विकसित होने का यही तरीका है कि जिन लोगों से चुनाव में काम कराया जाय और वे काम भी ईमानदारी से करें, निष्पक्षता से करें फिर भी हम उनको भला बुरा कहें? क्या यह अनुचित बात नहीं है? क्या उनको बेकार में ही बदनाम करने की चेष्टा नहीं की जा रही है? इसके बारे में आज और कल सदन में बहुत-सी बातें कही गईं। मैंने चीफ एलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि क्या किसी जिले से अथवा किसी जगह से उनके पास कोई ऐसी शिकायत आई है? चाहे वह शिकायत किसी चुने हुये सदस्य की ओर से हो अथवा किसी हारे हुये व्यक्ति की ओर से हो, उसका उत्तर मुझे मिला कि उनके पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। फिर मैंने पूछा कि क्या किसी रिटर्निंग आफिसर की ओर से इस प्रकार की कोई शिकायत आई है, इस पर भी उनका यही उत्तर था कि इस प्रकार की भी कोई शिकायत उनके पास नहीं आई। लेकिन आज यहां यह शिकायत की जा रही है कि जगह-जगह पर बेउनवानियां हुई हैं, पक्षपात किया गया है, जब कि आज ही, जैसा कि अखबारों से विदित हुआ है, एलेक्शन कमिश्नर ने स्वतः बताया कि किस प्रकार से चुनाव लड़े गये और किस प्रकार से आफिसरों ने उसमें काम किया है। उन्होंने कहा कि जितनी भी निष्पक्षता से अधिकारीगण कार्य कर सकते थे उन्होंने कार्य किया तथा उत्तम ढंग से चुनाव का कार्य चलाया। आज चीफ एलेक्शन कमिश्नर, जो सारे चुनाव की जिम्मेदारी रखता है और एक निष्पक्ष व्यक्ति है, वह तो अधिकारियों के विषय में इस प्रकार की चर्चा करता है लेकिन ये लोग जो गणतन्त्र में विश्वास रखने वाले हैं, उसको मानने वाले हैं, वे उसकी निंदा करते हैं जब कि निंदा करने का कोई कारण भी नहीं है।

आज मुझे इसलिये भी दुःख होता है जब कि यह चीज उस समय होती है जब कि बाहर के देशों में गणतंत्र पर हमले हो रहे हों और एक के बाद दूसरे देश से गणतंत्र समाप्त होता जा रहा हो। ऐसे समय में हम गणतंत्र के विषय में इस प्रकार की चर्चा करते रहें कि जो अधिकारी सरकार के तहत में काम करते हैं वे निष्पक्ष नहीं हैं तो क्या उससे ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है जो गणतंत्र में विश्वास नहीं रखते, जो गणतांत्रिक तरीकों को नहीं मानते। आप आमंत्रित करते हैं ऐसे व्यक्तियों को कि वे ऐसे तरीके अपनायें जो गणतंत्र के विरोध में हैं। आज पड़ोस के देशों में क्या हो रहा है? वहां गणतंत्र समाप्त हो रहा है, फौजी हुकूमतें कायम हो रही हैं। रोज सुबह अखबारों के पन्नों को उलटिये तो ज्ञात होता है कि आज इस देश में फौजी हुकूमत कायम हो गई और आज उसमें, तो हम किधर जाना चाहते हैं? हम क्या ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति देश के अन्दर लाना चाहते हैं जिससे गणतन्त्र की परम्परा हमारे बीच में उभरने ही न पावे और गणतन्त्र में विश्वास जनता के बीच में विकसित ही न होने पावे? मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो आलोचक बेबुनियाद आलोचना करते हुये अधिकारियों की निन्दा करते हैं, वास्तव में वे गणतन्त्र के साथी नहीं हैं और वास्तव में वे गणतन्त्र को विकसित होते नहीं देखना चाहते हैं। वे वही परिस्थिति लाना चाहते हैं जिन परिस्थितियों के बीच में देश में फौजी शासन आता है। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि गणतन्त्र विकसित हो और उभरे, तो आज की वास्तविकता को सामने रख कर हमें चलना है।

हमने चुनाव में हिस्सा लिया, चुनाव में विभिन्न दल लड़े और लड़ाई के बाद जनता ने स्वतः हम सबको यहां भेजा। तो उस सारे नतीजे को मान कर ही हम क्यों नहीं चलते हैं? जिस तरह के भाषण यहां पर हुये, ये आलोचनायें तो जगह-जगह हर जलसे में आपने कीं और जनता ने उनको सुना और उसके उपरान्त भी चाहे कम संख्या में ही कांग्रेस जन को मत मिला है लेकिन आज यह वास्तविकता है कि कांग्रेस सरकार इस प्रदेश में बनी, क्योंकि उसका बहुमत था। जब बहुमत में जनता ने कांग्रेस को यहां भेजा तो वह आपकी तमाम आलोचनाओं व टीका टिप्पणियों को सुन कर ही भेजा। फिर उन्हीं बातों को इस सदन में

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

क्यों दोहराया जाता है, जबकि आपकी तरफ से कोई कांस्ट्रक्टिव सजेशन्स आने चाहिये थे। जिन बातों पर इस सदन में पहले जमाने में बहस हो चुकी है, सूचना मिल चुकी, और तमाम बातें सदन के सामने आ चुकीं वहीं बातें सदन में दोहरायी जाती हैं और सदन के सामने लाई जाती हैं और फिर ८—१० रोज के बाद जब जनरल बजट आयेगा तो उस समय वे ही सारी बातें दोहरायी जायेंगी।

पिछले १०—१५ वर्ष का जो इतिहास है वह प्लानिंग का इतिहास है। यह सही है कि हमारे प्रदेश में उसकी आवश्यकता के अनुपात में इतनी चीजें निर्मित नहीं हो सकीं, गुरबत जिस मात्रा मे मिटनी चाहिये थी उस मात्रा में नहीं मिट पायी, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान व पिछड़ा वर्ग उत्तरोत्तर प्रगति व उत्थान के मार्ग पर नहीं बढ़ रहा है। मैं भी इस प्रदेश के गांव-गांव में और कोने—कोने में भ्रमण कर चुका हूं और इस बात को कह सकता हूं कि जगह—जगह किसानों में एक उमंग और उत्साह दिखलायी देता है। पहले जो किसान सारी बातों को किस्मत पर छोड़ देते थे आज वे अपने पैरों पर खड़े होने की आदत डाल चुके हैं और उत्तरोत्तर उस आदत को डालकर आगे बढ़ने की चेष्टा करते जाते हैं। इस प्रदेश के कोने—कोने में जितना मैं घूम चुका हूं, कदाचित् उतने अधिक अंश में यहां बैठे हुये माननीय सदस्यों में कोई न घूमा होगा। जो कहते हैं कि कोई प्रगति नहीं हुई है यह वास्तविकता के परे बात है, वे तथ्य को छिपाना चाहते हैं और वह तथ्यों को पीछे रखकर आलोचना के रूप में अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इन तरीकों से न तो हम आगे बढ़ सकते हैं और न वह आगे बढ़ सकते हैं। विरोधी दल ,जो कल आ कर यहां सरकार बना सकता है जैसा कि गणतंत्रीय परम्परा में सम्भव है, तो उसकी बातों में कुछ तथ्य, कुछ वास्तविकता और कुछ असलियत तो होनी ही चाहिये ।

जो बातें यहां और चुनाव के जमाने में उस तरफ के लोगों के द्वारा कही गईं कि हम यह टैक्स नहीं लेंगे, वह टैक्स नहीं लेंगे, और हमारे टैक्स लगाने पर बड़ी भारी आलोचना की गई, लेकिन मैं जानता हूं कि बगैर टैक्स लगाये हुये वह कल को अगर सरकार बनाते हैं तो वह उन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर नहीं ओढ़ सकते, उस जिम्मेदारी को नहीं सम्भाल सकते जो कल सरकार बनाने की दशा में इन कुर्सियों पर बैठ कर उन के ऊपर आ सकती हैं। और अगर वह इसका लिहाज रखते हैं और जनता की सेवा करने की आकांक्षा रखते हैं तो वह विरोधी दल जो कल को सरकार बनाने की जिम्मेदारी ले सकता है, वह अपनी उस जिम्मेदारी को इन अवास्तविक और तथ्यहीन बातों से ही सम्हालेगा ? अपोजीशन को जनतंत्र प्रणाली में बहुमत पाने पर उन्हीं जिम्मेदारियों को ओढ़ना होता है जो जिम्मेदारियां आज सरकार की हैं।

कहा जाता है कि आज यहां कर भार बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप यहां के टैक्स को अन्य सूबों के टैक्सेज के मुकाबले में देखें, उसके आंकड़ों को देखें तो वह आज बहुत कम हैं। जब हम हर चीज केन्द्र से मांगते हैं, केन्द्र से हम उद्योग-धन्धे और लोन्स मांगते हैं और उन से हम अपने यहां के लिये औद्योगीकरण की मांग करते हैं तो केन्द्र हम से पूछता है कि तुमने टैक्स के द्वारा कितनी पूंजी अपने किसी अमुक कार्य के लिये रखी है. . . .

श्री उग्रसेन—कितने बड़े कारखाने आप लाये यहां के लिये ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, बीच में इस तरह से न बोलें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सूबे के रहने वालों को टैक्स देने से गुरेज नहीं होना चाहिये। अगर हमें प्रदेश में बड़ी योजनायें और उद्योग लाने हैं तो प्रदेश की जनता को टैक्स अधिक देना होगा और केवल वही उपाय है प्रदेश में विकास लाने का। टैक्स यहां के किसान को

देना होगा और गरीब से गरीब आदमी को भी देना होगा। मैंने २–३ महीने के अन्दर जिस किसी भी जलसे में तकरीर की है तो मैंने कोई अवसर नहीं छोड़ा है कि जब कि मैंने प्रदेश के मतदाताओं से यह न बतला दिया हो कि यदि आप हमारे हाथ में सत्ता देना चाहते हैं तो हम अधिक टैक्सेज लगायेंगे और अधिक टैक्सेज के द्वारा अपनी आय बढ़ाकर प्रदेश का और अधिक विकास और औद्योगीकरण.....

श्री उग्रसेन––माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मुझे मुख्य मन्त्री बनाना चाहते हैं तो वोट दीजिये.....

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैं शांति से सुनता रहा और बीच में कोई आपत्ति नहीं की। मैं इन तरीकों को पसन्द नहीं करता, मैं निवेदन करूंगा कि वह दूसरों की बात को सुनने की क्षमता अपने में पैदा करें।

आज जब हमारे माननीय गेंदा सिंह जी सदन में आते हैं और कहते हैं कि टैक्सेज का बोझ ज्यादा है और कहते हैं कि इरिगेशन रेट्स पर से रिबेट नहीं हटाना चाहिये और किसान बिलकुल त्रसित हो रहा है, मैं इसको नहीं मानता और मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर हम देश में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, जो समाजवाद के विरोधी हैं उनकी तो मैं बात नहीं करता लेकिन यदि हम समाजवादी व्यवस्था देश में लाना चाहते हैं तो, लोगों को टैक्स के बोझ को उठाना पड़ेगा और उस बोझ को हमें भी उसी प्रकार सहन करना पड़ेगा जिस प्रकार कि अन्य प्रदेशों के रहने वालों को सहना पड़ता है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन रिजर्व बैंक की जो सर्वे रिपोर्ट है वह बतलाती है कि आप दूसरे सूबों के मुकाबले में कितना टैक्स देते हैं? वह साफ बताती है कि यू० पी० के निवासी कम टैक्स देते हैं दूसरे सूबों के रहने वालों के मुकाबले में। यदि आप ४९७ करोड़ की अपनी तीसरी योजना ५ वर्ष में पूरी करना चाहते हैं, और ३५० करोड़ रुपया आप अनुदान और लोन के रूप में केन्द्र से लेना चाहते हैं तो १४७ करोड़ रुपये का बोझ अपने कन्धों पर अवश्य ही स्वयं लेना पड़ेगा। आपको इस टैक्स के बोझ को बरदाश्त करना होगा तभी केन्द्र भी आपकी सहायता कर सकता है और हमें उस बोझ से अपने को दूर नहीं हटाना होगा यदि हम निर्माण देश का करना चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि बिजली अधिक मात्रा में पैदा हो, यदि हम चाहते हैं कि उद्योग अधिक मात्रा में बढ़े, यदि हम चाहते हैं कि औद्योगीकरण का वातावरण देश में पैदा हो और बेरोजगारी हटे तो उसके लिये आज के काल के नागरिकों को बोझ उठाने पड़ेंगे और यह सरकार भी बोझ उठाने से गुरेज नहीं करती। यदि यह सरकार आई है तो जनता को सचेत करके आई और जनता को बता कर आई है और यदि इस प्रदेश की जनता इस सरकार की भावनाओं में विश्वास नहीं रखती थी तो हमारे पीछे बैठे साथियों को नहीं चुनती और दूसरे जो हमारे साथी हैं उनसे अधिक संख्या में चुनकर यहां नहीं भेजती, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। असलियत तो यह है कि चाहे कम संख्या में ही सही लेकिन आपसे तो अधिक संख्या में उन्होंने कांग्रेस के प्रति विश्वास प्रकट किया है, इन पीछे के साथियों के प्रति विश्वास प्रकट किया है और जब उन्होंने हमें चुनकर भेजा है तो वे, इस प्रदेश की जनता, अपनी घोषित नीति के अनुसार कार्य करेंगे और हम सब उसी के अनुसार इस प्रदेश की जनता की सेवा करने की चेष्टा करेंगे।

अपनी आलोचना में कई बातें कही गई हैं। पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में भी सरकार की आलोचना की गई है और यह कहा गया है कि इस सरकार ने समाज कल्याण विभाग एक ढकोसला बना रखा है। तो ऐसे माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पिछड़ी जातियों और उसका विषय है यदि हमें समाजवादी व्यवस्था अपने देश के अन्दर लानी है तो पिछड़ी जातियों और ऊंची जातियों के विषय को अपने बीच से हटाने की चेष्टा कीजिये। केन्द्रीय सरकार ने जो निर्णय इस सम्बन्ध में किया है वह सही निर्णय है। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कुछ पिछड़े हुये हैं, लेकिन इस मसले को हमें आदमियों की गुरबत

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

और गरीबी के पैमाने से आंकना है और यदि हम इस तरफ जाने की चेष्टा करेंगे तो हम सही माने में गणतन्त्र की परम्पराओं और विश्वासों को कायम करेंगे। यदि हम जातियों और बिरादरियों की बातें करेंगे तो फिर हम गणतन्त्र के मानने वाले नहीं हैं और जो हमारा गणतन्त्र में विश्वास संविधान में प्रकट किया गया है वह फिर इस देश में नहीं पनप सकेगा। आखिर गणतन्त्र की सतह में ही तो हमने घोषणा की है कि प्रत्येक नागरिक को चाहिये कि वह किसी वर्ग का हो, वह किसी जाति का हो, सबको बराबर और समान रूप से उठने का और बढ़ने का मौका मिलना चाहिये। चाहे कोई पिछड़ी जाति का हो, चाहे वह गरीब ब्राह्मण का लड़का है, चाहे वह गरीब ठाकुर का लड़का है, चाहे वह गरीब बनिये का लड़का है उसका पिछड़ापन और उसकी गुरबत खत्म होनी ही चाहिये। तो जो इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि आज सरकार ने समाज कल्याण विभाग को एक ढकोसले के रूप में बना रखा है, मैं उन माननीय आलोचकगण से निवेदन करना चाहता हूं कि वे उन साथियों से पूछें जिनको सेवा वह विभाग कर रहा है, उन विद्यार्थियों से पूछें जिनकी सेवा इस विभाग ने की कि क्या यह ढकोसले की बात कर रहा है?

आज वे लोग जो अंग्रेजी शासन काल में पीने के पानी के लिये तरसते थे आज जगह-जगह पर उनके लिये कुंये बन गये हैं, आज जगह-जगह पर उनके लिये स्कूल कायम हो गये हैं, आज जगह-जगह पर उनके बच्चों के लिये स्कालरशिप का इंतजाम हो गया है और उसकी तहत में वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और फिर भी यह बात की जा रही है कि पिछड़ी जाति के लोगों के लिये यह सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह दृष्टिकोण जो हमारे साथ आज भी अपनाने की चेष्टा करते हैं वह संविधान के अनुसार नहीं है और वह विधान की परम्पराओं को अपनाने की चेष्टा नहीं करते हैं। जाति और बिरादरी का जो रोग हमारे बीच में फैला हुआ है उसको कुचलना है और उसको कौन कुचलेंगे? आप ही तो उसे दूर करेंगे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। आप ही तो उनको हटायेंगे। तभी तो आप उन विचारों के अगुआ बन सकेंगे और नये विचारों को ला सकेंगे जिनके द्वारा हमारा जनतंत्र फूलेगा, फलेगा और पनपेगा और यह जो करोड़ों रुपया आज समाज-कल्याण विभाग, प्लानिंग विभाग के तहत में खर्च हो रहा है और गांव-गांव में जो विकास की योजनायें चल रही हैं यह किनके लिये चल रही हैं, क्या उनके लिये नहीं हैं जो अब तक पिछड़े रहे हैं, जो अब तक परेशानी में जीवन व्यतीत करते रहे हैं? आज सारे ब्लाक्स और क्षेत्र समितियों के तहत में जो कार्य हो रहे हैं वह किनको सहायता दे रहे हैं, किनको जाग्रत कर रहे हैं, किनको उन्नति के मार्ग पर ले जा रहे हैं? क्या उनको नहीं ले जा रहे हैं जो अब तक पिछड़े रहे हैं, गरीब रहे हैं, जो अपनी अज्ञानता के कारण उन्नति का मार्ग नहीं पा रहे थे?

८६० या ८७५ ब्लाक्स आपके प्रदेश में हैं उनके तहत में विकास कार्य हो रहे हैं क्या वे गांवों के जीवन में क्रान्ति पैदा नहीं कर रहे हैं? और यदि कर रहे हैं तो क्या उससे पिछड़े हुये लोगों की सहायता नहीं हो रही है, सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, उनको बढ़ाने की चेष्टा नहीं हो रही है?

मैं यहां फिर एक बात कहना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत जोर दिया गया कि सरकार को एक पे कमीशन नियुक्त करना चाहिये इसलिये कि १९४७ में जो पे कमीशन बैठा था उसने कुछ निर्णय लिये। यह सही है कि १९४७ में पे कमेटी नियुक्त हुई थी और उसने कुछ निर्णय लिये थे जगहों के लिये, नौकरियों के लिये, डी० ए० के लिये। लेकिन क्या यह आज वास्तविकता नहीं है कि इन १३, १४ वर्षों में उत्तरोत्तर, समय-समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के विषय में, डी० ए० के विषय में सरकार ने निर्णय नहीं लिये और करोड़ों रुपया डी० ए० पर व्यय नहीं किया है? १९४७ की पे कमेटी ने ५ रुपया डी० ए० मन्जूर किया था लेकिन आज ५ रु० से ३३ रु० डी० ए० उनको मिल रहा है जिनको १९४७ में ५ रु० मिल रहा था। अभी साढ़े ६ करोड़ रुपया १९५९-६१ के बीच में इस महंगाई को बढ़ाने के लिये सरकार व्यय कर चुकी है

और समय-समय पर शिक्षकों के विषय में, प्राइमरी टीचर्स और छोटे कर्मचारियों के विषय में जब-जब अवसर आये हैं सरकार ने डी० ए० में तनख्वाहों में हेरफेर किया । किस मात्रा तक तनख्वाह पाने वालों को डी० ए० मिले उसमें भी हेरफेर किया है । पहले २०० रुपया तनख्वाह पाने वालों तक को डी० ए० मिलता था वह बढ़ कर ४०० रुपया तक कर दिया गया और अभी पुलिस के कर्मचारियों की तनख्वाहों में परिवर्तन किया गया । शिकायत की गई कि पुलिस की तनख्वाह इसलिये बढ़ाई गई कि चुनाव में उनसे मदद लेनी थी । मैं हैरत में हूं । पुलिस कमीशन आपने नियुक्त कराया क्योंकि समय पर कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल, एस० आई० आदि की तनख्वाहों को बढ़ाने के बारे में यहां कहा गया था । उसी आधार पर पुलिस कमीशन बैठा, उसकी सिफारिशें मिलीं उनमें से कुछ सिफारिशें जो महत्व की थीं, जो छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों से सम्बन्ध रखती थीं उनको सरकार ने मन्जूर किया और कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल, सब-इंस्पेक्टरों की तनख्वाहों में परिवर्तन किया तथा उनकी तनख्वाहों को उनके बराबर लाने की चेष्टा की जो उनके काउन्टर पार्ट्स को अन्य प्रदेशों में मिलती हैं ।

अगर आप कहते हैं पुलिस में भ्रष्टाचार है, यदि उसको ठीक करना है तो उसके बीच में एक वातावरण भी तो पैदा करना है, एक नई आबोहवा पैदा करनी है अधिक तनख्वाह दे कर या उतनी ही तनख्वाह दे कर जितनी उसके काउन्टर पार्ट को अन्य प्रदेशों में मिलती है, तो इसमें कौन-सी आपत्तिजनक बात की गयी ? किस पुलिस अधिकारी को सरकार ने उससे वोट मांगने में मदद ली ? आपको मालूम होना चाहिये कि कांग्रेस मुर्दा जमात नहीं है उसमें आज भी जीवन है और वह आज सरकारी कर्मचारियों की मदद से जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जाती । उसके पीछे उसके कारनामे, उसका इतिहास और सेवायें हैं । वे जनता को प्रभावित करते हैं । भले ही थोड़े दिन के लिये आप जनता को बहका लें, जाति-पांति के प्रश्न को उठा कर भले ही आप कुछ लोगों को चुनवा लें, लेकिन जब कांग्रेस का असली स्वरूप जनता के सामने आता है और जनता जानकारी प्राप्त कर लेती है तो उसे कांग्रेस के बारे में अहसास हो जाता है, जिसने वर्षों तक उसकी सेवा की है, जिसने उसमें जाग्रति पैदा की है और जिसने उसे उठा कर अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता प्रदान की है । उसका नेतृत्व है और उसकी शक्ति है । तो क्या सरकारी कर्मचारियों की मदद से अपने को चुनवाने की वह हिमाकत करेगी ? यह कहना कि सरकार पुलिस के अधिकारियों की मदद लेती है, जो ऐसा कहते हैं मैं इतना ही कह सकता हूं कि सत्य को अन्धेरे में डाल कर वह जनता को बहकाने की चेष्टा करते हैं । आज कांग्रेस चुन कर प्रत्येक प्रदेश में आई है । यदि कहीं गलतियों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से नम्बर कम आया है तो आज यह कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस आज भी जनता की सेवा करने को उद्यत नहीं है । आज भी इस प्रदेश और देश की जनता को विश्वास हो गया है कि यदि गणराज्य और इसकी परम्पराओं को कायम रखा जा सकता है और उन्हें मजबूती प्रदान की जा सकती है तो वह कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है । आज जो विरोध में बैठे हैं उन्होंने वह क्षमता अपने में पैदा नहीं की है जिसके तहत में वे देश को एकता के सूत्र में पिरो कर जनता की सेवा कर सकें । आज विरोधी दल इतना बिखरा हुआ है, इतनी कम संख्या में है, इतने दलों में विभाजित हैं जिसे देख कर मैं कहता हूं कि यदि गणतंत्र को मजबूत होना है और गणतंत्र की परम्पराओं को इस देश में विकसित होना है और समाजवादी व्यवस्था को स्टेबिल ढंग से इस देश में लाना है तो आज बहुत से दलों का इस देश में होना गणतंत्र के लिये एक दुखदाई चीज है, वह गणतंत्र को विकसित करने वाली चीज नहीं है ।

एक सदस्य---पहले आप अपने में से ग्रुपिज्म को ही दूर करें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---आप एक ग्रुप की बात कहते हैं । मैं आपसे कहता हूं कि आपने देख लिया कि पिछले वर्ष आपने बड़ी कोशिश की, बड़ी चेष्टा की, भले ही कुछ साथी हमसे नाराज रहे हैं, लेकिन आपके बहकावे तथा भुलावे में कोई नहीं आया । आज भी चेष्टा कर लीजिये पर कोई भुलावे में आने वाला नहीं है और कल का आपने वोट का नतीजा देखा कि वोट के लिये कांग्रेस का एक-एक आदमी आया मत देने के लिये और एक-एक ने मत दिया और जितना

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

उस मत से नम्बर आना चाहिये था उससे अधिक नम्बर ले कर दिखा दिया और विरोधी दलों ने क्या दिखाया ? वह दिखाया जिसकी चर्चा राजस्व मंत्री जी कर चुके हैं मगर मैं उसकी चर्चा इस समय नहीं करूंगा । अगर यह कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों की मदद से कांग्रेस चुन कर आती है तो यह कांग्रेस का मखौल उड़ाना है । जो इस तरह से मखौल उड़ाते हैं वे वास्तविकता की तरफ नजर डालें और चीजों का अध्ययन करने की चेष्टा करें ।

माननीय दुबे जी ने यह आपत्ति की कि सरकार ने फूड ग्रेन्स इत्यादि में, उसके उत्पादन में कोई कार्य नहीं किया और यह उत्पादन जो है, गल्ला जो अधिक मात्रा में पैदा होने लगा है वह तो नेचर की देन है तो इसे मैं मानता हूं कि नेचर की वेगरीज हैं । जहां तक उत्पादन का विषय है वह मदद भी करती है और रुकावट भी डालती हैं, लेकिन नेचर की वेगरीज के बावजूद भी क्या नहरों का निर्माण नहीं हुआ, क्या नलकूपों का निर्माण नहीं हुआ और क्या किसान को नये तरीके खेती के बतला कर, नये यंत्रों का प्रयोग करवा कर और अच्छे बीजों का वितरण करवा कर उसने अपनी उपज को नहीं बढ़ाया और क्या फर्टिलाइजर के वितरण ने उसके खेत की उपज के परिणाम में मदद नहीं की है ? और अगर हम वह मदद देते हैं तो वह कहां से आयी ? क्या वह हमारी योजनाओं के अन्तर्गत उसे नहीं मिली है ?

श्री उग्रसेन—नहीं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आपके नहीं कहने से तो सवाल हल नहीं होता है । सवाल तो हल होता है इससे कि जो करोड़ों रुपया विदेशों से गल्ला मंगाने में हम व्यय करते थे उसे हमने बचा लिया है और अपने देश और प्रदेश में इतना गल्ला पैदा कर सके कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें । तो मसला तो इससे हल होता है, आपके "नहीं" कहने से नहीं हल होता है ।

श्री गेंदासिंह—(एक पुस्तक को दिखाते हुये) इसे भी तो कभी-कभी देख लें आप ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं तो जो मेरे सामने गुजरता है उसको देखता हूं । आंकड़े आप रखा करिये । मैं तो देहात-देहात में घूमता हूं और जो वहां का नक्शा देखता हूं उसको इस सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

माननीय गेंदा सिंह जी ने शिकायत की, वही पुरानी शिकायत कि गन्ना खड़ा हुआ है, सूख जायगा, सरकार उसके पेरवाने का प्रबन्ध नहीं कर रही है । (लाल बत्ती होने पर) अब लाल बत्ती हो गई है, मैं बजट के अवसर पर इसकी चर्चा कर दूंगा, ५–७ रोज में हो कर दूंगा ।

अनेक सदस्य—इनको समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं समय केवल इस शर्त पर दे सकता हूं कि जवाब देने के लिये प्रत्येक को तीन-तीन मिनट मिलेंगे ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, आप मुख्य मंत्रीजी को अवश्य समय दें । जवाब देने का समय जो आपने रखा है हम लोग उसमें एडजस्ट कर लेंगे । मेरी भी प्रार्थना है कि आप उनको समय अवश्य दें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं गन्ने के विषय में चर्चा कर रहा था । जितनी चिन्ता गेंदासिंह जी को है उससे कम चिन्ता इस सरकार को और हमारे पीछे बैठने वाले सदस्यों को नहीं है । जहां तक गन्ने के पेरवाने की बात है, हमारी बराबर यह चेष्टा रही है कि जितना गन्ना हमारे पास है और जो रिजर्वड जोन में रहता था वह बराबर पिर जाय । माननीय सदस्यों को इस बात का भी ज्ञान है कि अबकी १० परसेंट कम चीनी पैदा करने का निर्णय केन्द्रीय सरकार ने किया है और जिन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है वह भी आपको अच्छी तरह से पता है । करीब साढ़े २८ लाख टन चीनी देश में पैदा हो गई और करीब २१ लाख टन चीनी की खपत है । ४, ५ लाख टन चीनी हर साल सीजन के शुरू में बाकी रहती थी । अबकी करीब

१३-१४ लाख टन चीनी जब सीजन शुरू हुआ तो हमारे पास थी । केन्द्रीय सरकार ने बड़ी कोशिश की उसको विदशों में बिकवाने की लेकिन कोई ३ लाख टन से ज्यादा का प्रबन्ध नहीं हो पाया । इस कारण केन्द्रीय सरकार ने यह फैसला किया कि इस साल चीनी कम बने । पिछले वर्ष करीब ४४ करोड़ मन गन्ना हमने पेरा था और इस साल करीब ३८ करोड़ मन का कोटा उन्होंने निर्धारित किया जो हम पेर सकते थे । लेकिन अभी बीच में कई दफा विचार विनिमय करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि कुछ फैक्टरियां ऐसी हैं जो अपना चीनी का कोटा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें गन्ना कम मिला है । तो उस कोटे के हिसाब से उनको गन्ना भेजा जाय और उसे पेरवाया जाय ।

जहां तक पश्चिमी जिलों की फैक्टरियों का संबंध है वहां कोई खास समस्या नहीं है लेकिन जहां तक पूर्वी जिलों की फैक्टरियों का संबंध है वहां यह समस्या बड़ी भारी समस्या है । वहां बिहार के गन्ने और नैपाल के गन्ने के पेरने की बात भी पड़ गई है । केन्द्रीय सरकार का आग्रह है कि उनका गन्ना भी पेरा जाय । मैं परसों नरसों गया था और मैंने आग्रह किया था कि आपकी जो नीति है वह हमें परेशानी में डालने वाली है । जो गन्ना खड़ा है उसे पेरना है और उन्हें इजाजत देना है कि जिन फैक्टरियों ने कोटे के हिसाब से चीनी नहीं पैदा की है उनको बचा हुआ गन्ना दे दिया जाय और वे अधिक चीनी पैदा कर लें । यद्यपि इस विषय पर कोई निर्णय देकर आदेश नहीं मिला है लेकिन मुझे आशा है और खाद्य मंत्री तथा खाद्य सचिव से मैंने काफी बातचीत भी की है और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि वह हमारी समस्या को हल्का करेंगे और हम इस प्रयास में जुटे हुये हैं और मुझे विश्वास है कि गेंदासिंह जी को जो खतरा दिख रहा है कदाचित् हम उससे अपने आपको बचा सकें और उसके पक्ष में उनकी आवाज भी हमारी मदद करेगी । गेंदासिंह जी ने आवाज उठाई । अन्य सदस्य भी आवाज उठा सकते थे और उससे हमारी मदद होती । खैर, मैं इतना आश्वासन देता हूं कि जब बजट प्रस्तुत होगा उस समय तक इस विषय में हमारे सामने साफ रास्ता आ जायगा और जो बड़ी भारी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है वह समस्या हल्की हो जायगी और हम बहुत भारी मात्रा म कृषकों की मदद कर सकेंगे, जो हमारी मदद को बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं । मैं इन चन्द शब्दों के साथ जो आपत्तियां और आलोचनायें राज्यपाल महोदय के सम्भाषण के सिलसिले में प्रस्तुत की गई हैं, उनका विरोध करता हूं ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से २५ दफा प्रार्थना कर चुका हूं .....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जाइये । मैं माननीय नेता विरोधी दल से जानना चाहूंगा कि वे प्रारम्भ में बोलना पसन्द करेंगे या अन्त में ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—जब भी आप कहें । मुझे किसी चीज में कोई एतराज नहीं है । जैसी व्यवस्था श्रीमन् करेंगे मुझे शिरोधार्य होगी ।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि पिछली दफा कार्यवाही में यह प्रथा डाल दी गई थी कि नेता विरोधी दल चाहें तो अन्त में बोल सकते हैं । इस समय यदि आप बोलना चाहें तो बोलें । लेकिन ७ मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैं अन्त में ही बोलूंगा ।

श्री श्यामलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारा भी बोलने का अधिकार है, हमें भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठ जाइये । आप पहले नियम पढ़ लें तब बात चीत करें । आपको यह नहीं मालूम कि किस समय क्या कहना है । बड़े शोक की बात है कि आप अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं । अगर मैं गलती करती हूं तो बताइये ।

श्री श्यामलाल---अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक कांस्टीटुएन्सी को रिप्रेजेंट करता हूं और मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके आसन ग्रहण करें ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में एक नवागंतुक हूं । मैंने कोशिश की कि सरकारी आंकड़ों को पेश कर सरकार का ध्यान प्रदेश के गरीब किसानों की ओर आकृष्ट करूं । परन्तु मुझे आश्चर्य है कि सरकार जिन आंकड़ों को स्वयं प्रकाशित करती है, उनको वह मानने के लिये तैयार नहीं है । जब आंकड़ों का तर्क नहीं माना जाता है, केवल उन बातों को हंसी और मजाक में उड़ा दिया जाता है तो क्या तर्क वितर्क हो सकता है ? और मैं क्या उत्तर दूं ?

हमारे राजस्व मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन मेरे पिता जी के समय में नहीं बढ़ा, और वह बराबर उनको धोखे में रखे रहे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह मैंने नहीं कहा कि धोखे में रखे रहे । वह कहते रहे कि उत्पादन बढ़ा है ।

श्री अध्यक्ष---वह बात जो कही गई वह इसलिये नहीं कही गई कि आप पर कोई लांछन हो ।

श्री भानुप्रतापसिंह---सबसे दड़ी बात यह है कि सरकारी कर्मचारी सरकारी नीतियों का पालन करता है । अगर सरकार की नीतियां ही गलत हों तो सरकारी कर्मचारी ठीक नतीजा नहीं हासिल कर सकता । दूसरी बात मुझे यह भी कहनी है कि यदि माननीय माल मंत्री की बात सही भी हो, तो भी उनको नहीं कहना चाहिये था । इस कारण कि उनकी कार्य क्षमता पर भी इससे प्रकाश पड़ता है । यदि सरकारी कर्मचारी मंत्रियों को धोखे में रख सकता है, तो यह सरकार कैसे चल सकती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कभी धोखा नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष---कुछ गलतफहमी हुई है । बिलकुल यह आशय नहीं था, न हम लोग यह समझे, न यह मंशा राजस्व मंत्री का था कि आपके पिता जी के ऊपर कोई लांछन लगायें ।

श्री भानुप्रताप सिंह---श्रीमन्, ठीक है । यह आशय नहीं था तो कोई बात नहीं है ।

रहा गन्ने की समस्या का प्रश्न तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में चीनी और गुड़ दोनों को मिला कर खपत संसार के अन्य देशों से कम है । जब कि हमारे गांव का बच्चा-बच्चा चीनी और गुड़ के लिये तरस रहा है उसी समय खेतों में गन्ना खड़ा रहे यह कितने अफसोस की बात है । इस का मूल कारण है सरकार की लालच, सरकार का टैक्सों का बढ़ाना । अगर आज सरकार चीनी पर १४ रुपये मन टैक्स न एकत्र करे तो चीनी का भाव गिर सकता है और चीनी की खपत बढ़ सकती है और गन्ने की समस्या सुलझ सकती है । लेकिन टैक्सों का बहुत बड़ा लालच है, हमारे देश का किसान काफी बड़ी मात्रा में गन्ना पैदा कर सकता है, हमारे देश की जलवायु भी इसके लिये उपयुक्त है, फिर भी वह ऐसा नहीं करने पाते । इसका कारण यही है कि टैक्स बहुत अधिक हैं । इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने शुरू के भाषण में यह कहा था कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने के बाद बड़ी निराशा पैदा हुई है । लेकिन उससे भी अधिक निराशा माननीय मुख्य मंत्री का भाषण सुनने के बाद हुई है । श्रीमन्, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सारी वास्तविकता के ऊपर परदा डाल कर जिस तरह से आंख मूंद कर यहां बातें कही हैं उससे न तो उनकी पार्टी का और न ही प्रदेश का कल्याण हो सकता है । केवल यह कहना कि उनको जनता का विश्वास प्राप्त है और इसीलिये

सरकार बनाये बैठे हैं, और दूसरी तरफ इस पर आंख मूंद लेना कि राज्य की दो तिहाई जनता का विश्वास शासन को प्राप्त नहीं है, यह उचित नहीं है । यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता तो आज उनकी सरकार अपदस्थ होती और वह इधर बैठे होते । मैं इस बात को भी याद दिलाना चाहता हूं कि यह कहना कि चूंकि कांग्रेस पार्टी का एक लम्बा इतिहास है, कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने राष्ट्रीय आन्दोलनों में बड़ा हिस्सा लिया है । आप पुरानी पूंजी का बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं कर सकते ।

आज प्रदेश की क्या स्थिति है ? आज देश की क्या स्थिति है, आज देश की जनता की क्या स्थिति है ? अगर इससे आंख मूंदकर चलेंगे तो मैं समझता हूं कि यह दूसरी बड़ी भूल होगी और वह प्रतिक्रियावादी ताकतें जो देश के लिये खतरनाक हैं जो देश की दुश्मन ताकतें है वह और आगे बढेंगी । जिन बढ़ती हुई ताकतों की चिन्ता आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधान मंत्री को हो रही है उत्तर प्रदेश में उन बढती हुई ताकतों से आप यहां इस सदन के अन्दर बैठकर घबड़ायें भी न और आपके दिल में उसका विचार भी न पैदा हो यह आपकी मनोवृत्ति का परिचायक है और मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार से उन ताकतों को एक बल आप देते हैं, एक प्रोत्साहन देते है । कांग्रेस के अन्दर भी आज ऐसी ताकतें बढ़ रही हैं जो बाहर की उन प्रतिक्रियावादी और सम्प्रदायवादी ताकतों को बल देती हैं । कांग्रेस के अन्दर से वह ताकतें आज अपनी नीतियों से इन ताकतों को बल देती हैं और कांग्रेस के लोग ही आज प्रदेश के अन्दर पूंजीवादी व्यवस्था, साम्प्रदायिक मनोवृत्ति और सामन्तशाही को मजबूत कर रहे हैं । ऐसी तकरीरों से जैसी माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन के अन्दर दी है उनको और ताकत मिलती है । मैं समझता हूं कि इन बातों के ऊपर आपको विचार करना चाहिये, गौर करना चाहिये ।

सदन के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये गए । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि पिछले दस वर्षों में हमने किया क्या ? प्रगति नहीं हुई तो हुआ क्या ? केन्द्रीय सरकार इस बात की चिन्ता करती है, केन्द्रीय सरकार का नियोजन विभाग इस बात की चिन्ता करता है कि उत्तर प्रदेश औद्योगीकरण के नक्शे में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में खाद्य उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है । लेकिन इस प्रदेश के अन्दर बैठकर के उन तमाम आंकड़ों से आंख मोड़ लेना और यह कहना कि मैं इन आंकड़ों को नहीं मानता, मैं गांव-गांव घूमा हूं, मैंने वास्तविकता को देखा है, क्या माने रखता है । क्या आज यह वास्तविकता नहीं है कि टी० बी० का मरीज आपकी वेटिंग लिस्ट में हजारों मरीजों के साथ एक तीन हाथ की चारपाई के लिए वर्षों इन्तजार करता है ? हजारों नौजवान आज बेकारी के शिकार हैं और बेकारों की फौज तैयार हो गई है । क्या यह सत्य नहीं है कि इस प्रदेश के अन्दर गरीब और पिछड़ी हुई जनता की आमदनी गिरती चली जा रही है और दिन प्रति दिन वह शोषण के शिकंजे में जकड़ते चले जा रहे हैं? अगर गांव-गांव घूमने के बाद भी आपने इन तथ्यों को नहीं देखा तो मैं यह कहूंगा कि आप अपने साथ और इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे है या फिर जानबूझ कर तथ्य पर परदा डाल रहे हैं । श्रीमन् मैं, चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज कुछ सीटों को जीतने की खुशी को छोड़कर इन बातों के ऊपर गौर करें ।

आप यह कहते हैं कि आज पिछड़े वर्ग की मांग उठाई जाती है, अनुसूचित जाति की मांग उठाई जाती है, यह संविधान के विरुद्ध बात है । क्या भारत के संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि १८ प्रतिशत नौकरियां इनके लिए सुरक्षित की गई हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि केवल तीन प्रतिशत ही नौकरियां इनको क्यों प्राप्त हैं? क्या संविधान ने इस बात को नहीं स्वीकार किया है कि हमारे देश और प्रदेश के अन्दर एक पिछड़ा हुआ वर्ग है जिसके लिए कि एक पिछड़ा वर्ग कमीशन राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था ? उस कमीशन ने अपनी कुछ सिफारिशें की हैं । राज्य सरकार ने उन सिफारिशों को मंजूर करने के लिये, उस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार पर कितना दबाव डालने का प्रयत्न किया ? यह कह देना कि यह संविधान के विरुद्ध चीज है, अपोजीशन केवल अपोजीशन सेक के लिये ही सारी बातें करता है, मैं समझता

[श्री चन्द्रजीत]

हूं कि यह बात उचित नहीं है। क्या यहां विरोधी दल में बैठकर हम आपकी स्तुति करने के लिये आये हैं कि यह कहें कि पिछले पन्द्रह वर्षों में प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया है जबकि प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय गिरती जाय ? यहां प्रतिक्रियावादी और सामन्तशाही ताकतें आगे बढ़ें और हम आकर आपकी स्तुति करें कि आपने बहुत अच्छा किया है, तब आप समझेंगे कि यहां बैठा हुआ विरोधी दल अपने कर्त्तव्य को पूरा कर रहा है ? यह विरोधी दल जिस लिये चुना गया है, जिन भावनाओं को लेकर जनता ने इसे चुनकर यहां भेजा है उन भावनाओं की पूर्ति इस प्रकार से सही बातों को आपके सामने रखकर हम करेंगे। आप हमारी आलोचनाओं का चाहे उल्लंघन कर लें लेकिन प्रदेश की जनता जिसका हमारे अन्दर विश्वास बढ़ता जा रहा है वह कभी भी इन बातों का उल्लंघन नहीं कर सकती। हमारे अन्दर उसका विश्वास बढ़ता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब कि प्रदेश की जनता इस बात को सिद्ध करेगी कि जिन बातों को विरोधी दल ने कहा और जिनकी तरफ से सदन के नेता बनकर आपने आंखें मूंदी, वह बातें सही थीं और वह दिन दूर नहीं है जबकि प्रदेश की जनता का विश्वास आपको हासिल नहीं होगा और देश के अन्दर वह ताकतें आग बढ़ेंगी जो देश से गरीबी को मिटाकर, इस देश की गरीब जनता की इच्छाओं और भावनाओं की पूर्ति करेंगी ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—श्रीमन, मैं माननीय मुख्य मंत्री के भाषण को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय मेरे भाषण के समय गुप्त थे, इसलिये उन्होंने मेरे भाषण के सारांश को समझने में भूल की। उन्होंने एक बात कही। मैं मानता हूं कि कल उनके सात की जगह आठ आदमी जीतकर आगये क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। यह हमारी कमजोरी है और उस कमजोरी को हम मानते हैं लेकिन आप भी इस कमजोरी को मान लीजिये कि आपके समाजवाद के ढकोसले के अन्दर जो प्रतिक्रियावादी ताकतें आज हमारे सामने जीतकर आई हैं जो आज इन मुख्य विरोधी बेंचेज पर बैठती हैं। मैं इसलिये कह रहा हूं कि आपने जिस प्रकार से पूंजीपतियों से धन लेकर इस समाजवाद की भित्ति पूंजीवाद की नींव पर खड़ी की है उसके अनुसार ही कल यहां पर तमाशा देखने को मिला था। यह आपका दिखाया हुआ रास्ता है, उसी का अनुसरण दूसरे लोग कर रहे हैं।

मैं पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूं कि १५ अगस्त, १९४७ से, जिस दिन से कांग्रेस सरकार ताकत में आई है सेन्सस के अनुसार पिछड़ी जाति के लिये क्या किया गया है ? मैं भी उसी में से हूं और मुख्य मंत्री भी उसी जाति की बदौलत यहां गद्दी पर बैठे हुये हैं गोकि उनके मंत्रिमंडल में पिछडी जाति के लोग बहुत कम नजर आते हैं। इस दफा और भी कम आये हैं। आपने एक आदमी को भी फुल रैंक का मिनिस्टर नहीं बनाया है। चन्द छोटे स्थानों पर ही उनको रखा है। आपने पिछड़ी जाति के लिये क्या किया, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् १९४६ में पिछड़ी जातियों के गजटेड अफसर ३४ थे जब कि आगे बढ़ी हुई जातियों के गजटेड अफसर १,२०१ थे। १९५५ के आकड़ों के अनुसार पिछड़ी जातियों के गजटेड अफसर २५ रह गये और आगे बढ़ी हुई जातियों के गजटेड अफसर ४,५५५ हो गये। सन् १९६० के अकड़ों के अनुसार पिछड़ी जातियों के गजटेड अफसर ६० हो गये और बढ़ी हुई जातियों के गजटेड अफसर ८,५०० हो गये। जब कि पिछड़ी जातियों और उसमें हम कुर्मी भी शामिल हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई जातियों से बहुत अधिक है और हमारे देश में बेहतर तरीके की किसानी का काम करते हैं। आपने इनके लिये कुछ भी नहीं किया है। इस कारण पिछड़ी जाति पिछड़ी ही रह गई। मैं भी उन्हीं का एक प्रतिनिधि हूं और आपसे कम जेल जानेवाला नहीं हूं। आपसे कम पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। हर क्लास में वजीफा पाता रहा हूं। बावजूद आपके टिकट न दिलाने के, जो कि आपने दिल्ली से कटा दिया, मैं आपके साथी को हराकर यहां पर आ गया हूं, इस कारण मुझे हिम्मत के साथ यह कहने का अधिकार है कि आप पिछड़ी जाति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी कारण मैं उनकी दुर्दशा का वर्णन कर रहा हूं। जिस प्रकार से समाजवाद के नाम पर आपने चुनाव लड़ा है और समाजवाद के नाम पर दूसरी प्रतिक्रियावादी शक्तियों को जन्म दिया है वह सब आपको भुगतना पड़ेगा।

हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि आइये हम और आप मुख्य मंत्री जी मिलकर समाजवाद क निर्माण में देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपके कथनानुसार हम समाजवाद को देश में लाना चाहते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं लेकिन आप ऐसी शक्तियों को जन्म दे रहे है जो देश के लिये घातक हैं। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। अन्दर कुछ करते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। यह इसी तरह से हुआ जैस फर्स्ट ग्रेट वार के बाद यूरोप में जब कम्यूनिज्म बढ़ा था और हिंडन वर्ग की सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी के रूप में शासन आया था तो आप जैसे सोशल डेमोक्रेटों नें ही हिटलर के नेशनल सोशलिज्म को आग बढ़ाया था उसी प्रकारसे अब इस जनसंघ का जन्म हु आ है। आप उसी की बुनियाद डाल रहे हैं। मुल्क में समाजवाद के अन्दर आप पूंजीवाद ला रहे हैं। आज जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं और यह जो जनसंघ आज दिखाई दे रहा है वह आपके ही समाजवादी ढांचे की कांग्रेस का और सपुत्र है। इसी प्रकार से यदि हमारे प्रदेश में ये शक्तियां पनपती रहीं तो प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है और साथ ही जिस तरह से चुनाव में सरकार ने भी जीतने के लिये कार्य किये है वे सरकार के लिये अशोभनीय हैं। मैं आपसे फिर अन्त में निवेदन करता हूं कि आप और हम मिलकर देश के निर्माण में आगे बढ़ें और समाजवाद को लाने का प्रयत्न करें। करनी में अधिक विश्वास करें और कथनी में कम।

*श्री गेंदासिह—श्रीमान्, मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं कुछ बातों का निराकरण चाहता था किन्तु उनको पाने में असमर्थ रहा। सचमुच कुछ मूलभूत प्रश्न हैं और उनको समझा कर वह हमको कुछ समझा सकते थे, लेकिन वह उन्होंने नहीं किया। कुछ और बातें उन्होंने कहीं और उसमें उनका सारा समय लग गया यद्यपि हम लोगों ने अपना कुछ समय काट कर भी यह चाहा था कि वह उन सवालों पर जायं। लेकिन उस के लिये निराशा ही मिली। बड़ी अद्भुत बात है। कौन कहता है कि माननीय गुप्त जी परिश्रम नहीं करते, कौन कहता है कि उधर के बैठने वाले रात दिन कोई कोर-कसर रखते हैं देश की खिदमत करने में? इसमें कोई शक नहीं कि वे बड़ी खिदमत करते हैं लेकिन उनके कामों का जो नतीजा हम देखते हैं तो उसे देख कर हम बार-बार उनको याद दिलाना चाहते है कि वह क्या है, इसे वह भी देखें और वह उसे नजर अंदाज करते रहते हैं। हम क्या करें? मेरी आवाज में इतनी ताकत नहीं कि हम सदैव उनके सामने जाते रहें और कहते रहें और उसे याद दिलाते रहें। यद्यपि मैं चाहता हूं कि हर मंत्री के दरवाजे पर यह लिखा होना चाहिये कि पिछले ५-१० सालों में जो काम उन्होंने किये हैं उनका क्या नतीजा हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी प्लानिंग के भी मंत्री हैं और उनको अपने सामने यह बात जरूर रखनी चाहिये कि १९५०–५१ में हम कहां थे और १९६०–६१ में हम कहां पहुंचे हैं। हम १९६०–६१ में पीछे चले गये हैं और इसीलिये मैंने कहा कि वह आंकड़े देखने की कृपा करें। आकड़ों के बिना उनका और हमारा किसी का काम नहीं चलता और मैं समझता हूं कि कोई सरकार बिना आंकड़ों के चल नहीं सकती। इसलिये हमको भी उनका सहारा लेना पड़ता है। इसीलिये उनकी खिदमत में मैं यह बात रखना चाहता हूं। यह उनके विभाग का ही कथन है।

श्री अध्यक्ष—यह आप किस किताब से पढ़ रहे हैं?

श्री गेंदासिह—इसका नाम है सांख्यिकी सारांश, उत्तर प्रदेश, १९६१। इसमें दिया है श्रीमान् कि १९५०–५१ में प्रति व्यक्ति आमदनी थी २५७·६६ रुपये प्रति वर्ष और वह १९५९–६० में हो गयी २४९·४७ रुपये प्रति वर्ष। इसका जवाब कुछ नहीं मिलता कि जब इतना रुपया विकास में खर्च हुआ, इतना प्लानिंग में खर्च हुआ . . . (व्यवधान) . . . आबादी की बात मैं पहले ही कह चुका था और अब रात में सोच लीजियेगा कि आबादी कैसे घटे। श्रीमन्, मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन वाले भाई कुछ मूर्ख नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—आप उनकी बात कहेंगे तो आपका समय खत्म हो जायगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह---मैं बहुत आभारी हूं आपका, मैं एक सेकिंड में कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन वाले आबादी का ध्यान रख कर ही आगे का टार्गेट फिक्स करते हैं और उस तरफ के बैठने वाले महानुभावों, यह थर्ड फाइव इयर प्लान जो आपके झोले में आपको मिला था आप उसे कृपा कर पढ़ डालें । अगर नहीं पढ़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जायगा । इसलिये इसको कृपा कर पढ़ डालें । मैं उपदेश देने का हकदार नहीं हूं लेकिन जो डाक्टर जेड० ए० अहमद ने कहा था उसे ध्यान में रखिये ।

श्रीमन्, हमारी आल इंडिया फीगर जो है वह २८४, १९५०-५१ की है और १९६०-६१ में वह ३३० हो गयी.....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप प्रारम्भ में ही कह चुके थे ।

श्री गेंदासिंह---मैंने नहीं कहा था और मैं सारे सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि आपने बड़ी मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया, लेकिन नतीजा यह निकला कि जहां से चले थे वहां से पीछे चले गये, तो आखिर यह पैसा कहां गया ? आपकी बड़ी एफीशिएंट मशीनरी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पैसा खर्च किया है लेकिन यह पैसा खर्च करने के बाद हम घाटे के व्यापार में क्यों गये ? क्या इस बात की भी जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी को है ?

श्री बनारसीदास---इन्वेस्टमेन्ट पर कैपिटा क्या है ?

श्री गेंदासिंह---आपके पास बड़े-बड़े अर्थ शास्त्री हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं । आपको मालूम है मगर आप बात कमजोर होने के कारण यहां कहते सकुचाते हैं । (लालबत्ती होने पर) मुझे दो मिनट और दे दिये जायं ।

चुनाव में निष्पक्षता की बात कह दूं तो अच्छा होगा । एक माननीय मंत्री के सुपुत्र ने गोविन्द नारायण तिवारी के चुनाव के खिलाफ एक सरकारी गजटेड आफिसर को यह लिखा कि अगर तुमने वोट फलाबाबू को नहीं दिया तो तुम्हारी खबर ली जायेगी । उसमें "खबर" शब्द शायद न हो लेकिन कुछ नुकसान आदि पहुंचाने की बात थी । (व्यवधान) अगर समय होता तो मैं और कहता .... ।

श्री अध्यक्ष---अगर आप अपना भाषण जारी न रखेंगे तो मैं आपका समय समाप्त कर दूंगा । अब एक मिनट ही है आपका ।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, कहा गया है कि हमारे यहां बड़ी तरक्की हुई । आप देखें कि हमारे यहां कुछ टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं । वहां काम करने वालों को ४ आने से ६ आने तक मजदूरी दी जाती है । ७ हजार लोग हैं जो इतनी कम मजदूरी पर कार्य करते हैं और उनको कई दिन तक मजदूरी नहीं दी गयी । जब मैंने राजस्व मंत्री जी से शिकायत की तो उनको मजदूरी तो जल्दी मिल गयी लेकिन उसका एक दूसरा असर यह हुआ कि वह काम बन्द कर दिया गया और वह ७ हजार आदमी भूखों मर रहे है । यह है स्टैन्डर्ड आपकी तरक्की का ।

श्री अध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री उग्रसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आकड़ों के ऊपर और अन्य मंत्रिमंडलों की संख्या के आधार पर और जन संख्या के आधार पर जो कुछ किया उस पर बड़ा संतोष प्रकट किया है । उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल जितना बढ़ा है उतना खर्चीला नहीं है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिला दूं कि अभी हाल में हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी एक जगह भाषण करते हुये इस बात पर चिन्ता प्रगट की कि उत्तर प्रदेश गरीब प्रदेश है और एक पिछड़ा प्रदेश है । हो सकता है उन्होंने और भी बातें कही हों । तो प्रधान मंत्री को तो चिन्ता जरूर है, देश विदेश के अखबारों में भी चिन्ता है, आम जनता को चिन्ता है मगर हमारे मुख्य मंत्री जी को चिन्ता नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का दुख है कि विरोधी पार्टियों में फूट क्यों है ।

प्रदेश की जनता ने ज्यादा संख्या में चुन कर उनको भेजा, यह सही है। मेरे यहां भी माननीय मुख्य मंत्री जी चुनाव के दौरान पधारे थे और यह कहा था वहां की जनता से कि अगर तुम मुझको मुख्य मंत्री बनाना चाहते हो तो कांग्रेस को वोट दो और उसके लिये उन्होंने उनसे हाथ उठवाये थे। यह मेरे यहां हुआ। आज मुख्य मंत्री जी जहां बैठे हुये हैं क्या वहां पर दो परस्पर विचार धारायें नहीं हैं ?

कुछ सदस्य—नहीं-नहीं।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—ठीक है, नहीं है। लेकिन माननीय आचार्य जुगुलकिशोर विराजमान हैं जिन्होंने ९८ लोगों के साथ श्री संपूर्णानन्द के मंत्रिमंडल पर कुनबापरस्ती और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। क्या यह सही बात नहीं है ? क्या आप लोगों को वह याद नहीं है कि जो चीज विधान सभा में हुई और जिस के संबंध में माननीय राज्यपाल और माननीय राष्ट्रपति तक पिटीशन दिया गया, लाल बहादुर जी मौजूद होंगे, क्या यह सत्य बात नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप विस्तार में बातें कर रहे हैं और आपका भाषण हो रहा है अन्य विषय पर जो इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्री उग्रसेन—अब हमारा भाषण होगा। वैसे स्पीकर तो कम ही बोलते हैं और मैंने तो अपनी बात कह भी दी जो मुझे कहनी थी। उनके घोषणापत्र में लिखा हुआ है, माननीय मंत्री जी दुखी हैं, सबको समान अवसर देना चाहते हैं, हरिजनों को, पिछड़ी जातियों को, आदिवासी, शुद्र, महिलाओं को सबको समान अवसर देने की बात करते हैं। लेकिन इस प्रदेश में ५४–५५ जिले हैं। वह बतावें कि क्या एक भी हरिजन कलेक्टर हमारे यहां है ? एक भी दिखा दें। (व्यवधान) हो सकता है एक आध कहीं बने हों। यहां ९८ पुलिस कप्तान हैं उनमें केवल एक एस० पी० है जिसकी बड़ी दुर्गति हुआ करती है। यह अगाध प्रेम है माननीय मंत्री जी का, वह जरा बतायें कि इस कांग्रेसी राज्य में कहीं भी कुएं हरिजन बस्ती में क्यों नहीं हैं। आज महिलाओं के लिये गांव में पाखाने की व्यवस्था नहीं है, यह देखने में छोटी मालूम होती है लेकिन बहुत बड़ी बात है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं गन्ने के विषय में। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्टतया इस बात का ऐलान नहीं किया कि प्रदेश के किसानों का एक भी गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहेगा। उनको ऐलान करना चाहिये। अगर कोई मिल बात नहीं मानती है तो उसको सरकार अपने हाथ में लेकर चलाये और गन्ने को पिरवा डाले। मालून होता था कि मंत्री जी केरल में बोल रहे हैं। इतनी शिक्षा गांव में नहीं है, हमारा इलाका गंडक और घाघरा से घिरा हुआ है, जरा हमारे क्षेत्र में और गेंदा सिंह जी के क्षेत्र में चलने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

सदन का समय सवा पांच बजे तक रहेगा या उसके पूर्व अगर कार्यवाही समाप्त हो जायगी।

नेता विरोधी दल १० मिनट बोलेंगे और माननीय जगदीश शरण अग्रवाल १० मिनट बोलेंगे। उसके उपरान्त सदन का मत लिया जायगा।

श्री रामकुमार (जिला बस्ती)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो समय आपने बढ़ाया है मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत बढ़ाया है।

श्री अध्यक्ष—नियम १६ का परन्तुक देख लीजियेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, यह जो व्यवधान हुआ है इससे थोड़ा सा समय नष्ट हुआ है, इसका ध्यान रखें ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ यह देख कर कि जिन माननीय सदस्यों को तथ्य सुनने में इतनी कड़कड़ाहट होती है और इतने अनुशासन और नियमों के बाद भी हड़कम्प होता है तो उन्होंने बाहर क्या किया होगा ? यह तो उसका ही प्रमाण है । अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बोलाबाली से कोई भय नहीं लगता ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—यह तरीका ठीक नहीं है । इस प्रकार से हुआ तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी । आपको अधिकार है कि आपकी समझ में जो बात आये जिसको आप असत्य न समझते हों, इस सदन में कहें बशर्ते कि किसी का अपमान न हो और आपका यह भी कर्त्तव्य है कि किसी प्रिय या अप्रिय बात को सुनें । उनको हक है बोलने का और हमारा कर्त्तव्य है सुनने का और जब हम बोलें तो उनका कर्त्तव्य हो जाता है सुनने का । यह जनतन्त्र की प्रमुख आवश्यकता है जिसको हमें पूरा ही करना है । अतः मेरा आपसे निवेदन है कि नेता विरोधी दल को बोलने दें और सभी शान्तिपूर्वक बैठें ।

श्री यादवेन्द्र दत्त—श्रीमन्, हमारे सभी मित्रों ने बड़े जोर से भाषण दिया सरकारी कर्मचारियों के बारे में, परन्तु मुझे खेद है कि किसी ने जनसंघ का जो संशोधन है उसको पढ़ने का शायद कष्ट नहीं किया । हमने स्पष्ट कहा है कि सत्तारुढ़ दल ने १९६२ के साधारण निर्वाचन में सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया । मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, वह वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे और दूसरी जो ज्वलन्त समस्यायें हैं, उन पर भी कुछ कहेंगे, पर खेद है इस ओर कुछ नहीं कहा । सभी तरफ से एक बात कही गई कि अगर सरकारी अधिकारी पक्षपात करते तो हम न आते परन्तु क्या यह भी बिचार नहीं किया गया कि सत्तारुढ़ दल द्वारा सरकारी साधनों का दुरुपयोग करने के बावजूद भी विरोधी दल इतनी संख्या में आया, यह किस बात का प्रमाण है? इसका प्रमाण यह है कि जनसंघ की जो विजय हुई है वह जनशक्ति के आधार पर हुई है।

माननीय मुख्य मंत्री जी और सब तरफ से मैंने देखा कि समाजवाद के नारे लगाये गये । मैं समझ नहीं पाता कि वह कौन सा समाजवाद है ? बहुत से लोग आंकड़े इकट्ठा करने के बड़े शौकीन हैं तो क्या वह स्टेलिन का समाजवाद है ? जहां तक मेरी याददाश्त है, पांच मिलियन आदमी मार दिये गये थे । क्या वही समाजवाद है ? क्या वह माउत्सेतुंग का समाजवाद है जिसने निरीह तिब्बतियों का सर्वनाश कर डाला और अपने मित्र देश की सीमा का अतिक्रमण कर डाला ? या हमारे देश और प्रदेश में जो समाजवादी ढांचा कहलाता था जो कि जनता की हर एक चीज पर घुसता जाय और यहां तक कि परिवार नियोजन के नाम पर कह दिया कि कम बच्चे पैदा करो, ताकि जनता अपनी हर आवश्यकता के लिये सरकार की दास हो जाय, क्या वही समाजवाद है ? आप क्या यह भूल जाते हैं कि फासिज्म और नाजीज्म भी नेशनल सोशलिज्म थी, राष्ट्रीय समाजवाद तो वह भी था ? और समाजवाद का अंतिम स्वरूप है तानाशाही, चाहे वह लाल हो, काली हो, पीली हो या सफेद हो ? जब तक इस देश में मानववाद नहीं आयेगा, मानवता की सुरक्षा नहीं होगी और जब तक इस बात की सुरक्षा नहीं होगी कि समाज की रचना का आधार सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया ....., जब तक सारे मनुष्यमात्र के सुखी होने की हमारी भावना न होगी तब तक मनुष्य का जीवन किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो सकता चाहे हम कितने भी समाजवाद के नारे लगाते रहें ।

श्रीमन्, मुझे आशा थी कि थोड़ी तथ्यों के ऊपर बातें होंगी । परन्तु मैंने देखा कि तथ्यों पर बातें नहीं हुईं । मुझे इस बात को जानकर बहुत दुःख हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं अपने विभागों द्वारा छापी गयी पुस्तकों को भी नहीं पढ़ा । परसों मैंने खाद्यान्न के विषय में

जो कुछ कहा था वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आपकी पत्रिका की भूमिका से ही मैंने लेकर बताया था, वह कोई मेरे अपने घर की चीज नहीं थी। वह आपकी कमजोरी थी जिसको मैंने स्पष्ट बता दिया। मुझे आशा थी कि आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे परन्तु आपने उसको स्वीकार नहीं किया।

अंग्रेजी में एक कहावत है कि "we should not talk at each other but should talk to each other." लेकिन हम टाक एट ईच अदर किये हैं न कि टाक टू ईच अदर। और क्या इस स्वस्थ परम्परा का श्रीगणेश आपकी ओर से नहीं हुआ है। मुझे सबसे अधिक खेद उस समय हुआ जब कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने, जो वयोवृद्ध हैं और विद्वान भी हैं, हास्य में प्रमुख हैं, उन्होंने भी वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश की। यह कहा गया कि गांवों में साइकिलें हो गयी हैं लेकिन क्या वे साइकिलें उन्होंने अपने पैसे से खरीदी हैं या हायर परचेज पर ली हैं और क्या हायर परचेज इस बात का प्रमाण नहीं है कि गांवों में इनडेटेडनेस है। बड़े जोरों से कहा गया किसान बेहतर खाते हैं, बेहतर पहनते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य कहूं या और क्या कहूं कि किसानों में घूमने का मुझे भी अवसर मिला है और उनके बीच रहने का भी अवसर मिला है, मैंने तो इन पन्द्रह वर्षों के अन्दर हरिजनों की एक भी झोपड़ी पक्की होते हुए नहीं देखी। हां, यह कह सकता हूं कि बहुत से बड़े-बड़े नेताओं ने चौमंजले और पांच मंजले पक्के मकान अवश्य बना लिये हैं। जिन्होंने बहुत से परमिटों को मारा है, बहुत से बसों और ट्रकों के परमिट जिनके नाम में जारी हुए हैं, जिन्होंने नेतागिरी को ही अपना एक प्रोफेशन बना लिया है, उनकी हालत जरूर बेहतर हुई है। मेरे बारे में आप न पूछिये। मेरा तो २५० वर्षों का पुराना इतिहास है। तो उन लोगों की हालत बेहतर हुई है न कि किसानों की। सबसे अधिक दुख मुझे तब हुआ जब राजस्व मंत्री जी ने, जो अच्छे पार्लियामेन्टेरियन भी हैं, एक माननीय सदस्य के पिता का हवाला दिया जो उनको नहीं देना चाहिये था। मेरा विनम्र निवेदन है कि हंसी और व्यंग की भी एक सीमा होती है।

श्रीमन्, एक बात के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को अवश्य बधाई दूंगा कि एक बात उन्होंने स्पष्ट कही। जैसा कि समाजवाद का लक्ष्य होता है कि इतने टैक्सेज को लाद दिया जाय कि कमर ही टूट जाय और यह सब विकास के नाम पर किया जाय। उन्होंने विरोधी दलों से यह भी पूछा कि कहां से पैसा आये। उसके लिये डिटेल में सुझाव तो मैं बजट के समय दूंगा, इस समय संक्षेप में दो तीन बातें अवश्य बता देना चहता हूं। आप अपनी पी० ए० सी० और आडीटर जनरल की रिपोर्ट्स को देखें कि किस-किस विभाग में कितना-कितना रुपया नष्ट हुआ है। उसको आप जोड़ लें। अगर आप केवल भ्रष्टाचार को ही रोक लें तो काफी रुपया आपके पास बच सकता है। ऐडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीम-लाइन करने की आवश्यकता है। अब क्या राजकीय साधु भी होने लगे? उस पर पैसा क्यों व्यर्थ लगाया जाता है? क्या इसी से समाज कल्याण की रचना होगी? मैं तो देखता हूं कि जो एलेक्शन में हार गये उन्हीं को समाज कल्याण का मंत्री या प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और उनके पास मोटर हो जाती है। यह तो एक तरह से कांग्रेस समाज कल्याण की रचना है। आखिर भारत सेवक समाज की क्या जरूरत है? जो समाज कल्याण का काम भारत स्काउट्स व गर्ल्स गाइड्स से लिया जा सकता था उसे भारत सेवक समाज से कराने की क्या जरूरत है? इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को इस सदन के संमुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा और अपने कर्त्तव्य से प्रेरित होकर सबसे पहला मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति जो इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, कृतज्ञता प्रकट करूं जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव पर अपने बिचार व्यक्त करके जनतंत्र को शक्ति देने का प्रयत्न किया है; इस विश्वास के साथ कि कदाचित उसके प्रकाश में जनतन्त्र को वह शक्ति अवश्य मिलती रहेगी। मान्यवर, अभी विरोधी दल के कई माननीय नेताओं ने कुछ निराशा प्रकट की, मैं भी यदि आपकी आज्ञा से उनसे क्षमा चाहते हुए यह कहूं कि मुझे भी एक निराशा हुई इस वाद-विवाद

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

को सुन कर तो मैं आशा करता हूं कि वह क्षम्य होगा। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय, आज इसके देखने की कसौटी एक ही हो सकती है कि राज्य के साधनों की सीमा को रखते हुए जिन नीतियों के ऊपर राज्यपाल महोदय ने इंगित किया है, संकेत किया है, उसमें क्या सुधार का अवसर था। किसी भी दल का कोई सिद्धान्त और उसकी नीतियां होती हैं और उन नीतियों के आधार पर ही जनता के सामने उसका विश्वास प्राप्त करने के लिये जाया जाता है।

मान्यवर, इस सदन में कई माननीय सदस्यों के भाषण जो हुए वे चुनाव के पहले चुनाव अभियान में हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि आज शासन का बोझ वहन कर रही है, वह जनता जनार्दन के न्यायालय में जाकर उनका विश्वास प्राप्त कर चुकी, उसके बाद उन नीतियों की आलोचना का कोई स्थान कम से कम मुझे नहीं दिखलायी देता। ज्यादा अच्छा होता यदि कोई इस पर प्रकाश डालता कि अब आगे कौन सी नीति प्रतिपादित होनी चाहिये।

मैं सबसे अधिक आभारी हूं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का जिन्होंने कुछ सारगर्भित बातें कहीं और उसकी तरफ माननीय सदन का ध्यान दिलाया, लेकिन उन्होंने और कदाचित उनके उपनेता ने भी एक बड़ी भारी शिकायत की और वह यह कि महामहिम राज्यपाल के संबोधन में उनको कुछ इधर उधर की बातें मिलीं और उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हो तथा उसमें किसी नीति का विशेष वर्णन नहीं है। मान्यवर, इतने सीजंड पार्लियामेंटरियन और ऐसे राजनीति के पंडितों के लिये मैं क्या कहूं? इस सरकार की जो नीति है वह पंचवर्षीय योजना में मौजूद है और सरकार उससे इधर से उधर नहीं हट सकती है। उस नीति को प्रतिपादित करना ही सरकार का कर्त्तव्य है। और उसी निश्चित नीति को महामान्य राज्यपाल के संबोधन में उल्लिखित किया गया है।

श्रीमन्, मैं केवल दो बातों के संबंध में निवेदन करके अब समाप्त करता हूं, क्योंकि पिछली परम्पराओं से भी मुझे समय कम दिया गया है। मान्यवर, इस विवाद में सबसे अधिक बल दिया गया है केवल दो बातों पर। इसमें चुनाव की बड़ी चर्चा थी। मैं बड़ी सफाई के साथ निवेदन करूंगा कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो इस बात में पूर्ण विश्वास रखते हैं कि चुनाव की मशीनरी में सरकारी कर्मचारियों को किसी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिये और यदि यह प्रवृत्ति बढ़ी तो वह हमारे लिये और प्रदेश के लिये या देश के लिये दुर्भाग्य की बात होगी। मैं इस बात को भी मानता हूं कि यदि वास्तव में कहीं ऐसा हुआ हो तो इधर के और उधर के बैठने वाले दोनों तरफ के सदस्यों का कर्तव्य है कि उसको रोकें और पूरी शक्ति से रोकें। लेकिन मैं इस बात में भी विश्वास और आस्था रखता हूं कि अगर हम बिना वजह अकारण अपने प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा करते हैं और लोगों में अपने वक्तव्य द्वारा ऐसी धारणा पैदा करते हैं कि हमारे इतने बड़े प्रदेश के इतने बड़े कर्मचारीगण ने अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर नहीं निभाया है तो वह हमारे लिये एक दुख और दुष्परिणाम की बात होगी। अभी तक जिन माननीय सदस्यों के भाषण यहां हुए उनमें ३–४–५ जिलों के आगे और कहीं के नाम सुनने में नहीं आये और जब उन्होंने सब कुछ निश्चित करके आखिर में मांग की तो भी केवल इस हद तक ही मांग की कि ३–४–५ जगह गड़बड़ हुई और कहा कि वहां इंक्वायरी की आवश्यकता है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इतना समझते ही होंगे कि चुनाव का वातावरण ही ऐसा होता है कि हम अच्छी भावना और अच्छे विचार रखते हुए भी कभी-कभी अपने साथियों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं और गलत सूचनाओं के आधार पर अक्सर गलत धारणायें बन जाती हैं

गोंडा लखनऊ से कोई दूर जगह नहीं है लेकिन अगर यही प्रथा हो जाय कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लोग दोष दूसरों पर ही लगाने लगें और दूसरों पर ही आरोप लगाकर अपनी गलती छिपाने लगें तब तो बड़ा मुश्किल हो जायगा। अगर इतने बड़े प्रदेश में ३–४–५ जगह ऐसे

वाकयात हुये भी हों कि जहांपर कोई पक्षपात हुआ भी हो या जहां पर कोई अव्यवस्था हुई हो तो रिप्रिजेन्टेशन आफ पुपिल्स ऐक्ट में लोकसभा ने तजुर्बे के बाद संशोधन किये हैं और सन् ६१ में आखिरी बार उसमें संशोधन हुये हैं और बहुत ही सारगर्भित प्राविजन्स उसमें जोड़े गये हैं, जिनके द्वारा इस तरह की शिकायतों के निराकरण कराया जा सकता है। पहले इस लोकतंत्रीय ढांचे के बनाये हुये विधान के अधिकारों का प्रयोग कर के उन न्यायालयों का प्रयोग कर लें और वहां पर उन शिकायतों की जांच करा लें और उस के बाद जनता में उस आरोप को लायें। भले ही आप को शिकायत हो कि दल विशेष को गलत घोषित कर दिया लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से कहकर तो आप देश के प्रति और जनतंत्र के प्रति अन्याय करते हैं और एक बड़ी मशीनरी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं जिस के ऊपर सारे देश और समाज की श्रद्धा है। मैं इतना निवेदन करके समाप्त करता हूं। मुझे हर्ष है कि जितने माननीय सदस्य मेरे प्रस्ताव पर बोले उन्होंने एक मत से चुनाव कमीशन और उसके अधिकारियों को क्लीन सर्टिफिकेट दिया और अगर किसी को शिकायत रही तो केवल उन अधिकारियों से कि जिन्होंने उसके अधीन काम किया। जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने भी जिक्र किया कि चुनाव कमीशन ने स्वंय उन अधिकारियों के बारे में और उनकी निष्पक्षता के लिये सर्टिफिकेट दिया है। उस सर्टिफिकेट का आप आदर करें, और बातें छोड़ भी दी जायं तो इस बात को ध्यान में रखकर ऐसा वातावरण यहां न पैदा होने दें कि जिससे उस मशीनरी को ठेस पहुंचे और जनतंत्र कमजोर हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—नियम २८५ के अन्तर्गत अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से मूल प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखे और उसकी स्वीकृति संशोधनों को निरस्त कर दे। यही प्रथा हमारे इस सदन में रही है और उसी का अनुकरण करते हुये आपके सामने जो प्रस्ताव है उसको मैं आप के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, एक निवेदन कर दूं कि मतदान लाबी में हो तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, इसकी आवश्यकता अगर मैं समझूंगा तो होगा वरना नहीं। और जब तक मतदान न हो जाय तब तक यह कार्यवाही चालू रहेगी।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत १५ मिनट से अधिक समय नहीं बढ़ सकता है। इसलिये अब जो कार्यवाही हो रही है वह अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष—यह बात नहीं है। मुझे अधिकार है कि ५ बजे के बाद १५ मिनट तक समय इस सदन का बढ़ा दूं। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी अधिकार है कि अगर सदन में विभाजन की कार्यवाही हो रही हो तो उसकी समाप्ति तक आपको सदन में बैठाये रखूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—लेकिन अध्यक्ष महोदय, नियमावली में साफ लिखा है उसके लिये सदन के प्रस्ताव की आवश्यकता है। इस समय ५ बजकर १६ मिनट हो गये हैं और सदन का प्रस्ताव आया नहीं इसलिये यह कार्यवाही अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष—इस सदन में रूलिंग हो चुकी है कि जब डिवीजन का प्रश्न होगा या मत लेने का प्रश्न होगा तब जिस समय तक वह कार्यवाही समाप्त नहीं होगी तब तक कार्यवाही जारी रहेगी।

श्री अम्बेश्वरीप्रसाद—लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया निगमावली में यह लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष—मैं रूलिंग दे रहा हूं, यह रूलिंग हो चुकी है। इसी रूलिंग के अनुसार मैं फिर कह रहा हूं कि यह सदन तब तक बैठेगा जब तक यह कार्यवाही, जो चल रही है, समाप्त न हो जाय। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घंटी बन्द होने पर)

प्रश्न यह है कि 'उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के संबोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२०४,

विपक्ष में—६०।)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और २ अप्रैल, १९६२ को फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर सोमवार, २ अप्रैल, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
३० मार्च, १९६२।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २८ एल०ए०—१९६२—८४५।